

ISSN-0971-8397



# खोजना


फरवरी 2009

विकास को समर्पित मासिक

मूल्य : 10 रुपये



## उपभोक्ता अधिकार




# एगमार्क



खाद्य उत्पादों की शुद्धता एवं गुणवत्ता का प्रतीक  
भारत सरकार द्वारा  
कार्यान्वित गुणवत्ता प्रमाणन योजना

एगमार्क उत्पादों को निम्न प्रक्रियाओं के पश्चात् पैक किया जाता है ।



कच्ची सामग्री को साफ करना, साफ की गई कच्ची सामग्री का सावधानीपूर्वक निरीक्षण, स्वच्छ वातावरण में वैज्ञानिक तरीके से कच्ची सामग्री का प्रसंस्करण, सुसज्जित प्रयोगशाला में रसायनज्ञों द्वारा प्रत्येक लॉट की जांच, भारत सरकार द्वारा नियमित मॉनिटरिंग ।

एगमार्क के अन्तर्गत उपलब्ध उत्पाद

## दालें

उड़द, मूंग, अरहर, चना, रोस्टेड चना ।

## साबुत मसाले

काली मिर्च, मेथी, सरसों, साँफ, जीरा, हल्दी फिगर एवं बत्व, पोस्त

## पिसे मसाले

मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, करी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सांभर पाउडर, रसम पाउडर, मटन मसाला, सब्जी मसाला, चिकन मसाला, फिश मसाला, गर्म मसाला, अचार मसाला, मिक्स मसाला इत्यादि ।

## वनस्पति तेल

सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल इत्यादि ।

## आटा उत्पाद

गेहूं का आटा, मैदा, सूजी

## दुग्ध उत्पा

घी, क्रीमरी मक्खन

कृपया रसीद/कैश मीमो/बिल के लिए आग्रह करें ।

कृषकों/उपभोक्ताओं के हित में जारी द्वारा:



कृषि विपणन सलाहकार  
भारत सरकार  
कृषि एवं सहकारिता विभाग  
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय  
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, एन.एच.-IV  
फरीदाबाद-121001


अधिक जानकारी के लिए देखें  
वेबसाइट [www.agmarknet.nic.in](http://www.agmarknet.nic.in)

कृपया खरीदते समय ध्यान रखें

1. एगमार्क लोगो/रेप्लिका
2. लॉट/बैच नं0
3. एगमार्क लेबल/रेप्लिका क्रम संख्या
4. ग्रेड
5. पैकिंग की तारीख
6. निवल भार
7. बेहतर उपयोग की अंतिम तारीख
8. पैकर का नाम और पता, इत्यादि

इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें:-  
संबंधित क्षेत्रीय/उपकार्यालय का पता

सहायक कृषि विपणन सलाहकार,  
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,  
डब्ल्यू -6, फेस -2, ओखला इन्डस्ट्रियल स्टेट, नई दिल्ली -110020  
दूरभाष: 011- 26389615, 64598230



# योजना

वर्ष : 53 • अंक : 2

फरवरी 2009

माघ-फाल्गुन, शक संवत् 1930

कुल पृष्ठ : 60

प्रधान संपादक

एस.बी.शरण

वरिष्ठ संपादक

राकेशरेणु

संपादक

रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय

538, योजना भवन, संसद मार्ग,

नयी दिल्ली-110 001

दूरभाष : 23096738, 23717910

टेलीफैक्स : 23359578

ई-मेल : exeed.yojana@gmail.com

yojanahindi@gmail.com

वेबसाइट : www.yojana.gov.in

www.publicationsdivision.nic.in

a) dpd@nic.in

b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

एन.सी. मजूमदार

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)

सूर्यकांत शर्मा

दूरभाष : 26100207, 26105590

फैक्स : 26175516

ई-मेल : pdjucir\_icm@yahoo.co.in

आवरण : संतोष वर्मा

आशा सक्सेना

## इस अंक में

• आर्थिक संकेतक	-	4
• संपादकीय	-	5
• उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता : समस्याएं, मुद्दे और चुनौतियां	एम.सी. पॉल	6
• उपभोक्ता संरक्षण की राष्ट्रीय नीति	यशवंत भावे	9
• उपभोक्ता कानूनों का विकास	एम.के. सिंह	12
• विज्ञापन के कानूनी और नैतिक पक्ष	शीतल कपूर	15
• देश में उपभोक्ता अदालतों की स्थिति	पुष्पा गिरिमाजी	18
• सेवापूर्ति के प्रबंधन में उपभोक्ताओं की भागीदारी	जयपाल सिंह	21
• उपभोक्ता अधिकार क्या हैं?	-	23
• उपभोक्ता अपना अधिकार जानें	विभा शुक्ला	26
• यूरोप में उपभोक्ता आंदोलन	प्रमोद कुमार अग्रवाल	30
• आर्थिक प्रोत्साहन का एक और पैकेज	-	33
• झरोखा जम्मू-कश्मीर का : घाटी में कृषि उत्पादन	शमशेर अहमद खान	36
• पूर्वोत्तर की पाती : सोनापुर मशरूम की खेती की कहानी	करुणा शर्मा	40
• शोधयात्रा : निर्धन द्वारा लोक समृद्धि का उद्यम	-	43
• खबरों में	-	46
• पत्रकारिता पर मौलिक लेखन के लिये भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार	-	52
• मंथन : साक्षरता, शिक्षा और ज्ञान	विनोद कुमार सिन्हा	53
• स्वास्थ्य चर्चा : वायु विकार का उपचार	शुभंकर बनर्जी	54

योजना हिंदी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिये मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें : व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लॉक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110066 दूरभाष : 26100207, 26105590, तार : सूचनाप्रकाशन।

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिये आप हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर भी संपर्क कर सकते हैं :- सूचना भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष : 24367260, 5610), हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष : 23890205) \* 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष : 27570686) \* 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष : 22488030) \* 'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष : 24917673) \* प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष : 2330650) \* ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष : 24605383) \* फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष : 25537244) \* बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष : 2683407) \* हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-H, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष : 2225455) \* अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष : 26588669) \* के.के.बी. रोड, नयी कॉलोनी, मकान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष : 2665090)

चंदे की दरें : वार्षिक : 100 रु. द्विवार्षिक : 180 रु.; त्रैवार्षिक : 250 रु.; विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश : 500 रु.; यूरोपीय एवं अन्य देश : 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिये 'योजना' उत्तरदायी नहीं है।



## आपकी राय

### एड्स समस्या नहीं, चुनौती

पूर्वोत्तर पर केंद्रित *योजना* का दिसंबर 2008 अंक अनुपम, अद्वितीय एवं सृजनात्मकता से भरपूर लगा। चार घंटे में पूरी पत्रिका पढ़ डाली। अंक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये भी बहुपयोगी है। 'खेल', 'खबरों में', 'क्या आप जानते हैं?', 'झरोखा जम्मू-कश्मीर का', 'समाचार' उपशीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित अध्ययन सामग्री समसामयिक तथा परीक्षोपयोगी प्रकृति के हैं। दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस 1, 3, 10 तथा 24 दिसंबर पर विशेष सामग्री पढ़ने को मिले। सच है, एड्स की जानकारी ही इसका बचाव है।

मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा, शायद जिस ओर लेखक का ध्यान नहीं गया कि एड्स को 'खतरनाक', 'जानलेवा', 'बीमारी' आदि कहकर जनता में भय एवं भ्रम का सृजन हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करना एड्स को समस्या बनाने जैसा है। अतः एड्स को 'समस्या' के स्थान पर 'चुनौती' के रूप में प्रसारित किया जाए। एड्स से संक्रमित व्यक्ति भी मानसिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारों का हकदार है। 'स्वास्थ्य चर्चा' के अंतर्गत ऐसी चुनौतियों के लिये मंच तैयार करना सराहनीय प्रयास है। 'नये प्रकाशन' तथा 'मंथन' जैसे नियमित स्तंभ क्रमशः पुस्तक-प्रेमियों एवं पाठकों के दिशा-निर्देशक की भूमिका अदा करते हैं।

प्रवीण कुमार शर्मा  
दिलावर गंज, किशनगंज, बिहार

### अपने देश को जानें

*योजना* दिसंबर 2008 अंक में भारत के एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़कर हृदय प्रफुल्लित हुआ है। इससे पहले मैं पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में इतना नहीं जानता था।

वहां की पंचायत व्यवस्था एवं न्याय नीति के बारे में पढ़कर यह सोचना पड़ रहा है कि आज कैसे हम लोग पीढ़ियों की दी हुई धरोहर को भुला बैठे हैं। आज तो कोई भी बूढ़े-बुजुर्गों की बात सुनने को तैयार ही नहीं तो मानने की बात कैसे करें? कम से कम जिन-जिन लोगों ने इस पत्रिका को ध्यान से पढ़ा होगा उनको पता चल गया होगा कि भारत में संस्कृति आज भी पूर्वोत्तर राज्यों में जीवित है। हमें उनके इस नीति का सम्मान करना चाहिए। साथ ही हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि विदेशों में घूमने जाने, उन्हें जानने-समझने से पहले अपने देश के प्रत्येक राज्य का दर्शन कर उनकी संस्कृति, सुंदरता, इत्यादि के अलौकिक दर्शन करने को महत्व देंगे। इस प्रकार हमारे अंदर एकता भाव भी प्रबल होगा साथ ही विभिन्न राज्यों के लोगों में आपस में प्रेम भी बढ़ेगा।

आइए संकल्प करें कि हम अपने फुर्सत के पलों को अपने देश बंधुओं के साथ बिताएंगे। और अपने देश की संपत्ति संप्रभुता, संस्कृति एवं एकता को और सुदृढ़ करेंगे।

रणधीर कुमार सिंह  
सीतापुर, उ.प्र.

### सूचना के अधिकार का प्रचार-प्रसार जरूरी

*विकास* को समर्पित *योजना* पत्रिका का दिसंबर 2008 अंक पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित विस्तृत जानकारी लेकर पाठकों के समक्ष उपस्थित हुआ। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के बारे में आलेख प्रकाशित कर *योजना* ने एक विशेष उपलब्धि हासिल की है। हमें इस प्रदेश के बारे में इतनी सारी जानकारियां किसी अन्य पत्रिका में नहीं मिली थी। वैसे इस अंक को दिसंबर के विशेष दिवसों के रूप में भी जाना जाएगा। इनमें 'एड्स सावधानी ही बचाव' (1 दिसंबर : विश्व एड्स दिवस) के साथ-साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (24 दिसंबर) पर जो कुछ प्राप्त हुआ वह काफी रोचक एवं ज्ञानवर्द्धक है। 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस तथा 10 दिसंबर, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में भी सामग्री संयोजित की गई है। एक साथ चार दिवस मनाने वाली यह पत्रिका इसी तरह की विशेषांक प्रकाशित करती रहे ऐसी हमारी शुभकामना है।

इस पत्रिका ने सूचना के अधिकार से संबंधित एक आलेख प्रकाशित कर इस नियम के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया है। सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रचार-प्रसार अब तक पूर्ण रूप से नहीं हो सका है। सूचना के अधिकार कानून के द्वारा सरकार ने आम लोगों को समय से तथा सही सूचना उपलब्ध कराने का इंतजाम किया है। जनतंत्र में सरकारी संस्थाओं और आम जनता के बीच सीधा संपर्क स्थापित

हो, यानी इन दोनों के बीच पारदर्शिता बनी रहे इसी के लिये इस कानून का प्रतिपादन किया गया। इस नियम का जितना प्रचार-प्रसार हो उतना ही बेहतर। जहाँ तक सूचना 30 दिनों में उपलब्ध कराए जाने की बात है तो पदाधिकारियों की मनमानी से आवेदनकर्ताओं को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। जिस तेज़ी से इसके प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है उस तेज़ी से इसका प्रचार-प्रसार अभी तक नहीं हुआ है। इसके प्रचार-प्रसार के लिये पंचायतों को आगे आने की आवश्यकता है। जब तक पंचायतें इस कार्य में आगे नहीं आएंगी तब तक यह कानून जन-जन तक नहीं पहुंच पाएगा। पंचायत कर्मचारियों द्वारा इसका प्रचार कराना चाहिए ताकि पंचायत से लेकर जिला, जिला से राज्य स्तर तक इस कानून का समावेश हो सके। इसके लिये पंचायत कर्मचारियों की प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगी ताकि वे अपने-अपने पंचायतों में सम्मेलन कर गांवों में इसका बिगुल बजा सकें। सूचना देने के प्रति सरकार के

कर्मचारियों को वफ़ादारी से काम करने की आवश्यकता है तभी सूचना अधिकार अधिनियम को धरातल पर उतारा जा सकता है।

सत्य प्रकाश  
बरवां, मोरगंज, गोपालगंज, बिहार


## फीके नज़र आते कानून

बाल अधिकार पर केंद्रित *योजना* का अंक पढ़ा। हम ग्रामीणों को तो मालूम ही नहीं कि बाल अधिकार पर कितने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तथा हमारे संविधान में बच्चों के लिये इतने अधिकार भी हैं। बाल श्रम, बाल विकास, बाल स्वस्थ, बच्चों की अनविर्य शिक्षा आदि सभी कानूनों से हम अनजान थे। लेकिन इस अंक को पढ़ने के बाद हमारे अंधेरे मन में ज्ञान के प्रकाश का स्फुरण हुआ और बाल अधिकारों की झलक दिखी।

*योजना* का बाल अधिकारों पर केंद्रित अंक पढ़ने के बाद मेरा ध्यान बुदेलखंड के बच्चों की तरफ गया जहाँ सरकार द्वारा चलाए जा रहे

कार्यक्रमों का उल्टा परिणाम नज़र आता है। यहां के बच्चे ट्रेनों में बीड़ी-सिगरेट बेचते, भीख मांगते, सड़कों के किनारे प्लास्टिक आदि बीनते, धूम्रपान करते, होटलों में काम करते, बाजारों में सब्जियां बेचते मिलते हैं। लेकिन इन बच्चों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इन बच्चों को ये सब करने पर मजबूर करती हैं, इनके मां-बाप की ग़रीबी। ग़रीबी हटाने के, रोटी पहुंचाने के कानून-विधेयक संसद में पास होते हैं और कागज़ों में कैद रह जाते हैं। हकीकत में किसी ग़रीब को उसका हक़ नहीं मिलता। सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिड-डे मील योजना के तहत बहुत कम विद्यालयों में भोजन बनवाया जाता है। यह कार्यक्रम औपचारिकता के तौर पर चलाया जात है। अब ऐसे में बच्चे भीख नहीं मांगेंगे तो भला क्या करेंगे? उपरोक्त तथ्यों की तरफ देखा जाए तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे कानून फीके नज़र आते हैं।

कृष्ण कुमार विश्वकर्मा  
अर्ता पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बांदा, उ.प्र.



# सौभाग्य

मार्च 2009

अंक

## अर्थव्यवस्था की दशा-दिशा

पर केंद्रित

- मार्च अंक में विशेषज्ञों द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर गहन विश्लेषण अध्ययन प्रकाशित किए जाएंगे। इस अंक में शामिल होंगे आर्थिक सिंहावलोकन करते लेख, विकासशील अर्थव्यवस्था की संभावनाएं, महिला एवं बाल बजट तथा रेलवे, कृषि, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा एवं अन्य सामाजिक क्षेत्र।
- पाठक कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

## आर्थिक संकेतक

संकेतक: वार्षिक	इकाइयां	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (प्रक्षेपित)
जनसंख्या (1 अक्टूबर तक)	करोड़ में	101.9	103.8	105.5	107.2	108.9	110.6	112.2	113.8	115.4
जीडीपी वर्तमान बाजार मूल्य पर	करोड़ रुपये	21,023	22,790	24,546	27,546	31,494	35,803	41,458	47,131	-
जीडीपी प्रतिव्यक्ति (वर्तमान मूल्य)	रुपये	20,631	21,955	23,266	25,696	28,920	32,372	36,950	41,416	-
सकल घरेलू बचत (वर्तमान मूल्य)	जीडीपी प्रति.	23.7	23.5	26.4	29.8	31.8	34.3	34.8	-	-
सकल घरेलू पूंजी निर्माण (वर्तमान मूल्य)	जीडीपी प्रति.	24.2	24.2	25.2	26.8	31.6	34.5	36.0	37.5	-
सकल राजकोषीय ऋण	जीडीपी प्रति.	5.7	6.2	5.9	4.5	4.0	4.1	3.4	3.0	-

### वर्तमान मूल्य पर जीडीपी एफसी का क्षेत्रवार हिस्सा

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	जीडीपी का %	23.4	23.2	20.9	21.0	19.2	18.8	18.3	17.8	-
उद्योग	जीडीपी का %	26.2	25.3	26.5	26.2	28.2	28.8	29.3	29.4	-
सेवा	जीडीपी का %	50.5	51.5	52.7	52.8	52.6	52.4	52.4	52.8	-

### मूल्य (वार्षिक औसत)

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूटी 100.00)	अप्रैल 1993=100	155.7	161.3	166.8	175.9	187.2	195.5	206.1	215.9	-
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्योगिक कर्म	जुलाई 2001=100	95.93	100.07	104.05	108.07	112.2	117.2	125.0	132.75	-

### कृषि उत्पादन आम सूचकांक भारत

खाद्यान्न	मिलि. टन	196.8	212.9	174.8	213.2	198.4	208.6	217.3	230.7	235.2
मोटा अनाज	मिलि. टन	185.7	199.5	163.7	198.3	185.2	195.2	203.1	215.6	220.0
चावल	मिलि. टन	85.0	93.3	71.8	88.5	83.1	91.8	93.4	96.4	99.0
गेहूं	मिलि. टन	69.7	72.8	65.8	72.2	68.6	69.4	75.8	78.4	80.0
दालें	मिलि. टन	11.1	13.4	11.1	14.9	13.1	13.4	14.2	15.1	15.0
तिलहन	मिलि. टन	18.4	20.7	14.8	25.2	24.4	28.0	24.3	28.8	31.0
गन्ना	मिलि. टन	296.0	297.2	287.4	233.9	237.1	281.2	355.5	340.6	314.0

### उद्योग और ऊर्जा

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (मान-100) (वार्षिक औसत)	अप्रैल 1993 = 100	162.69	166.99	176.64	188.97	204.8	221.52	247.05	268.02	-
	% परिवर्तन	5.1	2.6	5.8	7.0	8.4	8.2	11.5	8.5	4.5
व्यावसायिक ऊर्जा उत्पादन	एमटीओई #	230.88	237.93	246.86	259.22	272.05	283.94	298.62	309.53	-
सार्वजनिक इकाइयों द्वारा ऊर्जा उत्पादन	बिलि. केंडब्ल्यूएच	501.2	517.4	532.7	565.1	594.5	623.8	662.5	704.5	-

### विदेश व्यापार

निर्यात	मिली. अम. डॉलर	44,147	43,958	52,823	63,886	83,502	1,03,075	1,26,276	1,59,089	1,71,000
आयात	मिली. अम. डॉलर	50,056	51,567	61,533	78,203	1,11,472	1,49,144	1,85,081	2,38,605	2,75,000
विदेशी मुद्रा भंडार <sup>a</sup>	मिली. अम. डॉलर	39,554	51,049	71,890	1,07,448	1,35,571	1,45,108	1,91,924	2,99,147	-
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (शुद्ध)	मिली. अम. डॉलर	4,031	6,125	5,036	4,322	5,987	8,901.0	21,991	32,327	-
भारत में पोर्टफोलियो निवेश (शुद्ध)	मिली. अम. डॉलर	2,760	2,021	979	11,356	9,311	12,494	7,004	29,096	-
रुपया विनिमय दर	रुपये/अम. डॉलर	45.61	47.55	48.30	45.92	44.95	44.28	45.28	40.24	-

### संकेतक : मासिक

मूल्य	जुलाई 07	अगस्त 07	सित. 07	अक्टू. 07	नवंबर 07	दिस. 07	जन. 08	फर. 08	मार्च 08	अप्रैल 08	मई 08	जून 08	जुलाई 08	अगस्त 08	सित. 08	अक्टू. 08	नव. 08	दिस. 08
थोक मूल्य सूचकांक 1993-94 = 100	213.6	213.8	215.1	215.2	215.9	216.4	218.2	219.9	225.5	228.5	231.1	237.4	240	241.2	241.5	239	234.6	
(सभी सामग्रियों) परिवर्तन	4.71	4.14	3.51	3.13	3.25	3.83	4.47	5.27	7.52	8.04	8.86	11.82	12.35	12.85	12.29	11.08	8.66	

### कृषि

वास्तविक वर्षा: अखिल भारत	मिलीमीटर	259	299	194	75	14	16	19	19	32	37	38	159	276	249	175	62	14	22
सामान्य वर्षा से अंतर	प्रतिशत	0	-2	14	-22	-49	1	-19	-14	21	-15	-31	22	-15	2	0	-40	-54	5
चावल भंडार (केंद्रीय पूल)	मिलि. टन	-	6.67	-	10.65	10.05	11.15	-	-	13.84	12.86	12.13	-	9.793	8.472	-	-	-	-
गेहूं भंडार (केंद्रीय पूल)	मिलि. टन	-	10.862	-	9.02	8.36	7.352	-	-	5.8	17.69	24.12	-	24.38	23.259	-	-	-	-

### निवेश (सीएफआई कैपेक्सडेटाबेस)

परियोजना निवेश	करोड़ रुपये	मार्च '02	मार्च '03	मार्च '04	मार्च '05	मार्च '06	मार्च '07	मार्च '08	सितंबर '08
		14,86,938	13,82,122	15,03,040	19,31,500	27,61,339	42,93,108	61,18,218	72,20,144
परियोजना की संख्या		5,805	6,942	8,835	9,434	9,688	12,281	14,501	15,786

टिप्पणी: (क), % परिवर्तन वार्षिक आधार पर है; (ख) एमटीओई: मिलियन टन तेल का समतुल्य; (ग) <sup>a</sup> भारत सरकार के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य (स्वर्ण एवं एसडीआर को छोड़कर); (घ) \* यह देश में चल रहे सभी चालू पूंजीगत व्यय वाली परियोजनाओं की परियोजना लागत का सकल योग है। ये परियोजनाएं इनमें से किसी भी तीन अवस्थाओं में हो सकती हैं - घोषित अथवा जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा हो।

स्रोत : योजना आयोग में स्थित <sup>1</sup>3 (आई क्यूब) सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई)।

## संपादकीय

**उ**पभोक्तावाद, बाज़ार में उपभोक्ताओं का महत्व और उपभोक्ताओं में बढ़ती जागरूकता, देश में उपभोक्ता आंदोलन के विकास में हाल ही में हासिल कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। भारत को अब सभी प्रकार के व्यापारों और उपभोक्ता वस्तुओं के प्रमुख केंद्र के रूप में स्वीकारा जाने लगा है। उपभोक्ता जीवन में बाज़ार की उपस्थिति और प्रभाव में नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई है।

गांधीजी के कथन कि “उपभोक्ता ही राजा है” से प्रेरित होकर स्वर्गीय जे.आर.डी. टाटा और स्वर्गीय जमनालाल बजाज सहित अनेक व्यापारियों और उद्योगपतियों ने उपभोक्ताओं और व्यापार जगत के बीच पुल बनाने के लिये व्यापार की एक आचार संहिता के विकास में योगदान किया। परंतु, बड़े परिमाण में होने वाले उत्पादन और विक्रय में अंतर्निहित लाभ की लालसा अनेक निर्माताओं, उत्पादकों और व्यावसायियों को उपभोक्ताओं का संदोहन करने का अवसर भी प्रदान करती है। कम तौल और गुणवत्ता नियंत्रण एजेंसियों द्वारा निर्धारित मानकों से कम स्तर (घटिया) की वस्तुओं के विक्रय की समस्या के कारण उपभोक्ताओं को उनके पैसे का उचित मूल्य नहीं मिलता है और साथ ही, उन्हें हानि तथा असुविधाओं का सामना भी करना पड़ता है। दिन-ब-दिन उपभोक्ता के घरों में सिद्धांतहीन और बेईमानीभरी बाज़ार पद्धतियां अपनी पैठ जमाती जा रही हैं, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों के हनन के साथ-साथ उनकी सुरक्षा के लिये भी खतरा बनती जा रही हैं। प्रौद्योगिकी का विकास, बाज़ार में परिष्कृत और जटिल उपस्करों के उद्भव तथा वैश्वीकरण के इस युग में आक्रामक विक्रय रणनीति ने न केवल उपभोक्ताओं के समक्ष अनेकों विकल्प के द्वार खोल दिए हैं बल्कि इससे उनको ढेरों समस्याओं का शिकार भी बना दिया है। यद्यपि मानक चिहनों के अनेक स्वीकृत रूप बाज़ार में प्रचलित हैं, और आम लोगों को इसकी जानकारी भी कुछ हद तक है, परंतु यह देखा गया है कि प्रायः लोकप्रिय और बड़े नामों वाले ब्रांड भी गुणवत्ता नियंत्रण के मामले में चूक कर जाते हैं।

एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के सशक्तीकरण के बारे में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसे समूचे संसार में पहले ही मान्यता मिल चुकी है। उपभोक्ताओं की जागरूकता के स्तर को किसी देश की प्रगति का सूचक माना जा सकता है। चाहे वह दवायें हों, इलेक्ट्रॉनिक साजो-सामान हो, फास्ट मूविंग उपभोक्ता वस्तुएं हो या फिर दी गई सेवायें - ये सभी चीजें चाहती हैं कि उपभोक्ता को अपने अधिकार मालूम होने चाहिए। पश्चिम के उपभोक्ता आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिये शुरू-शुरू में छह उपभोक्ता अधिकारों की कल्पना की थी, ये हैं - सुरक्षा का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, (शिकायत) निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। कालांतर में दो और अधिकार - बुनियादी आवश्यकताओं का अधिकार और स्वस्थ तथा संपोषणीय पर्यावरण का अधिकार, भी इनमें जोड़ दिए गए। ये दोनों अधिकार विकासशील देशों की सच्चाइयों के साथ गहराई से जुड़े हैं, जहां पर्यावरण की संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जो लोगों को सहारा देने के काम आता है।

उपभोक्ताओं के अधिकारों को उचित संरक्षण दिए जाने की ज़रूरत है। भारत में यह संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (1986) के अधीन गठित उपभोक्ता अदालतें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रदान करती हैं। *योजना* के इस अंक में अन्य नियमित स्तंभों के साथ-साथ ग्यारहवीं योजना में उपभोक्ता मामलों पर फोकस, उपभोक्ता कानून, उपभोक्ता अदालतों की दशा, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित समस्याएं और चुनौतियां, विज्ञापन के कानूनी और नैतिक पहलू, उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली, सेवा-प्रदाताओं की जवाबदेही, भावी कार्यक्रम आदि पर केंद्रित आलेखों का समावेश किया गया है। हमें आशा है कि पाठक इन्हें उपयोगी और ज्ञानवर्धक पाएंगे। □

## उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता समस्याएं, मुद्दे और चुनौतियां

● एम.सी. पॉल

उभरते भारत में जहां सामाजिक-आर्थिक जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में मुक्त व्यापार की छूट है, यह विषय कोई सरल विषय नहीं है। जैसाकि हम जानते हैं, 1991 में निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के पहले भारत की अर्थव्यवस्था अभावों से ग्रस्त थी और विकास दर धीमी थी। पहले उपभोक्ता अधिकारों का मुद्दा या तो आकस्मिक रूप से ही उठता था या इसका स्थानीय महत्व ही होता था। उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के मुद्दे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 आदि जैसे विशिष्ट कानूनों और नियमों के तहत गठित विशिष्ट निकायों के माध्यम से ही निपटाए जाते थे। संसद में पारित उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण का विशेष कानून वास्तव में अनेक अर्थों में अनूठा है। संभवतः इसकी आवश्यकता पहले-पहल उस समय नहीं महसूस की गई जब हमारी अर्थव्यवस्था धीमी गति से आगे बढ़ रही थी और निरंतर बढ़ रही जनसंख्या (उपभोक्ताओं) सहित अनेक कारणों से आवश्यक वस्तुओं का हमेशा अभाव बना रहता था। इसके अलावा अभावों में जी रहे आम उपभोक्ताओं ने कानूनी तौर पर अपने को संरक्षित करने के बारे में इससे पहले न तो कभी सोचा और न ही ज़रूरी समझा। अतः सरकार नियंत्रित नियामक प्राधिकारियों द्वारा बाज़ार में जो कुछ भी उपलब्ध कराया जाता था, उसे बिना किसी ना नुकुर के स्वीकार कर लिया जाता था। मेरे हिसाब से, आमतौर पर व्यापारी वर्ग तब इतना बेईमान और लालची नहीं था, जैसाकि आज बदली हुई परिस्थितियों में हो गया है। उनके कुछ नैतिक मूल्य हुआ करते थे, जिन पर वे बतौर सामाजिक

नियंत्रण अमल किया करते थे। कुल मिलाकर स्थिति सीमा में ही सही एक प्रकार से नियंत्रण में थी। इसके विपरीत आजकल मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण और निजीकरण का ही दबदबा है और उस पर कोई खास नियंत्रण और रोक भी नहीं है। जैसा पहले कहा जा चुका है, अभावग्रस्त अर्थव्यवस्था में संभवतः उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता उतनी गंभीरता से नहीं महसूस की गई जैसी आज हो रही है। परंतु दुर्भाग्यवश, जागरूकता की धीमी गति और अतिसक्रिय रणनीतियों से उतनी मदद नहीं मिल रही है, जितनी ज़रूरत थी।

वर्तमान परिस्थितियों में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि अनेक उपभोक्ताओं के लिये उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। अतः वे उभरते बाज़ार का स्वागत करते हैं और उन्हें जो चीज दी जाती है, उसी को स्वीकार कर बिना किसी सोच विचार के उपयोग करते हैं। हां, इसके अपवाद हो सकते हैं। इस प्रकार, लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं और इनमें उच्च शिक्षित लोग भी शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मैंने जो अध्ययन किया है, वह मिलाजुला परिदृश्य बयां करता है। बहुतों को यह भी नहीं पता कि क्या करें और सही ढंग से अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करें, जबकि भारतीय संसद ने यह अधिकार, 1986 में ही उनकी झोली में डाल दिया हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 1986 खासतौर पर उपभोक्ता अधिकारों और हितों के बेहतर संरक्षण के लिये भारतीय संसद द्वारा पारित सर्वाधिक प्रगतिशील,

व्यापक और अनूठे कानूनों में से एक है और अगर कुछ लोगों को इन अधिकारों का ज्ञान भी है तो भी कई लोग अनेक अंतर्निहित कारणों और सीमाओं के कारण सही-सही उनका उपयोग करने से डरते हैं। न्याय पाने की प्रक्रिया में ढेर सारा समय, ऊर्जा, मन की शांति और पैसा नष्ट करने के बावजूद उल्टे नतीजों/प्रतिकूल प्रतिक्रिया का भय उन प्रमुख कारकों में से एक है जो पीड़ित उपभोक्ताओं को उपचारात्मक उपाय आजमाने से हतोत्साहित करता है। इसके अलावा, सुदृढ़ मौजूदगी और चुनौतियां स्वीकार करने के लिये सरकार और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सतत उपभोक्ता समर्थक रणनीतियों के अभाव ने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण को निष्फल कर दिया है। आज जब उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की समस्याएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं और काले बादलों की तरह हमें घेर रही हैं तथा हमें आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि के साथ-साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिहाज़ से कष्ट सहने को बाध्य होना पड़ रहा है, यह कोई उत्साहजनक स्थिति नहीं है बल्कि कई मायनों में दुर्भाग्यपूर्ण भी है।

बाज़ार के घाघ लोगों द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के हनन के तमाम प्रयासों से संरक्षण के लिये बने इस क्रांतिकारी कानून के उद्देश्य को निष्क्रिय और गैरजागरूक उपभोक्ता निरर्थक बना देते हैं। इसी तरह के प्रसंग में लोकतांत्रिक कल्याणकारी सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिये उसे ज़मीनी स्तर पर सक्रिय ढंग से महती भूमिका निभानी है। परंतु केवल

बयानबाजी से कोई बदलाव नहीं आने वाला! यथार्थ में ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है क्योंकि बाज़ार में इन अधिकारों का उल्लंघन आज आम बात हो गई है। मुनाफ़ा कमाने के लिये भोले भाले और कमज़ोर ग्राहकों को बेकार, तारीख़ निकली हुई, ख़तरनाक वस्तुओं और सेवाओं को बिना किसी भय या हिचक के बेचा जाता है। उनके लिये त्वरित लाभ किसी अन्य बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश के विभिन्न भागों में हर दिन कहीं न कहीं उपभोक्ता अधिकारों का हनन हो रहा है और लोग भुगत रहे हैं। अतः वे दोनों तरह से झेल रहे हैं : व्यापारियों के शोषणकारी कार्यों से उनके (उपभोक्ताओं के) अधिकार छीने जा रहे हैं तो दूसरी ओर उपभोक्ताओं को घटिया सेवाओं और वस्तुओं की क़ीमत चुकानी पड़ रही है। यह विडंबनापूर्ण है। बाज़ार की यह स्थिति देखने पर विश्वास नहीं होता। इसके विपरीत पश्चिम के मुक्त बाज़ार का परिदृश्य है जहां बाज़ार और उपभोक्ता एक-दूसरे के सहचर के रूप में काम करते हैं।

इस संदर्भ में मुझे गांधीजी के उस कथन की याद आ रही है, जिस पर वर्तमान परिस्थितियों में बाज़ार वालों को ध्यान देना प्रासंगिक होगा। गांधीजी ने कहा था : “ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वह हम पर निर्भर नहीं है। हम उस पर निर्भर हैं। वह हमारे व्यापार से बाहर का व्यक्ति नहीं है। वह उसका हिस्सा है। उसकी सेवा करके हम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे। ऐसा अवसर देकर वह हम पर एहसान कर रहा है।” आगे दिए गए एक ही उदाहरण से पता चल जाएगा कि व्यापारी किस तरह खुले तौर पर उपभोक्ता अधिकारों का हनन कर रहे हैं। हम प्रायः ऐसी चीज़ें ख़रीदते हैं जिस पर लगे लेबल पर स्पष्ट रूप से मुद्रित होता है कि ‘एक बार बिक्री के बाद चीज़ वापस नहीं ली जाएगी।’ विकसित बाज़ार वाले समाजों में इसके ठीक उल्टा होता है। वहां लिखा होता है, ‘यदि आप हमारे उत्पाद से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हैं, आप इसे एक माह के भीतर चाहें तो बदलने के लिये या फिर अपने पैसे वापस लेने के लिये ला सकते हैं।’ यह एक विशिष्ट उदाहरण भारतीय और पश्चिमी देशों के बाज़ारों के दृष्टिकोण में अंतर और उपभोक्ताओं के सम्मान की अंतःनिर्मित प्रणाली को दर्शाने के लिये काफी है। यदि

भारत के व्यापारी वर्षों पहले कहे गए गांधीजी के वचनों के आलोक में आत्मनिरीक्षण करें और जैसा पश्चिमी देशों के व्यापारी उपभोक्ताओं के लिये करते हैं, वैसा करें, तो यही एक रवैया भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। यदि इसी एक बात को सही ढंग से सिद्धांत के रूप में अपना कर उस पर सजग हो कर अमल किया जाए तो पिंडित उपभोक्ता के साथ-साथ अन्य असुरक्षित लोगों की भी उम्मीदें, बाज़ार में ख़रीदी करते समय कायम रह सकती हैं।

स्वाभाविक है कि असंतुष्ट व्यापारी, चाहे वह संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित, इस पर अमल करना पसंद नहीं करेगा। उसके लिये ‘जागो ग्राहक जागो’ का नारा ही एक उपयुक्त तरीका है जो उपभोक्ताओं की अपनी समस्याओं के प्रति सजग रहने का संदेश देता है। वैश्वीकरण और व्यापार तथा विपणन के निजीकरण के इस युग में उपभोक्ताओं की जो दुष्कर स्थिति है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि व्यापारी वर्ग के तो मजे ही मजे हैं। विकसित देशों में बाज़ार कतिपय नियमों के अनुसार चलते हैं और उन पर गुणवत्ता को लेका ज्यादा कड़े नियंत्रण लागू होते हैं, चाहे वे सेवाओं से संबंधित हों या सामान से। यहां यह उल्लेखनीय है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहां नियम-कायदे नहीं हैं लेकिन व्यवस्था की कमज़ोरियों और सीमाओं अथवा कमज़ोर शासन के कारण इनको शायद ही कभी लागू किया जाता है। नियामकों की इस खामी के कारण व्यापारियों को प्रभावी और कुशलतापूर्वक ढंग से इस स्थिति का पूरा-पूरा लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है। इस बहाने से वे तमाम ग़लत और अन्यायपूर्ण काम और कारोबार करते रहते हैं और बड़ी आसानी से कानून से बच निकलते हैं। अन्यथा, ऐसा कैसे संभव है कि दूध, सब्जियां, अनाज, दालें, तेल आदि जैसी उपभोक्ता चीज़ें जो विभिन्न बाज़ारों में मिलती हैं उनकी गुणवत्ता, शुद्धता और सुरक्षा के बारे में सवाल खड़े किए जाते रहे हैं हालांकि इनके निर्माताओं/विक्रेताओं के वचन कुछ और ही होते हैं। इस ज़मीनी सच्चाई को रोका जा सकता है और ऐसे समझदार ग्राहक को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि लाखों उपभोक्ताओं के लिये तो मौजूदा परिस्थितियों में, समझौता ही एकमात्र हल होता है। परंतु होना तो इसके विपरीत ही चाहिए

क्योंकि उभरते बाज़ार में स्पर्धा में बने रहने के लिये ग्राहकों का विश्वास जीतना काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बाज़ार में जो प्रतिस्पर्धा है वह अधूरी और त्रुटिपूर्ण है। कहा जाता है कि पूर्ण (दोषविहीन) बाज़ार तो एक अर्थशास्त्री का स्वप्न और ग्राहक की संप्रभुता होती है - एक काल्पनिक सत्य। इस संदर्भ में मुझे जॉन के. गालब्रेथ का एक कथन याद आता है। उन्होंने एक बार कहा था, “उपभोक्ता की धारणा का बाज़ार की अर्थव्यवस्था में काफी प्रभाव होता है। यह उन्हीं लोगों के काम आया जो परीकथाओं में विश्वास रखते हैं।” एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा था, “उपभोक्ता ही अर्थव्यवस्था का राजा नहीं होता। जो कुछ होता है वह इसलिये नहीं होता कि उपभोक्ता ऐसा चाहता है, वरन इसलिये कि बड़े और शक्तिशाली निगम (कंपनियां) ऐसा पसंद करते हैं।” भारत की वर्तमान बाज़ार अर्थव्यवस्था में ये दोनों वक्तव्य कितने सही प्रतीत होते हैं।

दरअसल, वैश्वीकरण के इस युग में अपवादों को छोड़कर ब्रांडेड कंपनियां भी उन व्यापारिक पद्धतियों का अनुसरण नहीं करती हैं जो उनकी कंपनियां अपने मूल देशों में करती हैं। यह एक विडंबना ही है। व्यापारिक नैतिकता और नियमों के पालन के मामले में हमें उनमें कोई उत्साह नहीं दिखाई देता। बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों के उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र के अनेक बैंकों और बीमा कंपनियों को भारत में काम करने की अनुमति दी गई है। परंतु उनका पिछला रिकार्ड देखते हुए उपभोक्ताओं के मन में संदेह बना हुआ है। उदाहरणार्थ, कई कंपनियों द्वारा क्रेडिट कार्ड धारकों, आवासीय ऋणों पर ग़लत ढंग से उच्च ब्याज दर लगाने, मोबाइल फोन अथवा उपभोक्ता बिलों पर अधिक पैसे वसूलने के उदाहरण सामने आए हैं; प्रि-पेड और पोस्ट-पेड कनेक्शनों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता; खाद्य अपमिश्रण, ख़तरनाक दवाएं और पर्यावरण प्रदूषण सहित स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हमारे देश के लिये चिंता का विषय हैं। यदि समय पर उपयुक्त उपाय नहीं किए जाते, तो बाज़ार की स्थितियां भारतीय ब्रांड (ब्रांड इंडिया) की छवि को धूमिल करती रहेंगी। ये उदाहरण तो केवल नमूनाभर हैं। ऐसा नहीं है सभी कुल-कलंक (छिपे चोर) ही हैं। उदाहरण के लिये, टाटा और अमूल जैसी कंपनियां भी देश में हैं जो शुरू से ही दृढ़ निश्चय के साथ

बाज़ार के नियमों का पालन कर रही हैं और अपनी ब्रांड छवि को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। इसी कारण उपभोक्ताओं में उनके प्रति भरोसा बना हुआ है। अपनी छवि को बनाए रखने का सजग नज़रिया, अपने आप में ही एक कर्तव्य के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है।

अतः उचित विपणन नीति अपनाने और वायदों को निभाने के साथ-साथ ब्रांड की लोकप्रियता उपभोक्ताओं के दिलों और विश्वास को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंतु यह दुख की बात है कि सभी व्यापारी उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिये स्वयं ही यह समझदारी भरा रास्ता नहीं अपनाते। ज़रूरी यह है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों के हनन पर नियंत्रण के लिये उपभोक्ता संगठनों और सभ्य समाज के सहयोग से नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए, जैसा कि विकसित देशों के बाज़ारों में हो रहा है। बाज़ारों में खुलापन आने से कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ना स्वाभाविक है, परंतु उन्हें उपभोक्ताओं के प्रति अधिक जवाबदेह होने की ज़रूरत है। भला हो वैश्वीकरण और निजीकरण का, नयी-नयी उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं बनाई जा रही हैं और उन्हें भ्रामक और फर्जी विज्ञापनों के जरिये उपभोक्ताओं को बरगला कर बेचा जा रहा है। अंधाधुंध मुनाफ़ा कमाने के चक्कर में ये व्यापारी/निर्माता लोगों की सांस्कृतिक संवेदनाओं और मूल्यों की परवाह भी नहीं करते। उदाहरण के लिये, विज्ञापनों में बच्चों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि विज्ञापनदाता उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ अन्य बच्चों की संवेदनाओं का दोहन आसानी से कर सकता है। ऐसा इसलिये कि विज्ञापित वस्तुओं और सेवाओं के बारे में वे उसमें दिए को ही सही मान लेते हैं और उनकी भलीभांति विवेचना नहीं कर पाते। अक्सर, उत्पादों और गुप्त एजेंडा वाले आकर्षक विज्ञापनों के बीच कोई संबंध नहीं होता। कंपनियां उपभोक्ताओं को लुभाने के लिये अरबों रुपये खर्च करती हैं और बदले में उपभोक्तावादी संस्कृति को आकार देती हैं। सुभेद्य बच्चे, किशोर तथा युवा अनेक आकर्षक विज्ञापनों और आक्रामक विक्रय अभियानों के जाल में फंस जाते हैं।

परंतु भारत में जो कानूनी व्यवस्था है वह संगठित और असंगठित क्षेत्रों द्वारा ब्रांड के

प्रचार के नाम पर किए जाने वाले उपभोक्ता अधिकारों के बेलगाम हनन को रोक नहीं पाती। उनके लिये व्यापार का अर्थ है विक्रय बढ़ाने का अभियान, जो प्रायः उपभोक्ता के क़ीमत पर किया जाता है। कहना चाहूंगा कि इसी से बाज़ार में अराजकता फैलती है। उपभोक्ता के दोहन के मामलों की बढ़ती संख्या को विभिन्न प्रचार माध्यमों में खूब प्रचारित किया जाता है और उपभोक्ता अदालतें भी उनको काफी तवज़ो देती हैं। इंटरनेट खोलते ही हमें पीड़ित उपभोक्ताओं के तमाम किस्से देखने को मिल जाते हैं, पर उनकी असहाय कहानियों पर न तो कोई ध्यान देता है और न ही उनकी सुनवाई होती है। हो सकता है कभी सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध कोई वकील अथवा उपभोक्ता संगठन सामने आकर बाज़ार की ज्यादतियों के शिकार इन लोगों की मदद सही अर्थों में कर सके। ज्यादातर शिकायतें सरकारी और निजी क्षेत्र की बड़ी-बड़ी कंपनियों के बारे में ही हैं। बीमा, बैंक, दूरसंचार, विमान सेवाओं, होटल और सरकार, शिक्षा और कोचिंग जैसे प्रतिष्ठानों की सेवाएं और वस्तुओं के बारे में बढ़ती शिकायतों को देखकर तो यही लगता है कि उपभोक्ताओं के लिये चीज़ें उतनी चमकदार नहीं हैं जितनी कि बाज़ारों में दिखाई देती हैं। उपभोक्ता तो सदा से ही इन तथाकथित तड़क-भड़क वाले बाज़ारों का शिकार होता रहा है और आगे भी उनकी ग़लत हरकतों से वह परेशान रहने वाला है। विवेकशील लोगों की दृष्टि में यह सब अब स्पष्ट होता जा रहा है। व्यापार और विक्रय अभियान के भेष में अनेक ठग भोले-भाले उपभोक्ताओं का दोहन करने के लिये बाज़ार में आ धमके हैं। यह सब फल-फूल रहे मल्टीमीडिया आधारित विज्ञापन क्षेत्र की सहायता से ही हो रहा है। रातों रात अमीर बनने की इच्छा रखने वाले अनेक ठग और व्यापारी आकर्षक ब्रांड और नाम के विज्ञापन मीडिया में दे रहे हैं और भारत के लाखों उपभोक्ताओं का दोहन कर रहे हैं। इनमें से कुछ पकड़े गए हैं परंतु यह तो केवल इस समस्या का सिरा भर है।

भारत में आज जो स्थिति है उसमें जागरूकता फैलाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण एक दुष्कर कार्य। यह चतुर और जागरूक उपभोक्ताओं पर भी लागू होता है। भारत में हमें एक भी ऐसा उपभोक्ता नहीं मिलेगा जो कभी बाज़ार गया हो और उन

उपभोक्ता अधिकारों के हनन का अनुभव न किया हो जो भारतीय संसद ने उनके लिये पारित किया है। परंतु जो लोग दोषी लोगों को कानून के दायरे में लाने की कोशिश करेंगे उन्हें लंबे खिंचने वाले मुकदमों और न्याय मिलने में देरी से निराशा ही हाथ लगेगी। इससे अनेक ईमानदार उपभोक्ता अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। इसके विपरीत ऐसे उपभोक्ता भी हैं जो या तो अपने अधिकारों के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं या फिर भाग्यवादी बन जाते हैं और वे व्यापार के नियमों के उल्लंघन के खिलाफ़ सामने आकर लड़ाई नहीं कर सकते। अतएव, वे मित्र मंडली में बातचीत के दौरान अपनी हताशा निकालने अथवा ड्राइंग रूम में बैठ कर चर्चा करने से ज्यादा आगे नहीं जा पाते। संगठित क्षेत्र के व्यापारी और विक्रेता इन सभी बातों से भलीभांति परिचित हैं। सरकार को उपभोक्ता संरक्षण के बारे में झूठी सहानुभूति भरी कार्रवाइयों के दिखावे को छोड़ना होगा। केवल समय-समय पर करोड़ों रुपये खर्च करके 'जागो ग्राहक जागो' नारे के प्रकाशन/विज्ञापन से कुछ खास हासिल नहीं होने वाला। यह तो उत्पादकों, निर्माताओं और अनेक प्रकार के बिचौलियों को उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करने के लिये जगाने की कमज़ोर कोशिश भर है। वास्तव में उपभोक्ता की लाचारी और निष्क्रियता की क़ीमत पर व्यापारी वर्ग तो मजे ही कर रहा है। पश्चिम के विकसित देशों के उत्साही और सक्रिय उपभोक्ताओं की तरह हमें भी सरकार और व्यापारी वर्ग दोनों को ईमानदार व्यापार पद्धतियों को अपनाने के लिये दृढ़ प्रतिबद्धता और सच्ची भावना के साथ संगठित करना होगा। उनकी ओर से यही एक सक्रिय (प्रो-एक्टिव) कार्रवाई बाज़ार में उपभोक्ता के कष्टों को दूर करने और उसके अधिकारों के संरक्षण के लिये काफी होगा। अन्यथा, भारतीय संसद द्वारा पारित प्रगतिशील, व्यापक और अनूठे उपभोक्ता अधिकार अधिनियम, 1986 का कोई लाभ नहीं होगा। उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के संरक्षण के लिये बना यह क्रांतिकारी कानून अनियंत्रित मुक्त बाज़ार के व्यापारियों के सामने हार जाएगा। □

(लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली में प्रोफेसर हैं।

ई-मेल : pauljnee@gmail.com)

# उपभोक्ता संरक्षण की राष्ट्रीय नीति

## ● यशवंत भावे

**भ**ारत में उपभोक्ता आंदोलन ने 1986 से ज़ोर पकड़ना शुरू किया। इसी वर्ष उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित हुआ था। स्वभाविक है कि इसी समय से उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने में सरकार की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। इस आलेख में पहले मैं कुछ ऐतिहासिक और अंतरराष्ट्रीय नज़रिये की चर्चा करूंगा। तदनंतर, मैं वह ढांचा प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा जिसके तहत राष्ट्रीय नीति और ग्यारहवीं योजना के प्रस्तावों को आकार दिया जा रहा है और उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है।

### ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

#### अर्थशास्त्र में उपभोक्ता

उपभोक्ता आंदोलन की संहिता उतनी ही पुरानी है जितनी कि व्यापार और वाणिज्यकी। अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि महान विचारक और अर्थशास्त्र के रचयिता ने अपनी पुस्तक में उपभोक्ताओं के संरक्षण का उल्लेख प्रचुरता से किया है। कौटिल्य ने व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ताओं के खिलाफ़ किए जाने वाले अनुचित व्यवहारों का उल्लेख किया है। उन्होंने कम तोल और मिलावट की समस्याओं के बारे में बड़ी गहराई से विवेचना की है। इन अपराधों के लिये दंड देने की आवश्यकता को भी उन्होंने समझा है। अतः स्पष्ट है कि हम जिन समस्याओं से आज जूझ रहे हैं, वे सदियों पहले भी मौजूद थीं। न केवल वे मौजूद थीं, बल्कि सार्वजनिक प्रबंध कर्ताओं (तत्कालीन राजकीय अधिकारी) ने इन समस्याओं के बारे में कुछ किए जाने की आवश्यकता भी महसूस की।

### गांधीजी की नज़र में उपभोक्ता

गांधीजी न केवल एक महान नेता थे, वरन एक दूरदर्शी विचारक भी थे। कमज़ोर, वंचित और हाशिये पर खड़े लोगों के प्रति उनकी समानुभूति से सभी परिचित हैं। उन्होंने आर्थिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में उपभोक्ता के हितों पर ध्यान देने की आवश्यकता को साफ़तौर पर महसूस किया। उनकी प्रसिद्ध उक्ति यहां दोहराने लायक है :

“उपभोक्ता हमारे परिसर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उस पर निर्भर हैं। उससे हमारे काम में रुकावट नहीं आती; वह तो हमारा उद्देश्य है। वह हमारे कारोबार से अलग नहीं; बल्कि उसका हिस्सा है। उसकी सेवा कर हम उस पर कोई एहसान नहीं करते; बल्कि हमें ऐसा अवसर देकर वह हम पर एहसान करता है।”

इसप्रकार, उपभोक्ता का संतोष और उपभोक्ता का संरक्षण भारत के लिये कोई नयी बात नहीं है, और इसे हमेशा ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा समझा जाता रहा है।

### अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इन विचारों का अभ्युदय सारे

संसार में हुआ। उपभोक्ताओं के चार अधिकारों के संबंध में जॉन एफ. कैनेडी के एक प्रसिद्ध भाषण की भी चर्चा की जाती है। सरकार से परे कुछ अन्य प्रमुख चिंतकों ने भी इस पर विचार करना शुरू किया। माइकेल पोर्टर ने अपनी पुस्तक *दि कंपटीटिव एडवांटेज ऑफ़ नेशंस* में वर्णित डायमंड मॉडल के रूप में उपभोक्ताओं की भूमिका को स्वीकार किया। यह बात स्वीकार की गई कि जिन देशों के उपभोक्ता कुछ ज्यादा की मांग करते हैं, वहां का उत्पाद बेहतर होता है। इससे इन देशों को प्रतिस्पर्धा में बढ़त प्राप्त होती है। अतः सर्वोत्तम गुणवत्ता से न केवल उपभोक्ता का भला होता है बल्कि उससे उत्पादकों का भी फायदा होता है। इस प्रकार पोर्टर के अनुसार, “असंतुष्ट उपभोक्ता, राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिये आवश्यक अवयव हैं।”

प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हित परस्पर विरोधी होते हैं। यदि किसी बात से उपभोक्ता का लाभ होता है तो समझा जाता है कि उत्पादक

को उससे हानि हुई है और यदि उपभोक्ता को हानि हुई है तो मान लिया जाता है कि उत्पादक का फायदा हुआ है। इस प्रकार, उपभोक्ता और उत्पादक के बीच संबंध शून्य पर समाप्त होने वाले खेल जैसा माना जाता है। परंतु यह सही नहीं है। जैसा कि पोर्टर ने जोर देते हुए कहा है, माल और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार से दोनों को ही फायदा होता है। हो सकता है कि कुछ मामलों में उपभोक्ताओं को उत्पादकों अथवा व्यावसायियों ने ठगा हो – लेकिन यह विकास और वृद्धि का संपोषणीय मॉडल नहीं है। रातों-रात अमीर बनने का ख्वाब देखने वाले कुछ व्यापारी ही ऐसा करते हैं। गंभीर और पक्के व्यवसायी को अपने उपभोक्ता को प्रसन्न और संतुष्ट रखने के लिये कुछ ज्यादा ही निवेश करना पड़ेगा।

इस पृष्ठभूमि के बाद, मैं अब उपभोक्ता संरक्षण की ठोस नीति का ढांचा पेश करूंगा। उसके बाद नीतिगत ढांचा और ग्यारहवीं योजना के बारे में चर्चा की जाएगी।

#### उपभोक्ता का हक और सशक्तीकरण

भारतीय उपभोक्ताओं को मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं की विविधता में लगातार वृद्धि हो रही है। ग्राहक के समक्ष चुनने के लिये अब अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। स्पर्धा के कारण मूल्य गुणवत्ता की स्वीकार्यता अब ग्राहकों की पसंद के हिसाब से तय हो सकेगी। जब तक उपभोक्ताओं को समय पर विश्वसनीय सूचना नहीं उपलब्ध होगी, वे सही चुनाव नहीं कर सकेंगे। उपभोक्ता चूंकि असंगठित समूह की तरह होते हैं, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि बाजार में उपलब्ध बेहतर सूचनाओं को सही ढंग से उपलब्ध कराए। इस प्रकार, हमारी नीति के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में एक यह भी है कि उपभोक्ताओं तक इस तरह की सूचनाएं आवश्यक रूप से पहुंच सकें।

हम जो उपाय अपना रहे हैं उनमें पहला यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता जो वस्तु खरीद रहा हो, उसके बारे में कुछ बुनियादी सूचना उसको मिल सके। मापतौल मानक विधेयक, 1976 बाजार में बिकने वाली चीजों की नाप-तौल को विश्वसनीय ढंग से सुनिश्चित करने का वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। केंद्र और राज्यों में वैधानिक माप विज्ञान विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन मशीनों पर विभाग की शुद्धता (सही होने) की मुहर लगी

होती है, उन्हीं को नाप-तौल के लिये उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के तहत बने डिब्बाबंद सामग्री नियमों के अनुसार सभी पैकटबंद वस्तुओं पर मात्रा, अधिकतम खुदरा मूल्य, निर्माता/आयातक का नाम-पता, शिकायत/सहायता के लिये हेल्पलाइन नंबर सहित कतिपय बुनियादी सूचनाएं देना ज़रूरी होता है। इन नियमों के पूरक के तौर पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, औषधि और सौंदर्य सामग्री अधिनियम जैसे कुछ और कानून भी बनाए गए हैं, जिनके तहत संघटकों, कालातीत अथवा उपयोग के लिये सर्वोत्तम तिथि जैसी अतिरिक्त जानकारी देनी होती है।

हमारी नीति के इस पहलू का दूसरा भाग मानकों का निर्धारण करना है। यह काम भारतीय मानक ब्यूरो करता है, जो भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 1976 के तहत बनी एक वैधानिक संस्था है। अधिकांश मानक स्वैच्छिक होते हैं परंतु कुछ अनिवार्य हैं। जिन वस्तुओं के उपभोग से स्वास्थ्य और जान को खतरा हो सकता है, उनको अनिवार्य बनाने पर विचार किया जा रहा है। पेयजल और विद्युत उपकरण दो ऐसी चीजें हैं जिनका निर्माण बीआईएस के लाइसेंस के बगैर नहीं किया जा सकता है। इन वस्तुओं पर तब आईएसआई का चिह्न लगाया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को पता हो कि कतिपय सुरक्षा मानक सुनिश्चित किए गए हैं।

इस प्रकार, वैधानिक माप विज्ञान विभाग और बीआईएस की सहायता से उपभोक्ताओं को गुणवत्ता, मूल्य, मात्रा और अन्य महत्वपूर्ण प्राचलों की जानकारी प्रदान की जाती है ताकि वे सही चुनाव कर सकें। इससे उपभोक्ता को अपने हक के बारे में जानने का अवसर मिल सकेगा ताकि वह निश्चित हो सके कि उसके अधिकारों की रक्षा हो रही है।

#### उपभोक्ता जागरूकता

उपर्युक्त ढांचा जहां उपभोक्ता की हकदारी तय करता है, वहीं यह उतना ही ज़रूरी है कि उपभोक्ताओं को इन अधिकारों की जानकारी दी जाए। इसलिये सतत जागरूकता अभियान निहायत ज़रूरी है। इसका उद्देश्य कि उपभोक्ताओं को यह बताना है कि उन्हें क्या और किस तरह की अपेक्षा करनी चाहिए और अपने अधिकारों के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिये वे क्या कर सकते हैं।

उन्हें स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों का समर्थन देना होगा। ये संगठन ऐसे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन और समर्थन कर सरकार के प्रयासों को पूरा करते हैं। जिन उपभोक्ताओं के पास सूचनाएं प्राप्त करने के संसाधन नहीं होते, उन्हें वह उपलब्ध कराना होगा।

#### शिकायत निवारण

जब कोई उपभोक्ता विक्रेता द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और वस्तुओं को पसंद नहीं करता, तो उसे अन्य विक्रेताओं के पास जाना चाहिए। परंतु अधिकांश मामलों में उपभोक्ता को खरीदने के बाद खराबी का पता चलता है या फिर, उसको लेते समय उसे ऐसे किसी आधारभूत दोष का पता चलता है, जो कानून का उल्लंघन करता है। इस तरह के मामलों में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां उपभोक्ता को राहत मिल सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 इसका ढांचा प्रदान करता है। अधिनियम के तहत, जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतें गठित की गई हैं। जिला स्तर की अदालत का अधिकार क्षेत्र 20 लाख रुपये, जबकि राज्य स्तर की अदालत का एक करोड़ रुपये है। उससे ऊपर के सभी मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग में होती है। अधिनियम में उन सभी गतिविधियों को स्पष्ट किया गया है जिनके विरुद्ध उपभोक्ता राहत की मांग कर सकते हैं। इन अदालतों ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

#### ग्यारहवीं योजना कार्यक्रम

ग्यारहवीं योजना में उपभोक्ता मामलों के विभाग की नियोजित गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई है। निम्नलिखित तालिका से इसका पता भलीभांति हो जाता है :

तालिका

परिव्यय	दसवीं योजना (करोड़ रु.)	ग्यारहवीं योजना (करोड़ रु.)
नियोजित परिव्यय	55	1083
संशोधित परिव्यय	285.27	अनुपलब्ध
वास्तविक व्यय	257.42	268 (31.3.09 तक अपेक्षित)

इस प्रकार, योजना के प्रथम दो वर्षों में ही हम उतना व्यय कर चुके होंगे जितना दसवीं योजना की पूरी अवधि में नहीं हुआ था। दसवीं योजना में भी, पूर्व नियोजित राशि से अधिक का व्यय हुआ था। ग्यारहवीं योजना की शेष अवधि में हम औसतन प्रतिवर्ष समूची दसवीं योजना में खर्च की गई राशि से अधिक व्यय करेंगे।

ग्यारहवीं योजना की प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं :

### हम और सशक्तीकरण नाप-तौल

गतिविधि के स्तर पर विभाग के इस भाग में सबसे तेज़ी से वृद्धि हुई है। दसवीं योजना के कुल 7.7 करोड़ रुपये की तुलना में ग्यारहवीं योजना में कुल परिव्यय बढ़ कर 187 करोड़ रुपये हो गया है। ग्यारहवीं योजना के पहले वर्ष में ही 10.25 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और 2008-09 में 23.4 करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे। इस मामले में केंद्र और राज्यों में विभाग के आधुनिकीकरण पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कर्मचारियों के कौशल उन्नयन पर भी पर्याप्त निवेश किया जाएगा। कानूनी ढांचे में सुधार लाकर इसे और भी सुदृढ़ बनाने का प्रयास हो रहा है। इस संबंध में एक नया विधेयक - वैधानिक माप विज्ञान विधेयक, 2008 राज्य सभा में 24 अक्टूबर, 2008 को पेश किया गया है।

### मानक और परीक्षण

राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणाली को सुधारने, मानकों के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की ख़ैरख़बर रखने, बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं आदि के लिये एक योजना के तहत बीआईएस का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। दसवीं योजना के 5.75 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के मुकाबले

ग्यारहवीं योजना में कुल योजना परिव्यय 120 करोड़ रुपये का होगा। बीआईएस अधिनियम, 1986 में भी कुछ परिवर्तन करने के बारे में विचार किया जा रहा है। इसके लागू होने के बाद से अब तक इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। आशा है कि इन परिवर्तनों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेज़ी से हो रहे बदलावों को अपनाने में ज्यादा लचीलापन आ सकेगा।

विभाग के पास राष्ट्रीय परीक्षण सदन (एनटीएच) नाम की एक परीक्षण सुविधा भी है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। उसकी प्रयोगशालाएं देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। ग्यारहवीं योजना में इन प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिये 75 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जबकि दसवीं योजना में कुल 25 करोड़ रुपये रखे गए थे।

### उपभोक्ता जागरूकता और शिकायत निवारण प्रचार

उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी देने और शिकायतों के निवारण के तौर-तरीके बताने पर काफी जोर दिया जा रहा है। अपने विभाग की गतिविधियों से आगे बढ़कर, ग्यारहवीं योजना में आवास, दूरसंचार, शिक्षा, ऊर्जा आदि अन्य विभागों का प्रचार भी किया जाएगा। इस अभियान की मुख्य विषय-वस्तु 'जागो ग्राहक जागो' है जो आजकल काफी लोकप्रिय है। इस कार्य पर कुल 409 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जबकि दसवीं योजना में 148 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

### उपभोक्ता संरक्षण

इस अवयव के अंतर्गत भवन, कंप्यूटरीकरण, प्रशिक्षण आदि प्रदान कर विभिन्न उपभोक्ता मंचों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं के मार्गदर्शन के लिये राज्यों में

हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। अभी तक देश में केवल एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन ही है जो दिल्ली में काम करती है। इन गतिविधियों के लिये 185 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं जबकि दसवीं योजना में कुल 90 करोड़ रुपये का प्रावधान था। ग्यारहवीं योजना की गतिविधियों को और भी आगे बढ़ाने के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन का भी प्रस्ताव है। आशा है कि इन संशोधनों और योजना गतिविधियों से विलंब कम होगा और उपभोक्ता को अधिक जानकारी आसानी से मिल सकेगी।

### गैरयोजना गतिविधियां

इन योजना गतिविधियों के पूरक के तौर पर गैरयोजना गतिविधियां चलाई जाती हैं। इस संबंध में, तुलनात्मक परीक्षण, जागरूकता पैदा करने, अनुसंधान और उपभोक्ता सहायता आदि जैसी गतिविधियों के संचालन में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की सहायता के लिये उपभोक्ता कल्याण कोष का उपयोग करना प्रमुख है।

यह स्पष्ट है कि ग्यारहवीं योजना में हमने इस विभाग के विस्तार और आधुनिकीकरण का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया है। इसके तहत उपभोक्ता संरक्षण की नीति के सभी पहलुओं, जैसे अधिकारिता, सशक्तीकरण और शिकायत निवारण सभी पर ध्यान दिया जाएगा। प्रौद्योगिकी के प्रसार के कारण सूचना का आदान-प्रदान और संपर्क अब अधिक आसान हो गया है। देश में और आयात में भी सामग्रियों और उपभोक्ताओं के बीच अब अधिक प्रतिस्पर्धा है। गांधीजी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में यह सब शुभ लक्षण की तरह लगता है। □

(लेखक उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सचिव हैं।  
ई-मेल : secy\_ca@nic.in)

## अपने लेख हमें ई-मेल करें

आप हमें अपने लेख और पत्र ई-मेल भी कर सकते हैं। ई-मेल करने इसके लिये कृतिदेव फांट इस्तेमाल करें और वर्ड ओपन फाईल [exeed.yojana@gmail.com](mailto:exeed.yojana@gmail.com) अथवा [yojanahindi@gmail.com](mailto:yojanahindi@gmail.com) पर भेजें। एक से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार अथवा फोन न करें। विशेष अवसरों के लिये लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। डाक से भेजे जाने वाले लेखों की एक प्रति सीडी में भी भेजें। वापसी के लिये कृपया टिकट लगा और पता लिखा लिफाफा संलग्न करें।

- वरिष्ठ संपादक

# उपभोक्ता कानूनों का विकास

● एम.के. सिंह

**आ**म धारणा है कि उपभोक्ता ही यह तय करते हैं कि किस चीज़ का निर्माण होगा, उत्पादों का मूल्य क्या होगा और आपूर्ति प्रणाली किस प्रकार बनाई जानी चाहिए। इसके बावजूद, 'बेचारा' उपभोक्ता जब ठगा जाता है, तो कुछ भी नहीं कर पाता। आमतौर पर वह शक्तिशाली और साधन-संपन्न निर्माता के आगे बौना साबित होता है। वह प्रायः हर जगह और हर दिन ठगा जाता है। परंतु भला हो सरकार का, कि देश में उपभोक्ता कानून बन गए हैं और उपभोक्ता शिक्षा पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है ताकि लोग उपभोक्ता के तौर पर अपने अधिकारों को समझ सकें और अपनी शिकायत का निवारण कर सकें। असहाय उपभोक्ता ज्यादातर चुपचाप सब सहते रहते हैं और नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ता शिक्षण पर ज़ोर देता है, जो उपभोक्ता का बुनियादी

अधिकार है।

वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पर आपको कुछ अधिकार भी मिलते हैं। प्रथमतः तो उन वस्तुओं की मात्रा और गुणवत्ता की अपेक्षा का अधिकार है जो आपने खरीदते समय मांगी थी। उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के बारे में जितने भी कानून हैं, 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए), संभवतः उनमें सबसे महत्वपूर्ण है और आपके अधिकारों के हनन के विरुद्ध आपको सबसे व्यापक संरक्षण प्रदान करता है।

सीपीए के बनने के बाद विधायी प्रणाली में एक क्रांति का अनुभव हुआ। इसे उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिये विशेष रूप से तैयार किया गया था। यह आलेख आधुनिक भारत में उपभोक्ता कानूनों के विकास के विश्लेषण का एक विनम्र प्रयास है। साथ ही, सीपीए 1986 के कानूनी ढांचे पर चर्चा का प्रयास है। इस कानून ने देश में एक नयी वैधानिक संस्कृति के विकास को दिशा दी है।

ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कानूनी प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और आधुनिक प्रणाली की शुरुआत न्याय दिलाने के लिये की गई। पचास वर्ष से भी अधिक समय

तक, 1930 का माल विक्रय कानून (एसजीए) ही उपभोक्ता संरक्षण का एकमात्र साधन था। अनेक लोगों के विचार में एसजीए 'एक प्रशंसनीय कानून' था। यह कानून 'क्रेता को ही सावधान रहना होगा' के सिद्धांत का अपवाद है और क्रेता के हितों को इसमें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। एसजीए 1986 में सीपीए के पारित होने तक, एकमात्र उपभोक्ता कानून था। एसजीए में प्रदत्त निदानों को सीपीए में और आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अपराध न्याय प्रणाली के भीतर, भारतीय दंड संहिता, 1986 में मिलावटी और हानिप्रद खाद्य अथवा पेय पदार्थों या दवाओं के विक्रय और फर्जी नाप-तौल जैसे उपभोक्ता अपराधों से निपटने के लिये अनेक प्रावधान हैं। स्वतंत्रता के बाद उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए अन्य कानूनों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और 1976 का माप-तौल मानक अधिनियम प्रमुख हैं। संविदा और फौजदारी कानूनों में उपलब्ध उपायों के अलावा, उपभोक्ताओं को संविदा भंग कानून के तहत भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। परंतु संविदा और संविदा भंग कानूनों के तहत दकियानूसी कानूनी आवश्यकताओं और नीति निर्धारकों में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति बढ़ रही भावनाओं के कारण उन्हें उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिये विशिष्ट कानून बनाने के लिये विवश होना पड़ा। सीपीए इसलिये बनाया गया ताकि देश के लाखों उपभोक्ताओं को 'सस्ता, सरल और त्वरित' न्याय मिल सके। उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि सीपीए ऐसा न्याय सुनिश्चित करने के मजबूत इरादे से बनाया गया था "जिसमें

औपचारिकता कम हो, कागज़ी कार्रवाई अधिक न हो, देरी न हो और जो कम खर्चीला भी हो।” उपभोक्ता आंदोलन से जुड़े एक कार्यकर्ता के अनुसार, “इस कानून में उचित मूल्य पर सुरक्षित, शुद्ध (बिना किसी मिलावट के) और दोषमुक्त वस्तुएं प्राप्त करने के अधिकारों जैसी उपभोक्ताओं की मांग की चिंताओं पर खासा ध्यान दिया गया है।”

कम खर्चीला होने के कारण उपभोक्ताओं में लोकप्रिय यह महत्वपूर्ण कानून लोगों में कानूनी जागरूकता पैदा करने में सफल रहा है। इस कानून के कारण उपभोक्ता से जुड़े मुद्दों पर लोग अब पारंपरिक अदालतों का रुख नहीं करते। सीपीए के बनने के बाद, जिस प्रकार और जिस संख्या में लोग उपभोक्ता अदालतों में जा रहे हैं, उसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि उपभोक्ता न्याय के क्षेत्र में ‘न्यायिक लोकवाद’ आ गया है। सीपीए की महानता उसके लचीले कानूनी ढांचे, व्यापक कार्यक्षेत्र, और सस्ते न्याय में निहित है। अधिनियम के तहत उपभोक्ता समूह, केंद्रीय अथवा कोई राज्य सरकार, कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिये सक्षम है।

सीपीए में जो नयी बात है वह यह कि इसके दायरे में वस्तुओं और सेवाओं, दोनों को शामिल किया गया है और यह दोषपूर्ण वस्तुओं के अलावा दोषयुक्त सेवाओं से संबंधित मामलों के लिये भी मुकदमा चलाने का अधिकार उपभोक्ता को देता है। सीपीए के तहत कार्यवाही और प्रक्रिया संबंधी ज़रूरतों के मामले में काफी लचीले नियम बनाए गए हैं और न्याय पाने के लिये सादे और सरल तरीके अपनाए गए हैं। उपभोक्ता को केवल नाममात्र का शुल्क चुकाना होता है और उसे दूसरे पक्ष को कोई नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं होती। उपभोक्ता अदालत को भेजा गया सादा-सा पत्र ही कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिये काफी होता है। इसमें प्रक्रिया संबंधी एक और उल्लेखनीय लचीलापन यह है कि उपभोक्ता के पास यह विकल्प है कि वह चाहे तो वकील करे या स्वयं ही अपनी पैरवी करे। वह अदालत में स्वयं ही अपना पक्ष रख सकता है।

अधिनियम के अंतर्गत गठित उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां यथा, राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तरीय आयोग और जिला मंच (फोरम), सब मिलकर उपभोक्ताओं को समय पर सस्ता

और शीघ्र न्याय दिलाने के लिये काम करते हैं। इसने एक प्रकार से कानूनी प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। सीपीए की बदौलत अदालतों में जाना आसान हो जाने से उपभोक्ता अब बेहिचक होकर बेईमान व्यापारियों अथवा सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध कानूनी लड़ाइयां लड़ते हैं।

सीपीए के तहत बने उपभोक्ता मंच प्रभावी साबित हुए हैं। मामूली कानूनी औपचारिकताओं के साथ वे हज़ारों मामले निपटा रहे हैं और भारत में सुदृढ़/सुगठित उपभोक्ता न्याय प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। दीवानी न्यायिक प्रणाली में अनेक खामियां हैं जिससे उपभोक्ता कानूनी रास्ता अपनाने से हिचकता है। परंतु, सीपीए लाखों उपभोक्ताओं को सरल न्याय दिला रहा है। इसने अपनी कम खर्चीली व्यवस्था और लोगों के समर्थन से कानूनी प्रणाली को आमूल-चूल बदल दिया है। उपभोक्ताओं के इस युग में भारतीय बाज़ारों पर उपभोक्ता कानूनों का राज निस्संदेह कायम रहेगा और मौजूदा भारतीय कानूनी संरचना को एक नया रूप प्रदान करेगा। सीपीए विभिन्न प्रकार के शोषणों और अनुचित व्यवहार से उपभोक्ताओं को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है। यह दंडात्मक दृष्टिकोण अपनाने की बजाय मुआवज़ा दिलाने की पद्धति पर विश्वास करता है। जब तक विशेष रूप से छूट न दी गई हो, यह कानून सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। इसके दायरे में निजी, सरकारी और सहकारी सभी क्षेत्र आते हैं तथा इसके तहत शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाया जाता है।

विश्व के उपभोक्ताओं के बहुमत का आश्रय स्थल भारत, नये वैधानिक नवाचारों के माध्यम से उपभोक्ताओं के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। उपभोक्ता संरक्षण को सर्वोपरि मानते हुए सरकार ने मौजूदा उपभोक्ता कानूनों में व्यापक परिवर्तन किए हैं। सीपीए में भी संशोधन किए गए हैं जिसका उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण के दायरे को व्यापक और सुदृढ़ बनाना है। नागरिक सशक्तीकरण की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जाता है। नये प्रस्तावों का उद्देश्य आपको वह शक्ति प्रदान करना है जिससे आप नगरपालिका अधिकारियों को, यदि वे मार्ग प्रकाश, पेयजल, जल निकासी और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं के क्षेत्र में गफलत करते हैं, उपभोक्ता अदालतों में घसीट सकें। सीपीए में

प्रदत्त संरक्षण के दायरे के विस्तार हेतु लाए जा रहे संशोधन में उपभोक्ता की परिभाषा को व्यापक रूप देते हुए उसमें ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है जिनके लिये राहत केवल दीवानी न्यायालयों में ही मिल सकती है।

सरकार उपभोक्ताओं को यह अधिकार भी देना चाहती है कि वे सेवा प्रदाताओं को उनकी व्यक्तिगत जानकारी विक्रय प्रतिनिधियों को देने के लिये उन पर मुकदमा चला सकें। दूसरे शब्दों में, वे लोग जो बैंकों और बीमा कंपनियों से बार-बार आने वाले फोन से दुखी हैं, उनके पास शीघ्र ही यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वे उनकी व्यक्तिगत जानकारी दूसरों को देने के लिये अपने सेवा प्रदाता को अदालत में घसीट सकें। जानोमाल के लिये खतरनाक वस्तुओं से नागरिकों को संरक्षण प्रदान करने और मूल्य और गुणवत्ता के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने में उनकी सहायता के लिये उपभोक्ताओं के अधिकारों को निर्धारित करने का भी प्रस्ताव है।

अन्य अभिनव उपायों में प्रमुख है कि कंपनी इस बात पर जोर नहीं दे सकती कि मुकदमा उसकी पसंद की अदालत में ही चले। उपभोक्ता को यह तय करने का अधिकार दिया गया है कि वह मुकदमा कहाँ चलाना चाहता है। कोई भी निवेशक, आवेदित शेरों के आवंटन न होने और उसके लिये भुगतान किए गए पैसों को न लौटाने पर उपभोक्ता अदालत जा सकता है। वर्तमान में उसे राहत के लिये दीवानी अदालत जाना पड़ता है। नये प्रस्ताव के फलस्वरूप भविष्य में जानोमाल के लिये खतरनाक सामान के निर्माता के खिलाफ़ मुकदमा चलाया जा सकता है।

संशोधनों में ज़मीन-जायदाद के डेवलपर्स को व्यापारियों के वर्ग में शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि उन पर भी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा चलाया जा सके। ई-कॉमर्स साइट्स अथवा टेलीमार्केटिंग के जरिये विदेशों से काम करने वाली एजेंसियां अब तब तक अपना सामान नहीं बेच सकेंगी, जब तक वे भारत में अपना कार्यालय नहीं खोलतीं या फिर एजेंट नियुक्त नहीं करतीं। विदेशी विक्रेताओं को विक्रय प्रस्तावों में अपने कार्यालय अथवा एजेंट का विवरण देना होगा ताकि उपभोक्ता आवश्यक होने पर शिकायत दर्ज करा सके। ई-कॉमर्स और सेवा

प्रदाताओं को उन उपभोक्ताओं को 30 दिनों में पैसा वापस करना पड़ेगा, जिन्हें खरीदने से पहले सामान को देखने का अवसर नहीं मिला और सामान अथवा सेवा में दोष पाया गया हो। आपको विश्वविख्यात खिलौना निर्माता 'लियो मैटेल' का नाम याद होगा जिन्हें विश्वभर के बाजारों से बार्बी गुड़ियों को वापस लेना पड़ा था क्योंकि उन पर ऐसा पेंट लगाया गया था जिसमें जिंक की मिलावट खतरनाक स्तर तक की गई थी। केंद्र सरकार घटिया वस्तुओं से बचाव के लिये उपभोक्ताओं को इसी प्रकार का अधिकार देना चाहती है। ऐसे सख्त कानूनों पर काम चल रहा है। इनमें 'महत्वपूर्ण उत्पाद दायित्व धारा' शामिल होगी ताकि दोषी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को दंडात्मक हर्जाना देने की जवाबदेही बनती हो। इन प्रस्तावों से मौजूदा उपभोक्ता कानूनों में आमूल परिवर्तन आने की आशा है। प्रस्तावों में यह सिफारिश भी शामिल है कि उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण के लिये खतरनाक उत्पादों के लिये अनिवार्य मानक तय किए जाएं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, आईटी और दूरसंचार उत्पाद, चिकित्सकीय उपकरण, औद्योगिक और अग्निशमन उपकरण, हेलमेट और खाद्य-पदार्थों की पैकेजिंग में लगने वाली सामग्रियां शामिल हैं। इस बात को महसूस करते हुए कि गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाली एजेंसियों की शीर्ष नियामक संस्था - भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्वालिटी कौंसिल ऑफ इंडिया) में शक्ति का अभाव है, समूह ने 'राष्ट्रीय गुणवत्ता और मानकीकरण प्राधिकरण' के गठन की अनुशंसा की है। इसे आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के लिये स्वैच्छिक और स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले उत्पादों के लिये अनिवार्य मानक तय करने का अधिकार होगा। उपभोक्ता संरक्षण विधायी व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण गठित करने का सुझाव दिया है, जो एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार गतिविधि आयोग के समापन से रिक्त होने से आई कमी को पूरा कर सकेगा। इसे निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं की छलपूर्ण गतिविधियों और भ्रामक विज्ञापनों की जांच करने का अधिकार होगा। यद्यपि सरकार ने उत्पादन के सभी क्षेत्रों में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने

की इच्छा दिखाई है, उसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सीमित क्षेत्र में इसी प्रकार के कठोर कानूनों को लागू करने में कठिनाई आ रही है।

सरकार पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के मानक को निर्धारित करने वाले नियमों पर अभी भी काम कर रही है। इसीलिये नया खाद्य सुरक्षा अधिनियम अभी भी लटका हुआ है। इसमें राष्ट्रीय गुणवत्ता और मानकीकरण प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव किया गया है जो सभी प्रकार के सामग्रियों के लिये अनिवार्य और स्वैच्छिक मानक निर्धारित करेगा। इसके अलावा, उत्पाद दायित्व धारा का भी प्रस्ताव है जिसके तहत निर्माताओं को खतरनाक और घटिया उत्पादों के लिये भारी हर्जाना देने को कहा जा सकता है। प्रस्ताव में कच्चे माल और उससे बने खाद्य उत्पादों में कीटनाशक जैसे खतरनाक संदूषकों के लिये सीमा निर्धारित करने के सरकार के रुख को एक बार फिर दोहराया गया है।

परंतु उपभोक्ता को अधिकार प्रदान करने के प्रयासों को सरकारी विभागों और एजेंसियों से ही अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी क्षेत्र देश का सबसे बड़ा सेवा प्रदाता है जिसके हिस्से में 70-80 प्रतिशत बाजार आता है।

नये प्रस्तावों में उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा अधिनियम बनाया जाना है जिसके तहत खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर आपराधिक और दीवानी दायित्व लागू होगा। इसका उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं के मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर तक उन्नत बनाना है।

चूंकि उपभोक्ता कहलाने के लिये शुल्क चुकाना ज़रूरी है, नयी नीति में सेवा के लिये एक रुपये के भुगतान को भी शुल्क मान लिया गया है। इससे उसे शक्ति मिल सकेगी, क्योंकि सभी करों, प्रयोक्ता प्रभार और लेवी को उपभोक्ता शुल्क के रूप में माना जाएगा, जिसके कारण निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं सहित और अधिक सरकारी विभाग इसके दायरे में आ जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार, डाक और दूरसंचार विभाग, पासपोर्ट कार्यालय, नगरपालिका सेवाएं, सीजीएचएस और रेलवे इस कानून से छूट देने की मांग कर रहे हैं। उन्हें भय है कि उन्हें ढेरों मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। परंतु निजी क्षेत्र नीति का समर्थन कर रहा है क्योंकि वह भी ढेर सारी सरकारी सेवाओं का उपभोक्ता है।

डीसीए (उपभोक्ता मामलों का विभाग) ने पिछले दो वर्षों में उपभोक्ता नीति बनाने में अति सक्रिय भूमिका निभाई है। इस नीति को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 24 दिसंबर को अंगीकार किया जाना था, परंतु इसमें कुछ अड़चनों की खबर है। यद्यपि नागरिकों के सशक्तीकरण की दिशा में कानून (सीपीए) सफल रहा है, किंतु प्रणाली में कुछ खामियां घर कर गई हैं। पारंपरिक कानूनी प्रणाली जो पहले से ही लंबित मुकदमों से बोझिल है, उसे उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में मुकदमों के विस्फोट का अनुभव हो रहा है। खबरों के अनुसार, जून 2004 तक विभिन्न अदालतों में 3,59,469 मुकदमे लंबित थे।

बीस वर्षों से भी अधिक समय के पूर्व जब उपभोक्ता अदालतों का गठन हुआ था, उन्हें उन लोगों के लिये वरदान माना जाता था जिन्हें किसी उत्पाद या सेवा के विरुद्ध गंभीर शिकायतें थीं। परंतु उपभोक्ता अदालतें, जिन्हें न्यायपालिका का बोझ कम करने के लिये गठित किया गया था, आज स्वयं उसी बीमारी से ग्रस्त हैं - यानी ढेरों लंबित मुकदमे। यद्यपि कानून के अनुसार मुकदमा निपटाने की समय सीमा 90 दिन की निश्चित है, अनेक मुकदमे हैं जो पांच वर्ष से भी अधिक समय से खिंच रहे हैं। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के बाद से 45,798 मुकदमे दायर किए गए हैं। इस समय निपटारे के लिये 8,884 मुकदमे लंबित हैं। उपभोक्ता अदालतों के सामने लंबित मुकदमों की भारी संख्या को देखते हुए भारतीय वैधानिक प्रणाली को उपभोक्ता मामलों के शीघ्र निपटारे के लिये 'विकल्पों' के बारे में विचार करना पड़ रहा है।

उपभोक्ता आंदोलन दिन-दूनी रात-चौगुनी गति से बढ़ रहा है। सीपीए की धारा 20 में एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया है, जिसमें अध्यक्ष के अलावा चार अन्य सदस्य होंगे। सरकार ने उपभोक्ता मामलों की शीर्ष संस्था में 4 सदस्य जोड़ने का फैसला किया है - दो न्यायिक और दो प्रशासकीय। यह एक सराहनीय प्रयास है। परंतु दुख है कि काफी अरसा हो चुका है और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में इन पदों को अभी तक भरा नहीं गया है। □

(लेखक दिल्ली स्थिति वरिष्ठ पत्रकार हैं।  
ई-मेल : mk1371@gmail.com)

## विज्ञापन के कानूनी और नैतिक पक्ष

### ● शीतल कपूर

**क**्या हम विज्ञापनों से अपने आपको बचा सकते हैं? उपभोक्ताओं का हर दिन 1,500 से ज्यादा वाणिज्यिक विज्ञापनों से सामना होता है। अधिकतर कंपनियों के लिये यह सवाल नहीं होता कि उपभोक्ताओं को जानकारी दी जाए अथवा नहीं, बल्कि यह होता है कि क्या जानकारी दी जाए, कैसे दी जाए, किसे और अक्सर कैसे। अपने लक्षित बाजारों में पहुंचने और बाजार में विज्ञापनदाताओं की भीड़भाड़ के बीच ये कंपनियां कई बार सामाजिक एवं कानूनी मापदंडों तक का उल्लंघन कर जाती हैं।

विज्ञापन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, हम उससे प्रभावित होने से बचने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। विज्ञापन से समकालीन समाज की झलक मिलती है। एक विज्ञापन की कॉपी तैयार करते समय इसके संवाद, इसके चित्रों, विज्ञापित उत्पादों, उसमें इस्तेमाल आग्रहों या अपील पर सामाजिक विशिष्टता का असर होता है। विज्ञापन समाज को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता है। इसलिये यह ज़रूरी है कि इस हथियार का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाए ताकि सामाजिक मूल्यों पर उसके क्षयकारी प्रभावों से बचा जा सके।

हालांकि विज्ञापन विभिन्न समूहों के लिये उपयोगी लगते हैं, परंतु अक्सर ये सवाल किए जाते हैं कि क्या यह वर्गीय जागरूकता, भौतिकवाद, अनावश्यक ज़रूरत, मांग तथा दूसरे ऐसे मूल्य पैदा करते हैं जो व्यापक रूप से स्वीकार्य नहीं।

#### कब विज्ञापन भ्रामक बन जाते हैं

भारतीय संविधान ने अभिव्यक्ति की आज़ादी की गारंटी दी है। वाणिज्यिक भाषणों में विशेष सावधानी की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें विज्ञापन भी शामिल है। कोई विज्ञापन तब भ्रामक बन जाता है जब उससे लोग गुमराह होते हैं, वह

वास्तविकता के उलट होता है और खरीदारी के व्यवहार को प्रभावित करता है। फेडरल ट्रेड कमीशन, अमरीका के अनुसार, भ्रम की स्थिति तब पैदा होती है जब -

- ग़लत ढंग से विषयवस्तु की प्रस्तुति की जाए, कोई चूक हो, अथवा ऐसा व्यवहार हो जिससे उपभोक्ताओं के गुमराह होने की संभावना हो।
- उपभोक्ता खास परिस्थिति में जिम्मेवारी के साथ खरीदारी करता हो।
- वाणिज्यिक व्यवहार तब भौतिक बन जाता है और उपभोक्ताओं को हानि संभव है जब यदि कोई छल न किया गया होता तो उपभोक्ताओं ने भिन्न ढंग से चुनाव किया होता। छल तब होता है जब विज्ञापन दर्शकों के सामने इस ढंग से पेश किए जाते हैं जिससे वास्तविक स्थिति से बोधात्मक प्रक्रिया का परिणाम भिन्न हो। इसमें ग़लत ढंग से प्रस्तुति, चूक अथवा ऐसा व्यवहार शामिल है जो गुमराह करता हो। इनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :
  - उपभोक्ताओं के सूचना प्राप्ति के अधिकार का उल्लंघन : खरीदारों में विश्वास जमाने के लिये नकली कागज़ात का इस्तेमाल, भ्रामक मूल्य का जिक्र, प्रतिद्वंद्वी उत्पादों के बारे में अपमानजनक रूप से भ्रम पैदा करना ऐसे कुछ उदाहरण हैं। बुढ़ापा रोकने वाले क्रीम के विज्ञापन, सुंदरता निखारने वाले क्रीम, रूसी रोकने वाले शैम्पू, विटामिनों के उत्पादकों अथवा पोषक तत्वों के उत्पादकों को आमतौर पर बढ़ा-चढ़ा कर दावे करने का दोषी पाया गया है। ऐसे कुछ विज्ञापनों के उदाहरण निम्नलिखित हैं :
  - एक सौंदर्य क्रीम का विज्ञापन इस दावे के साथ किया जाता है कि इसका इस्तेमाल करने वाले एक महीने के भीतर सुंदर चमड़ी

वाले बन जाएंगे।

- पारले-जी ओरिजनल ग्लूको बिस्कुट अपने पैकेटों पर यह दावा करता है कि यह दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्कुट है। कुछ वित्तीय संस्थाओं द्वारा एक खास समय के भीतर कोई ठोस आधार बताए बिना राशि दुगुनी करने संबंधी विज्ञापन भी कपटपूर्ण हैं।
- अनेक कॉलेज अपनी प्रोस्पेक्टस में यह ग़लत जानकारी देते हैं कि उनकी संस्था खास विश्वविद्यालय से संबद्ध और मान्यताप्राप्त है। भूपेश खुराना बनाम विश्व बुद्ध परिषद के मामले में बारह छात्रों द्वारा मामला दायर किया गया था कि विश्व बुद्ध परिषद बुद्धिष्ट मिशन डेंटल कॉलेज द्वारा संचालित बीडीएस पाठ्यक्रम के आवेदन के लिये जो विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था उसके प्रोस्पेक्टस में यह धारणा कायम की गई थी कि वह मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबद्ध है और भारतीय डेंटल परिषद से उसे मान्यता प्राप्त है जबकि यह जानकारी सिरसे से ग़लत थी। कॉलेज को अकुशल मानते हुए राष्ट्रीय आयोग ने उसे निर्देश दिया था कि वह 12 प्रतिशत ब्याज राशि के साथ उन छात्रों से लिये गए नामांकन शुल्क लौटा दे।
- उपभोक्ताओं के सुरक्षा के अधिकारों का उल्लंघन : जब कोई तेल उत्पादक कंपनी अपने विज्ञापन में यह दावा करती है कि इसके इस्तेमाल से हृदय की बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी तो वह तथ्यों को ग़लत ढंग से पेश करना माना जाएगा। कई कंपनियां अपने उत्पाद के विज्ञापनों में स्वास्थ्य को रोगमुक्त करने तथा दवा की प्रभावोत्पादकता की बातों पर जोर डालते हुए विज्ञापन प्रकाशित करती हैं। इसी तरह के विज्ञापन के झांसे में आकर या जिसमें किसी की भी ऊंचाई बढ़ाने का दावा किया गया था, वर्ष 8 की एक छात्रा नादिया ने, जो 135 सेमी.

उंचाई वाली थी, 24 जुलाई, 1996 को फातिमा हॉस्पिटल में अपनी सर्जरी के लिये दाखिला लिया। सर्जरी की गई तथा पैरों में एक रिंग फिक्सर लगा दिया गया जिसे हर 6 घंटे पर पुनर्निर्धारित करना था। नादिया को तब निराशा हुई जब उसने पाया कि उसका बायां पैर आधा इंच छोटा हो गया है जिससे उसे चलने में दिक्कत होने लगी। 1996 के सितंबर तक उसका दर्द बढ़ गया। वह 1998 के मार्च तक बिछावन पर पड़ी रही। आयोग ने पाया कि अस्पताल और डॉक्टरों ने लापरवाही की तथा उनकी सेवा माकूल नहीं थी। आयोग ने उन्हें निर्देश दिया कि वे 5 लाख रुपये के साथ 2 हजार रुपये हजने का भुगतान शिकायतकर्ता को करें।

● **उपभोक्ताओं की पसंद के अधिकार का उल्लंघन :** जब खरीदारी के फ़ैसलों को प्रभावित करने वाले तथ्यों का विज्ञापन में उल्लेख नहीं किया जाए तो वह छलपूर्ण माना जाएगा। अनेक विज्ञापनों में यह कहा जाता है कि इन पर शर्तें लागू हैं परंतु उन शर्तों का उल्लेख नहीं किया जाता है। तथ्यों का जिक्र नहीं करना भी छल माना जाएगा। उदाहरण के लिये वीडियोकॉन के ताज़ा विज्ञापन में इस बात का जिक्र था कि एक टन का स्पिलिट एसी 15,990 रु. में उपलब्ध है। यह काफी आकर्षक पेशकश थी। परंतु छोटे अक्षरों में एक तरफ \* चिह्न भी अंकित था, जिसमें तीन बातों का उल्लेख था। वे बातें थीं :

जो शर्तें लागू होंगी -

ये मूल्य दिल्ली तथा एनसीआर में सिर्फ विनिमय की स्थिति में ही लागू होंगी।

वास्तविक उत्पाद पेशकश वाले उत्पादों से भिन्न हो सकते हैं।

ऐसे विज्ञापन उपभोक्ताओं से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के कारण सिर्फ भ्रामक हैं। दुकानों के बारे में छपने वाले विज्ञापनों में उसके कुछ कुप्रभावों का जिक्र नहीं होता जिनका असर इस्तेमाल से पड़ता है।

● **बच्चों को लक्ष्य करके छपे विज्ञापन**

भारत के कुल बच्चों का प्रतिशत विश्व के बच्चों का 18.7 है। हमारे देश की 15 साल से कम उम्र की आबादी का एक तिहाई हिस्सा बच्चों का है। इस तरह हमारी कुल आबादी का

30 प्रतिशत बच्चों का है। उनकी संख्या में 4 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। इसका यह अर्थ हुआ कि 3,000 लाख अर्थात् 30 करोड़ की बड़ी आबादी विज्ञापनदाताओं के लिये उपलब्ध है और ये विज्ञापनदाता बच्चों के लिये निर्धारित चैनलों पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

एसी नीलसन यूटीवी के पार्टनर ने अपने सर्वेक्षण के दौरान यह पाया कि सप्ताहभर के दौरान औसत एक बच्चा क़रीब तीन घंटे तथा सप्ताहांत में 3.7 घंटे टीवी देखता है। जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है टीवी देखने का उसका समय बढ़ता जाता है। सभी उम्र समूह वाले हिंदी भाषा के कार्यक्रमों को ज्यादा पसंद करते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा बच्चे काफी संख्या में विज्ञापन भी देखते हैं।

● **विज्ञापन संबंधी अति प्रशंसा**

इसका यह मतलब है कि हानिरहित सर्वोत्तम शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। विज्ञापनदाता इन शब्दों का इस्तेमाल अपने उत्पादों के गुणगान के लिये करते हैं (श्रेष्ठ, उत्तम, पहले दर्जे का आदि)। कानून में भी व्यापारिक गुणों के बखान की इजाजत है। परंतु, उत्पादों की किस्म के बारे में बखान इतने ग़लत होते हैं कि यह नकली साबित हो जाता है। 1997 में एमआरटीपी कमीशन एकाधिकार प्रतिबंध आयोग ने हिंदुस्तान लीवर को निर्देश दिया था कि वह उस विज्ञापन का प्रकाशन, प्रसारण रोक दे जिसमें दावा किया गया था कि उसका पेप्सोडेंट टूथपेस्ट कोलगेट टूथपेस्ट से 102 प्रतिशत बेहतर है। हिंदुस्तान लीवर को किसी भी तरह से किसी भी कोलगेट टूथपेस्ट का जिक्र करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो अथवा परोक्ष रूप से, चाहे वह सांकेतिक साधन हो अथवा टीवी वाणिज्यिक विज्ञापन हो अथवा समाचारपत्रों के विज्ञापन या होर्डिंग, चाहे वह न्यू पेप्सोडेंट की तुलना कोलगेट के किसी उत्पाद से हो या खास कोलगेट डेंटल क्रीम से।

● **यौनाकर्षण वाले विज्ञापन**

सभी प्रकार की चीज़ों की बिक्री के लिये यौनाकर्षण वाले विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है। इसका इस्तेमाल उपभोक्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिये किया जाता है। इसका इस्तेमाल वहां भी किया जाता है जहां उसके उत्पाद अथवा उसकी सेवा से उसका कोई संबंध नहीं होता जिसका विज्ञापन किया

जा रहा हो। महिलाओं को सजावटी सामग्री या कामवासना को भड़काने की सामग्री के रूप में वहां भी प्रदर्शित किया जाता है जहां महिलाओं के चित्र दिखाने की ज़रूरत नहीं रहती। कॉरपोरेट क्षेत्र को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि ऑनलाइन अथवा इंटरनेट सेवा पर महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन की प्रवृत्ति को खत्म किया जाए और अश्लीलता, अवैध व्यापार तथा लिंग आधारित सभी प्रकार की हिंसक वारदात कम करने की कोशिश की जाए।

● **प्रलोभन संबंधी विज्ञापन**

ऐसे विज्ञापनों में उपभोक्ताओं को कम लागत वाले सामान का प्रलोभन देकर किसी खुदरा दुकान पर आने का आग्रह किया जाता है और दुकान पर आने पर उसे ऊंची कीमत का सामान अथवा घटिया सामान थमा दिया जाता है। जैसे ही उपभोक्ता उक्त खुदरा स्टोर में जाता है उसे अधिक महंगा सामान खरीदने के लिये राजी करने की कोशिश शुरू हो जाती है। ऐसे दुकानों में जाने पर उपभोक्ता देखता है कि कम कीमत पर पुराना माल उपलब्ध है और दूसरे बेहतर उत्पादों को नया स्टॉक, फ्रेश स्टॉक बता दिया जाता है।

● **हानिकारक उत्पादों के विज्ञापन**

ऐसे उत्पादों के विज्ञापनों पर कोई रोक नहीं है जो लोगों के लिये लाभकारी नहीं हैं। भारत के कानूनों के अनुसार, सिगरेट, शराब, पान मसाला तथा आम लोगों के लिये हानिकारक उत्पादों के विज्ञापन सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद छप रहे हैं और ऐसे विज्ञापनों का प्रसारण निजी चैनलों, केबल तथा अन्य माध्यमों से किया जा रहा है। इसके उदाहरणों में मैकडोवेल्स सोडा तथा विल्स लाइफ स्टाइल स्टोर शामिल हैं। उन्हें दूसरे रूप में मैकडोवेल्स व्हिस्की तथा विल्स सिगरेट के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

**विज्ञापन के कानूनी पक्ष**

दुर्भाग्यवश ऐसे अनुचित व्यापारिक व्यवहारों से उपभोक्ताओं की सुरक्षा के मकसद से बने अनेक कानूनों के बावजूद ग़लत एवं भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन एवं प्रसारण द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण जारी है। अनेक संस्थाएं ऐसे विज्ञापनों को नियंत्रित कराने की कोशिशों में लगी हुई हैं। ये उपाय हैं :

- उद्योगों द्वारा आत्मनियंत्रण
- सरकार द्वारा नियमन

भारत में सरकार अनेक कानून, नियमन तथा संहिताओं के आधार पर व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने की भूमिका निभा रही है। सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए हैं, जिनमें भारत में विज्ञापनों को नियंत्रित करने के प्रावधान हैं। इन कानूनों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ऐसे कानून जिनका विज्ञापनों पर सीधा असर पड़ता है वे हैं :

- उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986
- प्रतीक एवं अनुचित नाम उपयोग निरोध कानून, 1950
- व्यापार एवं व्यापारिक प्रतीक अधिनियम, 1958
- केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995
- इनडिसेंट प्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट, 1986
- मोनोपोलिज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट, 1969
- मोटर वाहन कानून, 1956

विज्ञापनों पर लागू अप्रत्यक्ष कानून

- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58
- दवा एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940
- दवा एवं चामत्कारिक निदान आपत्तिजनक विज्ञापन कानून, 1954
- प्री नैटल डायगनोस्टिक टेकनिकस रेगुलेशन एंड प्रीवेशन ऑफ मिसयूज एक्ट, 1994
- प्रीवेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, 1954, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्स एक्ट, 2005
- प्राईज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट, 1978
- प्राईज कंपटिशन एक्ट, 1955
- द इंप्रेंट मिल्क सबस्टीट्यूट, फीडिंग बोटल्स एंड इंप्रेंट फूड्स रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन सप्लाय एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट, 1992 एंड अमेंडमेंट एक्ट, 2002
- ट्रांसप्लान्टेशन ऑफ ह्यूमन आर्गन्स एक्ट, 1994
- द यंग पर्सेंस हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट, 1956
- निम्नलिखित नियमन अधिकारियों को अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में विज्ञापनों पर नियंत्रण का अधिकार है :  
बीमा नियमन विकास प्राधिकार।  
भारतीय दूर संचार नियमन प्राधिकार।  
भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड।  
भारतीय रिजर्व बैंक।  
भारतीय चिकित्सा परिषद।

दुर्भाग्यवश ऐसे अनुचित व्यवहारों से उपभोक्ता को संरक्षण देने के अनेक कानून होने के बावजूद ग़लत और भ्रामक विज्ञापनों के जरिये उपभोक्ताओं का शोषण जारी है। निरर्थक बन चुके कानून उन पर अमल में ढिलाई ऐसे विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के मामले में निष्प्रभावी साबित हो रहे हैं। समय का तकाजा है कि समय के अनुरूप बेहतर कानून बनाए जाएं, उनको बेहतर ढंग से लागू किया जाए, सही विज्ञापन प्रकाशित, प्रसारित हो, उद्योगों की स्वयं नियंत्रण की व्यवस्था के माध्यम से बेहतर आत्मनियंत्रण की व्यवस्था हो ताकि स्वास्थ्य एवं बच्चों से संबंधित विज्ञापन पर नियंत्रण कायम हो। □

(लेखिका नयी दिल्ली स्थित कमला नेहरू कॉलेज में रीडर और कंज्यूमर क्लब नामक स्वयंसेवी संगठन की संयोजक हैं।  
ई-मेल : sheetal\_kpr@hotmail.com)

# IAS-2009-10

GEOGRAPHY, GENERAL STUDIES,  
HISTORY & ESSAY (हिन्दी & English Medium)

With **SAROJ KUMAR**

	SPECIAL COURSE	DURATION
P.T.	GEOGRAPHY	2 Months
	GENERAL STUDIES	
	HISTORY	
MAINS	GEOGRAPHY	2 Months
	GENERAL STUDIES	
	HISTORY	
TEST SERIES (P.T. & MAINS)		1 Month

**Weekend Classes for Day  
Scholars (Working)-  
Weekend & Holidays**

**P.C.S. SPECIAL CLASSES**  
*Bihar, M.P., Chattisgarh,  
Rajasthan, Uttarkhand,  
Jharkhand & West Bengal*

**Postal Course for Geography,  
General Studies,  
History & Essay**

**Admission Open  
for All Courses**

**Foundation Course-4-5 Months**

**Hostel Facility For Girls & Boys**

**DR. VEENA SHARMA  
SAROJ KUMAR'S IAS ERA**

1/9, Roop Nagar, G.T. Karnal Rd., Near Shakti Ngr. Red Light,  
Above P.N.B. Near Delhi University, North Campus, Delhi - 7  
Ph. : 011-64154427 Mob. : 9910360051, 9910415305

# देश में उपभोक्ता अदालतों की स्थिति

● पुष्पा गिरिमाजी

उपभोक्ता अदालतों के फैसलों की पूरी छानबीन की ज़रूरत है ताकि उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों के उल्लंघन वाली उपभोक्ता न्याय प्रणाली से छुटकारा मिल सके

एक बीमा कंपनी द्वारा हाउस होल्डर्स पॉलिसी के तहत एक क्षतिग्रस्त टेलीविजन सेट संबंधी दावे को नकारने का साधारण एवं स्पष्ट मामला था। पॉलिसी धारक ने खुद मामला दायर करने की बजाय अपनी तरफ से उपभोक्ता अदालत में मामला दायर करने का अधिकार (पावर ऑफ एटार्नी) अपने अभिभावक को दे दिया। अभिभावक ने अहमदाबाद स्थित एक उपभोक्ता संगठन की मदद ली और उसके साथ मिलकर मामला दायर कर दिया।

उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उपभोक्ता अदालत को मामले के तथ्यों पर गौर करना, दोनों पक्षों की बातों को सुनना तथा अपना फैसला देना था। ऐसा करने की बजाय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, अहमदाबाद ने इस बात पर एक लंबी बहस शुरू कर दी कि क्या 'पावर ऑफ एटार्नी होल्डर' व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा दायर कर सकता है। उपभोक्ता अदालतें व्यवहार प्रक्रिया संहिता के दायरे में नहीं आतीं और उन्हें केवल शिकायतों के निवारण के लिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर अमल करना है। इसके अलावा, प्रारंभिक वर्षों के दौरान शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि शिकायतकर्ता की पत्नी कोर्ट में शिकायतपत्र दायर कर सकती है, इसलिये ऐसा उसके अभिभावक भी कर सकते हैं। फिर

भी जिला उपभोक्ता फोरम ने इस शिकायतपत्र को खारिज कर दिया। राज्य स्तर की उपभोक्ता अदालत ने भी अभिभावकों की अपील पर कोई अनुकूल कार्रवाई नहीं की और उसी आधार पर याचिका खारिज कर दी।

देश की सर्वोच्च उपभोक्ता अदालत द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के सामने अभिभावकों ने संशोधन याचिका (रिविजन पेटिशन) दायर की जिसने निचली उपभोक्ता अदालतों की पूरी तरह तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने के लिये उन्हें प्रताड़ित किया तथा बीमा कंपनी को 10,000 रुपये के भुगतान का निर्देश दिया। यह राशि, क्षतिग्रस्त टेलीविजन सेट के आकलित मूल्य तथा 1 जनवरी, 2003 से भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज दर को मिलाकर बनी थी। (सीईआरसी बनाम न्यू इंडिया एश्युरेंस कंपनी, आरपीसे. 2721/2001)। **उपभोक्ता अदालतें अथवा दीवानी न्यायालय**

1986 में लागू उपभोक्ता संरक्षण कानून पर विचार करने पर उपभोक्ता अदालतों के बारे में यह दुखद टिप्पणी करनी पड़ती है कि दो दशक बीतने पर भी उन्हें यह बताना पड़ता है कि उन्हें किन-किन बातों पर अमल नहीं करने की ज़रूरत है। वास्तव में एक दशक से ज्यादा पहले वी.पी. पंत बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण के मामले में अपने फैसले में देश

की सर्वोच्च उपभोक्ता अदालत ने इस बात पर जोर डाला था कि उपभोक्ता अदालतों को मामले का निबटारा करते वक्त साधारण प्रक्रिया पर अमल करने की ज़रूरत है। शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने यह व्यवस्था दी : "उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत गठित शिकायत निवारक एजेंसियां दीवानी अदालतें नहीं हैं जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता से बंधी होती हैं..."। इसने उपभोक्ता अदालतों को इस बात की भी याद दिलाई कि उपभोक्ता न्याय प्रणाली आम लोगों के लिये कायम की गई है। इसका मकसद उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के लिये लड़ने में मदद करने का है। ताकि वे बिना अड़चन अपनी लड़ाई लड़ सकें, इसलिये कानून में इसके लिये साधारण प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है।

फिर शंकर प्रसाद बनाम पीयरलेस जनरल फिनांसइंवेस्टमेंट कंपनी के मामले में इस बिंदु को दोहराया गया और कहा गया कि शिकायतों का फैसला सुनाते समय उपभोक्ता अदालतों को ज्यादा तकनीकी गुत्थियों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के लागू होने के दो दशक बाद भी उसकी सलाह पर सभी उपभोक्ता अदालतों ने ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा।

उपभोक्ता संरक्षण कानून में जिस उपभोक्ता न्याय प्रणाली की परिकल्पना की गई है उसका

मकसद वकीलों की मदद के बिना उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों के निवारण में मदद करना तथा यह काम भी साधारण सुनवाई की प्रक्रिया के आधार पर करना है ताकि मामलों का तेज़ी से निबटारा हो सके। परंतु आज संचार की सारी प्रक्रिया इतनी तकनीक आधारित हो गई है कि उपभोक्ता यह सोचने लगे हैं कि वे वकील की मदद के बिना अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते। इससे पूरी उपभोक्ता न्याय प्रणाली महंगी हो गई है।

**देर से मिला न्याय न्याय न मिलने जैसा**

दीवानी न्यायालयों के विपरीत उपभोक्ता अदालतें अर्द्ध न्यायिक निकाय हैं जिन्हें एक साधारण, संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर शिकायतों का निवारण करना होता है। फिर भी लगातार सुनवाईयों के स्थगन, राज्य सरकारों द्वारा इन अदालतों के अध्यक्षों तथा सदस्यों के पद भरने में विलंब और अनावश्यक तकनीकी अड़ंगेबाजियों के कारण न्याय प्रक्रिया में काफी विलंब हो जाता है। इन विलंबों के कारण कानून का मूल मकसद ही निरर्थक हो गया है।

यहां एक मामले का उल्लेख किया जा रहा है जिससे यह बात साफ़ हो जाएगी। 1993 की बुआई के मौसम में खरीदे गए खराब किस्म के बीज के खिलाफ़ महाराष्ट्र के 130 किसानों ने मुआवजे की मांग करते हुए एक मामला दायर किया। अंततः में वे मामला जीत गए, परंतु इसमें 14 साल लग गए। इस अवधि के दौरान उनमें से दस किसानों का निधन हो गया। (आर. पी. संख्या 524/1997, इस मामले का फ़ैसला 7 अगस्त, 2007 को हुआ।)

किसान कभी-कभार ही उपभोक्ता अदालतों में मुकदमा दायर करते हैं। परंतु, जब वे दायर करते हैं, तो वे मामले उनकी जीविका के स्रोत से संबंधित होते हैं— वह चाहे खेती से संबंधित होता है अथवा कृषि से अथवा खराब बीजों से संबंधित होता है, जिसके कारण काफी कम और खराब फसल निकलती है। इन सारे मामलों में यह बात साफ़ है कि किसानों को तुरंत मदद की ज़रूरत पड़ती है ताकि फसल की क्षति से हुए आर्थिक संकट से वे निजात पा सकें। इसके लिये वे दीवानी न्यायालय की जगह उपभोक्ता अदालत में जाना पसंद करते हैं तो कारण स्पष्ट हैं कि उन्हें जल्द मुआवजा पाने की उम्मीद होती है परंतु अकसर उपभोक्ता अदालतें उन्हें निराश कर देती हैं।

शिकायतों का तीव्र निवारण सुनिश्चित करने के मकसद से उपभोक्ता संरक्षण कानून की धारा 13 (3ए) में यह प्रावधान किया गया है कि जब जिसों के विश्लेषण अथवा जांच की ज़रूरत नहीं हो तो तीन महीने के भीतर, अन्यथा पांच महीने के भीतर मामले का निबटारा कर दिया जाए। लेकिन, अकसर इस प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है। इसी तरह की स्थिति सुनवाई के स्थगनों से संबंधित प्रावधान की भी है।

चूंकि उपभोक्ता अदालतों में सुनवाई के स्थगनों को मामले के निबटारे में विलंब का कारण पाया गया है, केंद्र सरकार ने 2003 में उपभोक्ता संरक्षण कानून में संशोधन कर ऐसे विलंबों की संभावना समाप्त कर दी है। इसके अनुसार उपभोक्ता अदालतें एक भी सुनवाई के स्थगन की इजाज़त नहीं देंगी। विशेष परिस्थितियों में स्थगन के लिखित कारण बताने तथा उसे उचित मानने पर ही ऐसा किया जा सकता है। परंतु, इस प्रावधान का भी लगातार उल्लंघन किया जाता है।

भाऊ साहेब देवराम पाटील के मामले को देखें। शिकायतपत्र दायर करने के समय से 13 साल बाद तक खराब टेलीविजन से संबंधी मामले का निबटारा नहीं हो सका। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि किसी उपभोक्ता अदालत में जाने की धमकी से किसी व्यापारी और उत्पादक को कोई घबराहट नहीं होती? श्री पाटील ने पहले 1993 में जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष मामला दायर किया। नोटिस देने के बावजूद खुदरा दुकानदार अदालत में हाजिर नहीं हुआ। उपभोक्ता संरक्षण कानून की धारा 13(सी) के प्रावधान के तहत एकपक्षीय फ़ैसला देने की बजाय फोरम ने कई बार सुनवाई स्थगित की ताकि खुदरा दुकानदार हाजिर हो सके। अंत में 1994 में फोरम ने यह एकपक्षीय फ़ैसला सुनाया कि उक्त दुकानदार उक्त सेट की मरम्मत कर दे। उसकी कीमत वापस कर दे।

खुदरा दुकानदार ने इस फ़ैसले पर अमल नहीं किया, जिससे शिकायतकर्ता को उस फ़ैसले पर अमल कराने के लिये फिर शिकायतपत्र दायर करना पड़ा। जिला उपभोक्ता फोरम ने 20 अगस्त, 1998 की किशोर डी. पटेल को तीन महीने के साधारण कैद की सजा तथा दंड के रूप में 5,000 रुपये के भुगतान की सजा सुनाई।

जब अदालत अपने फ़ैसले पर अमल कराने ही वाली थी कि पटेल अचानक सजग हो गया और उसने महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष अपील दायर कर दी। राज्य आयोग ने इस याचिका को खारिज करने और खुदरा दुकानदार के व्यवहार की निंदा करने अथवा उसे दंडात्मक मुआवजा राशि के भुगतान के आदेश देने की बजाय यह फ़ैसला दिया कि उपभोक्ता और खुदरा विक्रेता के बीच 'कंज्यूमर एंड सर्विस प्रोवाइडर' का कोई संबंध नहीं है।

श्री पाटील को शीर्ष उपभोक्ता अदालत में संशोधन याचिका दायर करने पर मज़बूर होना पड़ा। राष्ट्रीय आयोग ने 30 मई, 2006 को यह फ़ैसला सुनाया कि महाराष्ट्र राज्य आयोग को ऐसा फ़ैसला सुनाने का अधिकार नहीं था, इसलिये उसका यह फ़ैसला पूरी तरह अनुचित है। इसलिये अपने राज्य आयोग के फ़ैसले पर रोक लगाते हुए जिला उपभोक्ता फोरम को निर्देश दिया कि वह दुकानदार को अपना पक्ष रखने का एक मौका दे। आयोग ने कहा कि इस आवेदनपत्र को दायर कर अमल के आदेश पर अमल करें। (भाऊ साहेब देवराम पाटील बनाम किशोर डी. पटेल, संशोधन याचिका संख्या 580/1999, 30 मई, 2006 पर फ़ैसला)। क्या उपभोक्ता अदालत में जाने के लिये आप इस मामले के उपभोक्ता को दोषी मान सकते हैं जब वह किसी उपभोक्ता अदालत में जाने पर पछतावा करें?

इसी तरह का एक चिंताजनक मामला बेरोज़गार युवक का है, जिसने 1998 में एक ट्रक खरीदने के लिये प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के तहत स्वीकृत कर्ज़ की राशि का बैंक से भुगतान कराने के लिये नौ साल तक एक उपभोक्ता अदालत में मुकदमा लड़ा। यह मुकदमा जिला उपभोक्ता फोरम से राज्य आयोग और अंततः राष्ट्रीय आयोग तक पहुंचा। इस बीच शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने 2007 में अपना फ़ैसला सुना दिया। तब तक काफी देर हो चुकी थी और वह स्कीम भी खत्म हो चुकी थी। नौ साल बाद इस युवक को सिर्फ़ 10,000 रुपये का मुआवजा मिला। शीर्ष उपभोक्ता अदालत को कम से कम उच्चतर मुआवजे की राशि दिलवाना चाहिए था अथवा बैंक को दंडात्मक मुआवजे की राशि के भुगतान के लिये कहना चाहिए था। परंतु उसने ऐसा नहीं किया (ब्रांच मैनेजर, एसबीआई बनाम निराकार साहू, जनरल

मैनेजर, संशोधन याचिका संख्या 10.5.5/2002; जिसका फैसला 1 फरवरी, 2007 को सुनाया गया।

### बेहतर मुआवजे की ज़रूरत

संसद में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 1986 पेश करते समय सरकार की ओर से कहा गया कि यह कानून मुआवजा संबंधी होगा न कि प्रकृति में दंडात्मक कानून की इस मूल प्रकृति के कारण यह विवाद के निबटारे में ज्यादा समय नहीं लेगा। जबकि इसके साथ ही उत्पादकों, व्यापारियों और सेवा मुहैया कराने वालों के बीच उपभोक्ताओं के प्रति सम्मान का स्वस्थ माहौल पैदा करेगा। दूसरे शब्दों में, कानून को प्रभावकारी बनाने के लिये पंचायत की प्रक्रिया को तीव्र बनाना होगा तथा उनके द्वारा दिया जाने वाला मुआवजा निष्पक्ष एवं उचित होगा।

फिर भी इन अदालतों द्वारा अधिकतर मामलों में क्षति का आकलन काफी रूढ़िवादी तथा अपर्याप्त होता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी पक्ष पर उसका मामूली असर पड़ता है। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय ने लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम एम.के. गुप्ता मामले में (सीए सं. 6237/1990, जिसका फैसला 5-11-1993 को सुनाया गया) कहा था कि मुआवजे से दोहरा मकसद पूरा होना चाहिए इससे व्यक्ति विशेष की क्षतिपूर्ति हो सके वहीं उत्पादकों तथा सेवा प्रदान करने वालों के रुख में गुणात्मक बदलाव आए। परंतु, इसके लिये भी ज़रूरी है कि मुआवजे की राशि इतनी बड़ी हो कि उसका असर पड़े।

डी. डी. त्रिखा मामले में, जिनकी पेशाब की थैली में उपेक्षापूर्ण ढंग से, कैथेडर डालकर पेशाब कराने से भारी क्षति हो गई थी, जिला उपभोक्ता विवाद निबटारा फोरम ने उस डॉक्टर को उपेक्षा का दोषी पाया था, जिसने उनका इलाज किया था, परंतु जब मुआवजे का सवाल उठा तो उसने केवल 20,000 रुपये की अपर्याप्त राशि के भुगतान का आदेश दिया, जिसने श्री त्रिखा को मुआवजे की बेहतर राशि के लिये लंबी लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर दिया। अंत में सर्वोच्च उपभोक्ता अदालत ने निचली उपभोक्ता अदालतों के फैसलों को अमान्य करते हुए 1994 की फरवरी से 12 प्रतिशत ब्याज की राशि के साथ एक लाख 20 हजार रुपये के मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया (डी.डी. त्रिखा बनाम डा. देविन्दर महंत, आर.

पी. सं. 1142/1997, जिसका फैसला अक्टूबर, 2001 में सुनाया गया)।

इससे पहले एस. सोम पुरंदरम बनाम श्री चक्रवर्ती इंटरनेशनल मैट्रिकुलेशन एकेडमी नामक एक मामले में भी राष्ट्रीय आयोग को मुआवजे के मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था। राज्य आयोग ने स्कूल के अधिकारियों को स्कूल परिसर में एक विशाल सेप्टिक टैंक को बिना ढक्कन के रखने के मामले में लापरवाही का दोषी पाया था। फिर भी उसने टैंक में अपने एकमात्र बच्चे को गंवाने वाले अभिभावकों को (बच्चा टैंक में गिरकर मर गया था) सिर्फ 10,000 रुपये के मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया था। इसके लिये निचली अदालत की आलोचना करते हुए राष्ट्रीय आयोग ने मुआवजे की राशि बढ़कर 2 लाख रुपये कर दी थी तथा इसका भुगतान दिसंबर 1993 से 6 प्रतिशत ब्याज की राशि जोड़कर करने का आदेश दिया। इस मामले में भी अभिभावक को मुकदमा लड़ने में आठ साल लग गए।

खराब माल से संबंधित मामलों में भी उपभोक्ताओं के लिये तय मुआवजे की राशि इतनी कम थी कि उसका उत्पादक अथवा खुदरा विक्रेता के रुख में बदलाव लाने में कोई असर नहीं पड़ा। फिर भी अदालतों ने खराबी दूर करने अथवा उत्पाद बदलने या लागत राशि को वापस करा दिया परंतु उपभोक्ताओं को हुई परेशानी के लिये मुआवजे की जिस राशि का भुगतान किया गया वह इतना अपर्याप्त था कि शिकायतकर्ता को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि उसने अदालत का दरवाजा खटखटाकर कोई गलती तो नहीं कर दी।

### निष्कर्ष

इन सब बातों का यह मतलब नहीं कि उपभोक्ता संरक्षण कानून से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ। समानांतर उपभोक्ता न्याय प्रणाली प्रदान करने वाला यह कानून दुनिया का एक बेहतर कानून है। भारतीय उपभोक्ता आंदोलन के इतिहास में इस कानून का बनना एक कीर्तिमान है और इससे देश के उपभोक्ताओं के अधिकारों में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। इस कानून के बनने के समय से 21 नवंबर, 2008 तक राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर की उपभोक्ता अदालतों में 31 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गईं जिनमें से करीब 3,56,219 मामले अभी भी लंबित हैं।

परंतु इस कानून को प्रभावकारी बनाने तथा अपने मकसद को पूरा करने के लिये यह ज़रूरी है कि इन अदालतों को सरल, कम खर्चीला तथा तीव्र न्याय देने वाला बनाया जाए, अन्यथा उपभोक्ताओं का विश्वास इस प्रणाली से उठ जाएगा।

उदाहरण के लिये राज्य सरकारों को चाहिए कि इन अदालतों के कार्यकलापों पर पूरी निगरानी रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन अदालतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति सहित सभी विलंबों की स्थिति को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। अगस्त 2007 की स्थिति यह थी कि कुल 42 जिला उपभोक्ता फोरम (कुल 608 ऐसे उपभोक्ता फोरम हैं) से होने वाली विलंब नियुक्तियों के कारण सक्रिय नहीं थे। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि ऐसी स्थितियों से विवादों के तीव्र प्रचार प्रभावित होते हैं। यदि उन सेवाओं में अपीलों को प्रतिबंधित करनेवाला कानून बने जिसके मूल्य एक लाख रुपये तक हैं, तो भी शीघ्र विवाद निबटारे में मदद मिलेगी।

इन अदालतों में न्याय देने के लिये तैनात व्यक्तियों को देश के उपभोक्ताओं की दशा के प्रति संवेदनशील बनाने की भी ज़रूरत है। साथ ही मुआवजे की राशि को अधिक उचित एवं उदार ढंग से आकलन करने की ज़रूरत है जो उपभोक्ता संरक्षण कानून की भावना के अनुरूप है।

चूँकि सुनवाई के स्थगन तथा अति तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण भी मामलों के निबटारे में देर होती है, इसलिये उपभोक्ता अदालतों के फैसलों की पूरी छानबीन की ज़रूरत है ताकि उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों के उल्लंघन वाली उपभोक्ता न्याय प्रणाली से छुटकारा मिल सके। ऐसी छानबीन से संदिग्ध चरित्र वाले अदालतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। इसी बात को दूसरी ढंग से कहें तो एक नियमित, स्वतंत्र ऑडिट अंकेक्षण व्यवस्था की ज़रूरत है ताकि उन सदस्यों एवं अध्यक्षों को हटाया जा सके जो उपभोक्ता संरक्षण कानून पर अक्षरशः तथा उसकी भावना के अनुरूप अमल नहीं करते। □

(लेखिका उपभोक्ता अधिकारों पर लिखती हैं तथा कंज्यूम राइट्स फॉर एवरीवन की संयोजक हैं। ई-मेल: pgoriraji@gmail.com)

## सेवापूर्ति के प्रबंधन में उपभोक्ताओं की भागीदारी

● जयपाल सिंह

पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और नागरिक सुविधा जैसे कई क्षेत्रों के लिये मुख्यतः सरकारी संस्थानों द्वारा ही सेवाओं की आपूर्ति के लिये कार्य किया जाता है। इन सेवाओं के उपभोक्ता के समाज अधिकांश समूह होते हैं। ऐसी सुविधाओं के लिये सक्षम प्रबंधन तथा उपभोक्ताओं के संतोष का आकलन ज्यादातर नहीं होता है। जब भी सामाजिक अन्वेषण किया जाता है एवं उपभोक्ताओं से पूछताछ करके ऐसी सेवाओं की सक्षमता जानने की कोशिश की जाती है तो सुधार की आवश्यकता और सुधार के क्षेत्रों के बारे में काफी कुछ ज्ञात होता है। उपभोक्ताओं को प्रबंधन से जोड़ना और उनसे नियमित जानकारी लेना, ये दो ऐसे विषय हैं जिनसे ऐसी वृहत स्तर की सेवाओं की सक्षमता को अच्छी तरह से प्रभावित किया जा सकता है। गुजरात सरकार ने स्थानीय स्तर पर, ग्राम्य क्षेत्रों के लिये पेयजल आपूर्ति प्रबंधन में लोगों को भागीदार बनाने के लिये, स्थानिक संस्थान के रूप में ग्रामीण स्तर पर 'पानी समितियों' की रचना और उनका क्षमता विकास करके मूलभूत सुविधाओं के विकास एवं संचालन के लिये उपभोक्ताओं को भागीदार बनाया है। इसके लिये एक स्वतंत्र संस्थान 'पेयजल एवं स्वच्छता प्रबंधन संस्थान' की रचना द्वारा ग्राम्य स्तर पर सामाजिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करके स्थानिक समिति की रचना एवं उसकी क्षमता बढ़ाने का कार्य किया गया है। एक मिशन की तरह किए गए कार्य के फलस्वरूप आज राज्य में 13,000 से अधिक पानी समितियां कार्यरत

हैं, जो पेयजल आपूर्ति सेवा का प्रबंधन एवं संचालन करती हैं।

आपूर्ति प्रबंधन के सामाजिक अन्वेषण, सेवाओं के आकलन एवं उपभोक्ताओं से नियमित जानकारी के आदान-प्रदान के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण कमियां उभर कर सामने आई हैं। जैसे आपूर्ति की अनियमितता, आपूर्ति में कमी, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने पर भी, जब तक बहुत दबाव न बने ध्यान न देना, आपूर्ति सुधार में बहुत समय लगना और सुधार के लिये जिम्मेदार व्यवस्थातंत्र का दूर होना। आपूर्ति के लिये खर्च ज्यादा होने के कारण सरकार द्वारा आंशिक आर्थिक सहायता का भी सहारा लेना पड़ता है। सरकारी विभाग या संस्थान द्वारा प्रबंधक की आत्मसंतोषी भावना के कारण उपभोक्ताओं का असंतुष्ट रहना स्वाभाविक है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य में उपभोक्ताओं की संतुष्टि और आपूर्ति को सक्षम बनाने हेतु समाज की भागीदारी एवं स्थानिक स्वराज को महत्व देकर ऐसे अवरोधों को तोड़ने के सामाजिक प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों में सफलता का मूल आधार स्थानिक स्तर पर लोगों को कार्यक्रम में भागीदार बनाने के लिये की गई सामाजिक प्रक्रियाएं ही रही हैं। संस्थान द्वारा पहल करके सामाजिक प्रक्रिया द्वारा लोगों को कार्यक्रम के लिये आकर्षित करके पेयजल आपूर्ति के लिये मूलभूत सुविधाओं का विकास, ज़रूरी तमाम अतिरिक्त सुविधाओं का आयोजन, उपलब्ध सुविधाओं में सुधार एवं विकास के आयोजन के लिये उपभोक्ताओं को

भागीदार बनाकर योजना बनाना, कार्यान्वित करना एवं संचालन के लिये सुपर्द करने का काम किया गया है। इस तरह से एक सक्षम स्थानिक समिति को तैयार करने के लिये राज्य सरकार के संस्थान एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा निरंतर एक सहायक के रूप में कार्य किया जाता है। स्थानीय नेतृत्व और लोगों द्वारा स्वैच्छिक रूप से कार्यक्रम में सहभागिता के लिये ग्राम्य स्तर पर ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाता है। ग्राम सभाओं की सामाजिक अन्वेषण एवं योजना के सक्षम कार्यान्वयन में गुणवत्तापूर्ण कामों के लिये महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है। पानी समिति की रचना ग्राम सभा में सर्वसम्मति से की जाती है और इस समिति की क्षमता विकास द्वारा आयोजन, कार्यान्वयन और योजना पूर्ण करके योजना के संचालन के लिये सहायता की जाती है। इस प्रकार से कार्यान्वित की गई योजनाओं में सभी वर्गों के लिये समान विकास को विशिष्ट स्थान दिया जाता है।

पानी समितियों द्वारा अपनी योजनाओं का कुशल प्रबंधन करके उपभोक्ताओं के घर तक पेयजल आपूर्ति किया जाने लगा है। ये समितियां अब उपभोक्ता के स्तर तक पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करके शुद्ध पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित करती हैं। इस तरह से स्थानीय स्तर पर काम करने के लिये लोक सहयोग द्वारा एक सशक्त सामाजिक संपदा का विकास संभव हो रहा है जिसके कारण उपभोक्ता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

लोगों को प्रबंधन हेतु सहभागी बनाने के

तालिका-1

क्र. गांव	कर
1. संगमनेर (कच्छ)	वार्षिक कर : प्रति परिवार 480 रुपये कर एकत्र करना : प्रतिमास, युवक मंडल द्वारा जुर्माना : 10 तारीख तक कर जमा नहीं करने पर 50 रुपये जुर्माना घर पर आपूर्ति संपर्क जोड़ने हेतु भुगतान : 1200/- रुपये अतिरिक्त कर : रु. 2/- प्रति वर्ग फुट स्लेब वाले मकान, रु. 1/- प्रति वर्ग फुट बिना स्लेब वाले मकान
2. माधापर (कच्छ)	आधा इंच कनेक्शन के लिये कर : 250/- रुपये नवा वास 12 मि.मी. कनेक्शन के लिये कर : 275/- रुपये औद्योगिक कार्यों के लिये कर : 6000/- रुपये निर्माण कार्य हेतु कर : 2/- रुपये प्रति वर्ग फुट
3. पुरासर (कच्छ)	वार्षिक कर : 300/- रुपये प्रति परिवार + 24/- रुपये प्रति पशु कर अदा नहीं करने पर आपूर्ति काट देना प्रति 6 मास तक का हिसाब ग्राम सभा में रखना आपूर्ति सेवा : प्रतिदिन बारी-बारी से एक व्यक्ति द्वारा कर संग्रह : प्रति तीन मास
4. मानाई (भावनगर)	घर व पराश आपूर्ति हेतु वार्षिक कर : 2500/- रुपये प्रति परिवार स्टैंड पोस्ट हेतु वार्षिक कर : 60/- रुपये प्रति परिवार

परिणामस्वरूप आपूर्ति पर आने वाले खर्चों में कमी आई है, लोगों को समय पर जलापूर्ति हो पाती है, ग्रामीण स्तर पर जल संसाधनों के उपयोग में बचत एवं संसाधनों के स्थायित्व के लिये जल संरक्षण के काम किए जा रहे हैं। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लेकर जलापूर्ति प्रबंधन के लिये पेयजल कर नियत किए जाते हैं। स्थानीय स्तर पर प्रबंधन और कार्यान्वयन में लोगों के मौलिक ज्ञान एवं शोध के कारण आपूर्ति सक्षम हुई है। बहुत से गांव अपने यहां सप्ताह के सातों दिन जलापूर्ति कर रहे हैं। ग्राम सभा में सर्वमान्य निर्णय लेकर ग्रीबों के लिये कम कर का प्रावधान भी किया गया है एवं उनको सुविधाओं का पूरा लाभ मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है।

सरकार द्वारा सेवापूर्ति के लिये सहायता के लिये दो प्रकार के मानक आवश्यक हैं :

● सामाजिक प्रक्रिया

इसमें लोगों से निरंतर बातचीत, पूछताछ एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान, शिकायतों का शीघ्र निपटान एवं कमियों को दूर करने हेतु सक्षम व्यवस्था शामिल है।

● गुणवत्ता

इसमें विभाग द्वारा उपभोक्ता के साथ सुयोग्य व्यवहार द्वारा छवि सुधारने, लोगों के साथ मेल

मिलाप, परस्पर आदरभाव, विश्वास, प्राप्यता और शिकायत निपटाने हेतु तत्परता इत्यादि गुणों का विकास जैसी प्रक्रिया का समावेश होता है। गुजरात में जलापूर्ति क्षेत्र में ऐसी प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के कारण स्थानीय स्तर पर संपर्क सूत्र स्थापित किए गए हैं एवं पानी समितियों द्वारा ही तमाम प्रबंधन होने के कारण सरकार पर निर्भरता कम हुई है। लोगों से निरंतर संपर्क ही कार्य में सफलता का मूलमंत्र कहा जा सकता है। तालिका-2 में कच्छ जिले के सभी गांवों से दूरभाष द्वारा संपर्क करके जलापूर्ति की सक्षमता के विषय में जानकारी दी गई है। तालिका-3 में

तालिका-2

कच्छ जिले के गांवों से दूरभाष से पूछताछ पर आधारित आकलन

कुल घरों की संख्या	1,84,557
घर पर पानी की आपूर्ति	1,59,502
	(86.4 प्रतिशत)
	हां ना
पेयजल आपूर्ति से संतुष्टि	506 51
आपूर्ति प्रबंधन हेतु कर एकत्र करना	534 155
नियमित क्लोरीनेशन करना	555 138

तालिका-3

3 जिलों के 833 गांव के पेयजल क्षेत्र सुधार कार्यक्रम का आकलन

- लोगों द्वारा कार्यक्रम हेतु अंशदान- 87 प्रतिशत लोगों द्वारा
- जलापूर्ति प्रबंधन हेतु कर का भुगतान- 98.26 प्रतिशत लोगों द्वारा नियमित रूप से
- प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष औसत कर- 114.27 रुपये (सरकारी कर प्रतिव्यक्ति 14 रुपये है।)
- पानी समिति के कार्य की सराहना- 99 प्रतिशत मामलों में
- 99.6 प्रतिशत किस्सों में शिकायतों का निवारण जल्दी हुआ है
- 53 में से 41 समितियों के प्रबंधन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध पाई गई
- 53 में से 52 गांवों में पानी का दबाव अच्छा पाया गया

क्षेत्र सुधार के लिये राज्य के 3 जिलों में हुए कामों के बारे में आकलन के परिणाम प्रदर्शित किए गए हैं। ग्रामीण समाज एवं उपभोक्ता की आपूर्ति प्रबंधन की क्षमता के बारे में अनेक प्रकार की भ्रांतियों को सामूहिक प्रेरणा बल के जरिये दूर करने के कारण सरकार द्वारा इससे भी आगे बढ़कर छोटी समूह योजनाओं को भी ऐसी समितियों को संचालन के लिये सुपुर्द किया जाने लगा है। ग्रामीण स्थानीय योजनाओं को पानी समितियां ही चलाए ऐसा निर्णय लिया गया है। उपभोक्ता समितियों के सफल प्रयास के कारण ही अब बड़ी सामूहिक योजनाओं के लिये भी उपभोक्ता समूह गोष्ठियां करके प्रश्नों का निराकरण किया जाता है। शिकायतों एवं कमियों को दूर करके लोगों की आपूर्ति के बारे में संतुष्टि और सक्षमता का आकलन भी किया जाने लगा है। लोगों द्वारा उपभोक्ता स्तर पर पानी की गुणवत्ता का परीक्षण भी होने लगा है। सरकार भी अब इसमें आगे बढ़कर कंप्यूटरीकृत आकलन प्रणाली द्वारा बड़ी योजनाओं का संचालन कर ग्राहक संतोष के लिये प्रतिबद्ध हुई है। एक प्रकार से उपभोक्ताओं की प्रबंधन में सहभागिता से 'सरकार एवं प्रजा' दोनों के लिये विजय एवं संतोष का मार्ग प्रशस्त हुआ है। □

(लेखक गुजरात सरकार के जलापूर्ति विभाग में संयुक्त सचिव (परियोजना) हैं।

ई-मेल: iecwasco@gmail.com)

## उपभोक्ता अधिकार क्या हैं?

**कि**सी भी शैक्षणिक संस्थान में नामांकन से पूर्व मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा यूजीसी, एआईसीसीई आदि जैसे कानूनी व्यवस्था के तहत स्थापित किसी अन्य निकाय से संबद्धता का सत्यापन कर लें।

- यह सुनिश्चित कर लें कि उसके पास पूर्णकालिक पर्याप्त योग्यता प्राप्त शिक्षक उपलब्ध हैं।
- जब नामांकन के समय किए गए वायदे के अनुरूप ये शैक्षणिक संस्थाएं सेवा उपलब्ध कराने में विफल हो जाए तो उपभोक्ता अदालतें छात्रों को राहत दिलवा सकती हैं। ऐसा तभी संभव है जब छात्र/छात्रा जिस संस्थान में नामांकन कराने के इच्छुक हैं वे सही रूप से संबद्धता प्राप्त हैं।
- किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा शिक्षा प्रदान करने का काम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में परिभाषित सेवा के तहत आता है। एक बार जब कोई किसी शैक्षणिक संस्थान की सेवा के लिये भुगतान कर देता है अथवा उसकी सेवा ले लेता है, उसी समय वह उपभोक्ता बन जाता है और सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था द्वारा इसको ग़लत ढंग से परिभाषित करना अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना जाएगा।
- छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे जिस संस्थान में नामांकन कराने के इच्छुक हैं उनकी राज्य सरकार, यूजीसी अथवा एआईसीसीई से मान्यता प्राप्त संबंधी जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें।

### बैंकिंग

बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों से व्यवहार

करते समय अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहें।

क्रेडिट कार्ड मिलते ही निर्धारित जगह पर तुरंत दस्तखत कर दें।

- बैंकिंग ओम्बड्समैन के कार्यालय पूरे भारत में हैं जिनके पते नेशनल कंज्यूमर हेल्प लाईन (एनसीएच) को निम्नलिखित फोन पर डायल कर प्राप्त किए जा सकते हैं:
- टॉल फ्री नंबर: 1800-11-4000 (एमटीएनएल) बीएसएनएल लाईन (9.30 सुबह से 5.30 शाम तक)।
- एनसीएच 3 टीयर शिकायत निवारक प्रणाली पर सलाह उपलब्ध कराती है। यह प्रणाली सभी बैंकों में काम कर रही है और निम्न प्रकार की है:

**टीयर 1:** भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग निर्देशानुसार बैंक को निम्नलिखित काम के लिये नोडल (केंद्रक) अधिकारी नियुक्त करने पड़ते हैं: विस्तृत विवरण एनसीएच पर उपलब्ध है।

**टीयर 2:** बैंकिंग ओम्बड्समैन, भारतीय रिज़र्व बैंक।

**टीयर 3:** जब सारे विकल्प निष्फल साबित हो जाए तो अंतिम उपाय के रूप में उपभोक्ता अदालत उपभोक्ताओं के लिये उपलब्ध हैं।

### बैंक के ग्राहकों के लिये युक्तियां

- बैंक में कोई भी चेक जमा करते समय आप बाजापा मुहर लगी, हस्ताक्षरित रसीद देने पर ज़ोर डालें।
- जमाकर्ता द्वारा चेक की पीठ पर अपना नाम, खाता संख्या, शाखा का नाम, बैंक का नाम लिखा जा सकता है ताकि गोलमाल से बचा जा सके।

### क्रेडिट कार्ड धारकों के लिये युक्तियां

- सभी शर्तों/प्रतिबंधों/खाता खोलने के फार्म की प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखी जानी चाहिए ताकि किसी भी समय इसका तुरंत हवाला देते समय इस्तेमाल किया जा सके।
- यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क/ब्याज/दंडात्मक अनुच्छेद का उल्लेख उस मंजूरी पत्र में साफ़ शब्दों में किया जाए जो कंपनी ने आपको दिया हो।

बैंकों/वित्तीय कंपनियों अथवा किसी भी सेवा प्रदाता या किसी भी संगठन के रिकवरी (वसूली) एजेंटों के प्रति सावधान रहें जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा टेलीफोन पर अपने आपको पुलिस अधिकारी बताकर आपको बकाए की वसूली के लिये धमकी दे रहा हो चाहे वह किसी भी विभाग यथा - नगर निगम, कस्टम अथवा उत्पाद विभाग का हो। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित फोन पर संपर्क करें: एंटी थ्रेट बाई रिकवरी एजेंट सेल (अपराध शाखा)। फोन: 011-26184455, फ़ैक्स: 011-26178123 ई-मेल: [acp\\_acc\\_di@nic.in](mailto:acp_acc_di@nic.in) अथवा निम्नलिखित टॉल फ्री फोन पर सूचित करें- 1090.

### स्वास्थ्य सेवा

जब शक हो तो आरएमपी डॉक्टरों की पंजीयन (रजिस्ट्रेशन नंबर) संख्या के बारे में पता करें। रोगियों के लिये:

- यह सुनिश्चित कर लें कि डॉक्टर पूरी तरह से सुशिक्षित है, भारतीय चिकित्सा परिषद अथवा ऐसे संगठन के पास पंजीकृत है जो आयुर्वेद, होम्योपैथी अथवा यूनानी स्वदेशी पद्धति के पंजीयन के लिये निर्धारित है और नीम हकीम नहीं है।

# IAS PCS



## CENTRE FOR AMBITION

### मिशन हमारा—जुनून आपका

#### संस्था की विशेषताएँ

- आधुनिक तकनीक द्वारा शिक्षण कार्य
- सप्ताह के सातों दिन नियमित कक्षाएँ
- समयबद्ध एवं योजनाबद्ध तैयारी
- हॉस्टल व मैसेज की सुविधा
- 24 घण्टे आधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा
- लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों द्वारा समय समय पर विशेष मार्गदर्शन

#### उपलब्ध विषय

- इतिहास—द्वारा :- ए० पी० ओझा (दिल्ली), आलोक कुमार (दिल्ली), वी.के. सिंह (लख.)
- भूगोल—द्वारा :- सिद्धार्थ कुमार (इला.)
- समाज शास्त्र—द्वारा :- अजीत सिंह (इला.)
- अर्थशास्त्र—द्वारा :- के. बशर (दिल्ली)
- लोकप्रशासन—द्वारा:- सूर्य प्रकाश द्विवेदी (इला.), अमित गुप्ता (इला.)

#### G.S - By Eminent Team

#### Fully Air Conditioned (A.C.) Class Room

### समाजशास्त्र (Sociology)

by  
अजीत सिंह एवं चेतना सिंह  
(लेखक - 'सपना' प्रकाशना)



सम्पूर्ण भारत में पहली बार


-: फाउन्डेशन कोर्स :-

इण्टर पास विद्यार्थियों हेतु तीन वर्षीय विशेष कोर्स

B.A / B. Sc / B. Com के साथ-साथ IAS / PCS की तैयारी करे तथा प्रथम प्रयास में सिविल सेवा में सफलता सुनिश्चित करें

उ.प्र. सरकार एवं समाज कल्याण विभाग की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों की नि:शुल्क कक्षाएँ (17.11.08 से 16.04.2009 तक) प्रारम्भ


#### OUR SELECTIONS



DR. ROBINI KATOCH  
IAS-2007  
RANK-148




ANU AGRAWAL  
IAS-2007  
RANK-485




SIDDHARTH SINGH  
IAS-2004  
RANK-55



KULDEEP DWIVEDI  
IAS-2004  
RANK-117




VIVEK KUMAR TRIVEDI  
U.P. PCS - 2003




YAMINI RANJAN  
U.P. PCS - 2003



ZEESAN AFJAL  
U.P. PCS - 2004



NARENDRA PRATAP SINGH  
U.P. PCS - 2004



D. K. SAINI  
U.P. PCS - 2004

## CENTRE FOR AMBITION

Head Office : 29, Kailash Vihar, Gailana Road, Agra

City Office : B-3, Akhilesh Tower, Hari Parwat, Agra

Ph.: 0562- 2602674, (M) 9411207960, 9219631474

- हमेशा लेटरहेड पर दवाओं के नाम (प्रिस्क्रिप्शन) लें।
- दवा सुशिक्षित तथा लाईसेंस प्राप्त दवा विक्रेता से ही खरीदें।

#### रोगियों के अधिकार

- प्रिस्क्रिप्शन की प्रति पाने का अधिकार
- जांच रिपोर्टों की प्रति प्राप्ति का अधिकार
- अस्पताल से छुट्टी सर्टिफिकेट पाने का अधिकार।

यदि कोई रोगी नि:शुल्क मेडिकल सेवा पा रहा हो तो वह उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में नहीं आएगा/आएगी। लेकिन यदि वह किसी चिकित्सा सेवा के लिये भुगतान कर रहा हो तो वह चिकित्सा सेवा में त्रुटि के लिये मुआवज़ा पाने का हकदार है।

**दवा को शुष्क, ठंडी जगह पर और सूर्य की रोशनी से दूर रखें।**

#### उपभोक्ता को पेट्रोल की सही मात्रा पाने का अधिकार

जब शक हो:

उत्तम गुणवत्ता वाले पेट्रोल पाने के लिये हर पेट्रोल पंप पर प्रमाणीकृत 5 लीटर के डिब्बे में पेट्रोल देने के लिये कहें।

#### पेट्रोल/रसोई गैस

- यह सुनिश्चित कर लें कि आपको सही मात्रा में पेट्रोल मिल रहा है।
- डिलीवरी लेते समय गैस सिलिंडर का वज़न कर लें। कम वज़न अथवा सिलिंडर में पानी भरा होने की स्थिति में आपको शिकायत करने का अधिकार है।
- आप पेट्रोल पंप अथवा एलपीजी (रसोई गैस) के वितरकों के अनुचित व्यवहार के खिलाफ कंपनी के नामित अधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं।

#### एलपीजी गैस सिलिंडर की आखिरी तिथि का पता कर लें।

क्या आप जानते हैं कि भारत में एलपीजी सिलिंडरों की एक अवसान (आखिरी) तारीख होती है जो रसोई गैस की आपूर्ति वाले सिलिंडरों पर लिखी होती है? उदाहरण के लिये हर सिलिंडर के ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं। उदाहरण के लिये यदि उस पर डी-06 लिखा हुआ है तो उस सिलिंडर की व्यवहार की तिथि दिसंबर 2006 में खत्म हो जाती है। इसी तरह यदि यह संख्या डी-13 है तो उस सिलिंडर का इस्तेमाल दिसंबर 2013 तक किया जाएगा।

#### आईएसआई और एगमार्क

आईएसआई और एगमार्क न्यूनतम कोटि मानक के सत्यापन की स्वतंत्र प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवंटित किए जाते हैं। आईएसआई और एगमार्क जैसे मानक के चिहनों का ध्यान रखें। ये चिह्न तीसरे पक्ष की ओर से कोटि संबंधी आश्वासन के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

- खरीदारी करते समय एमआरपी (मैक्सिमम रिटेल प्राईस), ट्रेडमार्क, उत्पादक का नाम तथा पता, उत्पाद की अवसान तिथि (एक्सपायरी डेट) तथा खालिस मात्रा की जांच कर लें।
- उपभोक्ता को हमेशा सिर्फ आईएसआई की मुहर वाली चीज़ें ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि उससे जीवन की सुरक्षा की गारंटी मिलती है। एगमार्क कृषिजन्य उत्पादों जैसे - आटा, दाल आदि के लिये आवंटित किए जाते हैं।
- उपभोक्ता को सिर्फ इन मुहरों का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि यह पता भी लगाना चाहिए कि आईएसआई मार्क सही है कि


नहीं और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह नकली (क्लोन) नहीं है।

जब आप कोई बिजली के उपकरण खरीदते हैं तो यह जांच कर लें कि उन पर आईएसआई चिह्न है कि नहीं। सही और गलत निशान से नीचे इन चिहनों को दर्शाया गया है :

कोड नं. ✦.....|:.. .



लाईसेंस नं. ✦-----६५ /५-----



वनज और माप तौल के सत्यापन संबंधी प्रमाणपत्र का पता लगा लें। यदि यह स्तरीय में है तो दुकानदार भी स्तरीय है। तौल वाले बाट को खरीदी गई चीजों के पलड़े तथा खरीदी गई चीजों को बाट वाले पलड़े पर रखने से सही तौल का पता चल जाता है।

#### निष्कपट व्यवहार

- लेबल में हेर-फेर को रोकने के लिये स्टिकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- कोई शिकायत हो तो लिखें :  
निदेशक, तौल और माप,  
उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय,  
खाद्य एवं जनवितरण प्रणाली,  
कृषि भवन, नयी दिल्ली-110001

#### तराजू और बाट

- कोई भी तराजू और कांटा, जो लकड़ी के बने हों तथा पलड़ों को हुक से लटकाना अवैध है।
- रद्दी कागज बेचते समय खरीदार के बाटों की जांच कर लें और देखें कि उस पर हाल की मुहर लगी हो, वह ऐसे धातु के धरन (मेटल बीम) का इस्तेमाल कर रहा हो जो धातु के बने पलड़े से बिना जंगवाली (अनरस्टेड) चैन से जुड़े हों।
- इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण में सत्यापन वाली मुहर उसमें लगे प्लेट पर लगी होती है।



- ट्रे का वजन खरीदे गए सब्जी/फल के वजन में शामिल नहीं रहता है।

सारी खरीदारियों की रसीद लेने पर जोर डालें।

खाद्य पदार्थ आदेश 1955, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, के तहत प्रख्यापित किया गया था, का मकसद फल एवं सब्जी के उत्पादन में सफाई एवं स्वास्थ्यकर स्थिति को नियमित करना है। इस आदेश के तहत सभी फल एवं सब्जी विक्रेताओं के लिये लाईसेंस लेना कानूनी अनिवार्यता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अच्छी कोटि के उत्पाद हैं और उनका उत्पादन स्वस्थ स्थिति में किया गया है। खाद्य उत्पाद आदेश में जिन न्यूनतम ज़रूरतों की पूर्ति करनी है वे हैं :

- परिसरों, आसपास के इलाकों तथा उनमें काम करने वाले कार्मिकों की सफाई एवं स्वास्थ्य संबंधी शर्तें।
- उत्पादन की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाला पानी।
- मशीनरी एवं उपकरण।
- उत्पाद की कोटि।

#### खरीदारी के गुर

- खाद्य सामग्रियों के नाम तथा ट्रेड नाम।
- उत्पादक/पैकर के नाम एवं पते।
- उत्पादन की तारीख तथा साल।
- बैच संख्या।
- उत्पाद का खालिस (नेट) वजन।

स्वर्णाभूषण खरीदते समय प्रमाण-चिह्न (हाल मार्क) को देख लिया करें।

स्वर्णाभूषण पर प्रमाण-चिह्न की डिज़ाइन

#### BIS प्रमाण चिह्न



#### शुद्धता/बारीकी

958	23 कैरेट के समरूप
916	22 कैरेट के समरूप
875	21 कैरेट के समरूप
750	18 कैरेट के समरूप
585	14 कैरेट के समरूप
375	9 कैरेट के समरूप



एक (प्रमाण चिह्न) वाली मुहर, जो सोने की पवित्रता सुनिश्चित करती है।



BIS Hall Mark आवर्धक लेंस से स्वर्णाभूषण खरीदारी से पहले यह चिह्न अवश्य देख लें।

सुनिश्चित ही लें, शुद्ध खरीदें, प्रमाण चिह्न (Hall Mark) वाले स्वर्णाभूषण के भी दाम ज्यादा नहीं होते।

# उपभोक्ता अपना अधिकार जानें

## ● विभा शुक्ला

एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में देश का प्रत्येक नागरिक उपभोक्ता होता है, चाहे वह एक छोटा बच्चा ही क्यों न हो। यहां तक कि एक वस्तु का उत्पादक, वितरक तथा विक्रेता भी किसी न किसी प्रकार से उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। व्यवसाय में उपभोक्ता का स्थान सर्वोपरि होता है। अर्थशास्त्र के 'उपभोक्ता सार्वभौमिकता' व 'ग्राहक जो चाहे उसे मिले' जैसे सिद्धांतों के अनुसार, उपभोक्ता व्यवसाय का राजा होता है और उसी की इच्छानुसार सारे उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन एवं विपणन होता है। ये सिद्धांत व्यवसाय का मार्गदर्शन तो करते हैं, किंतु ये मात्र सैद्धांतिक पक्ष हैं। व्यवहार में यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि अभी भी विकसित अर्थव्यवस्थाओं तक में उपभोक्ता का वह स्थान नहीं है, जो उसे प्राप्त होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्राहक की स्थिति तो और भी शोचनीय है। उपभोक्ता सदैव व्यवसायियों द्वारा अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से ठगे जाते रहे हैं।

समाज में बहुधा ऐसे लोग मिल जाते हैं जो यह शिकायत करते हैं कि उन्हें अमुक व्यक्ति ने ठग लिया या अमुक व्यक्ति की धोखाधड़ी के वे शिकार हो गए, क्रय किया गया माल बतलाए गए गुणों के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन अब क्या हो सकता है शायद यही हमारी किस्मत में लिखा था। लोग ठगे जाते रहते हैं और उसका रोना रोते रहते हैं। यह स्थिति क्यों आती है और समाज में धोखाधड़ी और ठगी क्यों चलती रहती है? इसका एकमात्र कारण यही है कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती और उनमें शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की जागरूकता का अभाव होता है। पाश्चात्य सभ्यता के दुष्प्रभाव, विज्ञापन, नैतिकता एवं आदर्श मूल्यों के ह्रास के

परिणामस्वरूप व्यापारी रातों-रात अमीर बनने की अभिलाषा के कारण अनुचित व्यापारिक व्यवहारों को अपनाते हुए उपभोक्ताओं को मिलावटी, अमानक, घटतौली, अल्पगुणवत्ता वाली वस्तुएं बेचकर उनका शोषण करते हैं। यह प्रक्रिया मात्र विकासशील देशों में ही नहीं अपितु विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी प्रायः देखने को मिलती है।

इलेक्ट्रॉनिक युग के आगमन ने आग में घी का काम किया है। पाश्चात्य संगीत, रहन-सहन और झूठे आडंबर की वृद्धि के कारण व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताएं असीमित रूप से बढ़ने लगीं। इसके परिणामस्वरूप जन्म हुआ भ्रष्टाचार और मिलावट का। मिलावट तो हर चीज का आवश्यक भाग बन गई है। दूध, दवा, मिठाई, तेल, घी, मसाले, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कपड़ा, रंग, दालें, सब्जियां आदि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बची जिनमें मिलावट न हो रही हो और इस प्रकार मिलावट करते-करते इंसान भी बन गया अच्छे-बुरे सभी गुणों का मिश्रण। वर्तमान समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां उपभोक्ताओं का शोषण न हो रहा हो जैसे - शिक्षा, बैंकिंग, चिकित्सा, डाक एवं कोरियर, भवन निर्माण। चिकित्सा सेवाओं आदि में त्रुटि एवं लापरवाही उपभोक्ता के लिये घातक सिद्ध हो रही है।

उपभोक्ता के जीवन में विज्ञापन का कुप्रभाव चिंता का विषय बना हुआ है। आजकल उत्पादों के साथ-साथ एक और बीमारी लग चुकी है वह है प्रलोभन देना। जैसे - एक वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त, पुरानी वस्तु के बदले में नयी वस्तु, नहाने के साबुन में सोने का लॉकेट होना, चाय की पैकिंग में डायमंड का होना व अनेक वस्तुओं के साथ स्कूटर, टीवी, फ्रिज, मोबाइल आदि लाखों के इनाम का लालच

विज्ञापनों में दिया जाता है। इस प्रकार आजकल के मिथ्या वर्णित, भ्रमित एवं गुमराह करते विज्ञापन उपभोक्ताओं को ठग रहे हैं।

अतः उपभोक्ताओं को शोषण होने से बचाने के लिये सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण हेतु उपभोक्ताओं को अनेक अधिकार प्रदान किए हैं तथा नियम, कानून एवं उपभोक्ता अदालतें भी बनाई हैं, परंतु वर्तमान में शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इनके प्रचार-प्रसार की अति आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि घटतौली, मिलावट, भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनके क्या अधिकार हैं और उनको कौन से कदम इनके विरुद्ध उठाना चाहिए। यदि वास्तव में हमें उपभोक्ताओं को संतुष्टि पहुंचाना है और लाभ देना है तो उदारीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा एवं हितों के संरक्षण हेतु जागरूक बनाने के साथ-साथ समाज में ईमानदारी का वातावरण सृजित करने की भी नितांत आवश्यकता है।

### उपभोक्ता अधिकार

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता आंदोलन के परस्पर संबंधों को मनाने और एकता प्रदर्शित करने का दिन है। यह संयुक्त राज्य अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी द्वारा 15 मार्च, 1962 को चार मूलभूत उपभोक्ता अधिकारों के बारे में की गई ऐतिहासिक घोषणा की याद में मनाया जाता है।

उस घोषणा के फलस्वरूप सरकारों और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंततः इस बात पर बल दिया गया कि सभी नागरिकों के उनकी आय या सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना उपभोक्ता के रूप में कुछ मूलभूत अधिकार हैं। भारत सरकार ने इसी के अनुरूप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 पारित किया, जिसमें



उपभोक्ताओं को मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए जो कि इस प्रकार हैं:

- **सुरक्षा का अधिकार** : उपभोक्ता का प्रथम अधिकार सुरक्षा का अधिकार है। उसे ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिनसे उसके शरीर एवं संपत्ति को हानि उत्पन्न हो सकती है। उसे किसी भी वस्तु या सेवा से चोट लगने या बीमार होने या क्षति होने या किसी भी व्यक्ति के अविवेकपूर्ण आचरण से क्षति होने के विरुद्ध सुरक्षा पाने का अधिकार है। उपभोक्ता इस अधिकार के द्वारा खराब एवं दुष्प्रभावी खाद्य वस्तुओं, नकली दवाओं, घटिया यंत्रों एवं उपकरणों तथा बाज़ार में उपलब्ध घटिया, नकली, जाली सभी वस्तुओं में होने वाली धन, स्वास्थ्य एवं शरीर की हानि से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है।
- **चुनाव या पसंद का अधिकार** : उपभोक्ता अपने इस अधिकार के अंतर्गत विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित विभिन्न ब्रांड, किस्म, गुण, रूप, रंग, आकार तथा मूल्य की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु का चुनाव करने को स्वतंत्र होगा।
- **सूचना पाने का अधिकार** : उपभोक्ता को वे सभी आवश्यक सूचनाएं भी प्राप्त करने का अधिकार होता है जिनके आधार पर वह वस्तु या सेवा खरीदने का निर्णय कर सके। यह सूचनाएं वस्तु की किस्म, मात्रा,

शुद्धता, प्रमाण, मूल्य आदि के संबंध में हो सकती है। इन सूचनाओं को प्राप्त करके कोई भी उपभोक्ता व्यवसायी के अनुचित व्यापारिक व्यवहारों से भी सुरक्षा प्राप्त कर सकता है।

- **सुनवाई या कहने का अधिकार** : उपभोक्ता को अपने हितों को प्रभावित करने वाली सभी बातों को उपयुक्त मंचों के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। वे अपने इस अधिकार का उपयोग करके व्यवसायी एवं सरकार को अपने हितों के अनुरूप निर्णय लेने तथा नीतियां बनाने के लिये बाध्य कर सकते हैं। सुनवाई का अधिकार ही वह अधिकार है, जिसके द्वारा वह अपनी शिकायत को व्यक्त कर सकता है तथा अपने अन्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा कर सकता है।
- **उपचार का अधिकार** : यह अधिकार उपभोक्ता को यह आश्वासन प्रदान करता है कि क्रय की गई वस्तु या सेवा उचित एवं संतोषजनक ढंग से उपयोग में नहीं लाई जा सकेगी तो उसे उसकी उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। उपभोक्ता के इस अधिकार की रक्षा के लिये सरकार कानूनी व्यवस्था करती है। भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की गई है।
- **उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार** : इस अधिकार

के अंतर्गत उपभोक्ता को उन सब बातों की शिक्षा या जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है जो एक उपभोक्ता के लिये आवश्यक होती है। शिक्षा उपभोक्ता की जागरूकता की आधारभूत आवश्यकता है, जबकि सूचना किसी क्रय की जाने वाली वस्तु या सेवा के संबंध में जानकारी है।

- **मूल्य या प्रतिफल का अधिकार** : उपभोक्ता यह अपेक्षा करने का अधिकार भी रखता है कि उसे उसके द्वारा चुकाए गए धन का पूरा मूल्य मिल सकेगा। उसे व्यवसायी द्वारा विक्रय के दौरान या विज्ञापन में किए गए वायदों तथा जगाई गई आशाओं को पूरा करवाने का अधिकार होता है।

संसद द्वारा पारित इस अधिनियम पर राष्ट्रपति ने दिनांक 24 दिसंबर, 1986 को हस्ताक्षर किए और यह कानून उसी दिन से पूरे भारत में लागू माना गया। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 दिसंबर को 'राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस' मनाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा अधिकारों को मान्यता प्रदान करना और उनकी रक्षा करना सामाजिक और आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण और गरिमामय परिचायक है। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिये एवं उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने के लिये उपभोक्ता अधिकारों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करना और उपभोक्ताओं को जागरूक करना आवश्यक है। □

# जागरूक उपभोक्ता : स

उपभोक्ता वि  
2009

## जनवरी

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

अपनी खरीद के लिए  
बिल अवश्य मांगें

## फरवरी

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

शुद्ध वजन की  
जाचें करें

## मार्च

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

विश्व उपभोक्ता  
अधिकार दिवस

## अप्रैल

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

भ्रामक विज्ञापनों के  
जाल में न फसें

## मई

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

जागरूक उपभोक्ता  
सुरक्षित उपभोक्ता

## जून

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

एक्सपायरी डेट  
की जाचें

**15th मार्च** विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

उपभोक्ता राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर  
1800-11-4000 (निःशुल्क) पर सम्पर्क कर सकते हैं।  
(बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से)  
अथवा 011-27662955,56,57,58 (सामान्य कॉल दरें)  
(9.30 प्रातः से 5.30 सायं - सोमवार से शनिवार)



# सुरक्षित उपभोक्ता



## निर्देशिका

9

### जुलाई

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

ISI मार्क सामान खरीदें

### अगस्त

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्म लाईन के माध्यम से परामर्श

### सितम्बर

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

MRP पर मोल-भाव

### अक्टूबर

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

हालमार्क वाले जेवर ही खरीदें

### नवम्बर

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

उपभोक्ता फोरम  
[www.ncdrc.nic.in](http://www.ncdrc.nic.in)

### दिसम्बर

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

24th दिसम्बर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

GH in Red, RH in Blue



जनहित मे जारी

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार

कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001 : वेबसाइट : [www.fcamin.nic.in](http://www.fcamin.nic.in)

# यूरोप में उपभोक्ता आंदोलन

● प्रमोद कुमार अग्रवाल

यूरोप में उपभोक्ता आंदोलन एक क्रांति का रूप ले रहा है। भविष्य में यह क्रांति शायद रूस एवं चीन की साम्यवादी क्रांति से भी वृहद स्वरूप ग्रहण कर ले।

यूरोप में इस आंदोलन के प्रणेता तो जर्मनी तथा स्पेन प्रभृति देश थे पर यूरोपीय परिसंघ द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण इसको एक विशिष्ट संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है जिस कारण यूरोपीय परिसंघ के अंतर्गत वर्तमान 27 देशों के लिये इस आंदोलन को विधिक मान्यता तथा प्रोत्साहन देना बाध्यतामूलक है। स्वयं यूरोपीय परिसंघ के अंतर्गत एक आयोग है जिसे महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल-सैंको) कहते हैं जो यूरोपीय परिसंघ के अंतर्भूक्त राष्ट्रों द्वारा संचालित उपभोक्ता कार्यक्रमों की निगरानी करता है, उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है एवं यूरोपीय परिसंघ द्वारा निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध लज्जमबर्ग में यूरोपीय न्यायालय में स्थित मामला दायर करता है।

इस प्रकार यूरोपीय परिसंघ यूरोप की संपूर्ण जनसंख्या के उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रों की जवाबदेही से आगे निकल गया है। वस्तुतः उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण तथा उनके कर्तव्यों का पालन यूरोपीय परिसंघ के लिये एक दृढ़निष्ठ तथा पवित्र आचरण संहिता है। यूरोपीय परिसंघ के बाहर के देशों में भी आंदोलन क्रमोद्भव इसी रूप में है। शनैः शनैः अन्य देश भी यूरोपीय परिसंघ में सम्मिलित हो रहे हैं।

यूरोपीय परिसंघ की 2007-2013 की उपभोक्ता संबंधित 'तीन दफा' रणनीति के अनुसार, उपभोक्ताओं को शक्तिशाली बनाया

जाएगा, उनके लिये कल्याणकारी योजनाओं में वृद्धि की जाएगी तथा उनको प्रभावशाली ढंग से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सुश्री मेगलेना कुनेवा, आयुक्त; उपभोक्ता विषय के अनुसार, "यह रणनीति उनके नागरिकों का जीवन बेहतर बना सकती है।" 49.3 करोड़ उपभोक्ता ही यूरोपीय अर्थतंत्र के आधार स्तंभ हैं। उनके द्वारा परिवार में उपभोग यूरोपीय परिसंघ के सकल घरेलू उत्पाद का 58 प्रतिशत है। अतः आत्मविश्वासी, जानकार तथा शक्तिशाली उपभोक्ता ही यूरोप के आर्थिक अर्थतंत्र के नवीकरण तथा कुशलता के संचालक हैं। इस रणनीति के मुख्य अंग हैं :

उपभोक्ता को सही-सही सूचना उपलब्ध कराना, बाजार की पारदर्शिता, कामयाब उपभोक्ता संरक्षण, उचित मूल्य पर उत्पाद की उपलब्धि, उपभोक्ता के लिये प्रभावशाली निर्णायक अधिकार, गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित उत्पाद और उपभोक्ता को ख़तरों तथा धमकियों से सुरक्षा।

यह रणनीति यूरोप के 27 देशों को एक बाजार में परिणत कर देगी तथा 27 देशों का उपभोक्ता समान रूप से जाकर किसी भी देश से वस्त्र या सेवा की ख़रीद कर सकता है। भविष्य में यूरोप संसार का सबसे विशाल बाजार होगा। दो विश्व युद्धों के दुखद अनुभव के पश्चात तथा संसार के कई देशों का उपनिवेश के माध्यम से शोषण करने के पश्चात यूरोप के एकीकरण का यह नवीन प्रयास सन 1997 में एम्स्टर्डम की संधि के पश्चात प्रारंभ हुआ जो कम से कम इक्कीसवीं सदी में स्थिर रहेगा।

उपभोक्ता की स्वार्थ रक्षा के कार्यान्वयन हेतु यूरोपीय परिसंघ अपने सदस्य देशों की उपभोक्ता संबंधी नीतियों की निगरानी करता है

ताकि अंतरराष्ट्रीय बाधाएं दूर हों। उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु यूरोपीय संघ ने निम्न व्यवस्थाएं ग्रहण की हैं :

- यूरोप में अधिक से अधिक वस्तुओं के मानक निर्धारण,
- यूरोप के सभी देशों में यूरोपीय परिसंघ द्वारा संचालित यूरोपीय उपभोक्ता केंद्र (ईसीसी) स्थापित करना जो उस देश के नागरिकों द्वारा यूरोपीय संघ के अन्य देशों में ख़रीदी गई वस्तुओं या सेवा से संबंधित शिकायतों का निस्तारण कर सकें,
- अनुचित वाणिज्यिक अभ्यासों के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करना,
- संपूर्ण यूरोप में उपभोक्ताओं में चेतना जाग्रत करने हेतु विभिन्न उपभोक्ता संगठनों को यूरोपीय परिसंघ द्वारा मान्यता तथा आर्थिक सहायता, विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन तथा विद्यालय स्तर पर छात्रों में उपभोक्ता संबंधी अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रचार-प्रसार। गत वर्ष यूरोपीय परिसंघ ने स्कूली छात्रों के बीच उपभोक्ता विषय संबंधी 18 लाख डायरियां वितरित कीं।
- जो देश यूरोपीय संघ के निर्देशों की अवहेलना करते हैं अथवा उनके अनुपालन में ढिलाई दिखाते हैं, उनके विरुद्ध यूरोपीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामला दायर करना।

इस प्रकार यूरोपीय परिसंघ में उपभोक्ता संरक्षण वास्तविकता है न कि भारत जैसे अन्य देशों की भांति अकादमिक अथवा सैद्धांतिक परिचर्चा। यूरोप में कोई भी ख़रीदारी संबंधी अनुचित संविदा मान्य नहीं है। किसी भी परिस्थिति में क्रेता का शोषण नहीं चल सकता।

सभी वस्तुओं तथा सेवाओं पर निर्धारित मूल्य अंकित होना चाहिए। संविदा की शर्तें सरल तथा समझने लायक हों। विक्रेता को वस्तुएं संविदा के अनुसार ही देना चाहिए। यदि देते समय वस्तु में कोई कमी हो तो विक्रेता उसकी या तो मरम्मत करे या उसके स्थान पर दूसरी वस्तु दे अथवा उसका मूल्य कम करे या उस संविदा को निरस्त करे अथवा खरीदार को मुआवज़ा दे। यदि वस्तु ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर संविदा के अनुकूल नहीं रहती, तो विक्रेता इसके लिये जिम्मेदार रहेगा। इस प्रकार की कठोर शर्तें यूरोपीय परिसंघ ने अपने विभिन्न निर्देश जारी करके उपभोक्ताओं के पक्ष में लागू की हैं।

दूर से बिक्री करने या खरीद करने के मामले में जैसे - ई-मेल द्वारा, उसमें वस्तु या माल के विषय में पूर्ण सूचना, भुगतान संबंधी शर्तें एवं वस्तु या माल के वापस करने के विषय में भी शर्तें अंतर्निहित होंगी। प्रत्येक व्यक्ति को सात कार्य दिवसों के भीतर संविदा भंग करने का अधिकार तथा तीस दिन के भीतर उपभोक्ता को पूरी कीमत की वापसी का अधिकार होगा। पर उपभोक्ता को अपने खर्चों पर वस्तु को वापस भेजना होगा। यूरोपीय परिसंघ ने 2005 में 29 क्रमांक निर्देश जारी करके अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को काली सूची में रखने के आदेश दिए। यूरोपीय परिसंघ के निर्देशों के अनुसार खाद्य पदार्थों पर यह सामान्य सूचना अनिवार्य रूप से लगाए जा रहे हैं, यहां तक कि आयातित खाद्य पदार्थों पर भी। भारत में आयातित वस्तुओं पर ये निर्देश कड़ाई से लागू नहीं किए जाते हैं क्योंकि आयात के पश्चात व्यापारी उन पर चिप्पी कैसे लगाएं? दूसरे, आयातित वस्तुओं पर माफिया व्यापारियों का आधिपत्य रहता है। यूरोप में खाद्य एवं पशु विभाग के अधिकारी इन नियंत्रणों को लागू करते हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार के मांस एवं समुद्री खाद्य पदार्थ यूरोप के लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हैं जबकि भारत में अभी तक एजेंसी ही ठीक नहीं है। यूरोप में किसी भी खाद्य पदार्थ पर यह लिखने पर निषेध है कि वह किस बीमारी का इलाज करता है जबकि भारत में यह आवश्यक रूप में लिखा रहता है।

खाद्य पदार्थों पर चिप्पी या सूचना उस भाषा में तथा इस ढंग से लिखी रहती है जो स्थानीय लोग आसानी से समझ सकें। प्रत्येक पैकेट पर कैलोरी, वसा, कार्बोहाइड्रेट, चीनी, लवण की मात्रा, अधिकतम खुदरा मूल्य, उपभोग की अंतिम

तारीख आदि लिखना अनिवार्य है।

सुरक्षा की दृष्टि से भी यूरोपीय परिसंघ में उत्पादों की गुणवत्ता को जनता तक उपलब्ध कराया जाता है। जो खाद्य पदार्थ नहीं हैं उनके विषय में भी प्रत्येक सदस्य देश का कर्तव्य है कि वह दूसरे देश को शीघ्रातिशीघ्र सूचित करे। जैसे - बालकों के खिलौने जो उनके गले के नीचे उतर सकते हैं, छोटे-छोटे लाइटर, चुंबक इत्यादि। इस प्रकार के प्रायः सात सौ उत्पादों की अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसमें जर्मनी द्वारा 163 तथा इंग्लैंड द्वारा 100 उत्पाद के नाम जारी किए गए हैं। इनमें से चीन से आयातित अनेकानेक वस्तुएं हैं। इसके लिये यूरोपीय परिसंघ द्वारा संचालित रैपेक्स व्यवस्था है जिसके माध्यम से ये आपातकालीन संदेश प्रसारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यूरोपीय परिसंघ विभिन्न उपभोक्ताओं में जागरूकता का विस्तार करने के लिये मान्यता, विभिन्न अनुदान तथा प्रोत्साहन देता है। ये गैरसरकारी संगठन उपभोक्ताओं के पक्ष में यूरोपीय परिसंघ के विधान, नियम, नीतियों तथा निर्देशों को उपभोक्ताओं की ज़रूरतों के अनुसार किए जाने के लिये समर्थन जुटाते हैं। ब्यूक (बीईयूसी) यूरोपीय संघ का ऐसा ही शीर्षतम गैरसरकारी संगठन है तथा एनेक (एएनईसी) मानक निर्धारित करने के लिये केंद्रीय गैरसरकारी संगठन है। ये यूरोपीय परिसंघ द्वारा अनुदान पाते हैं।

यूरोपीय परिसंघ के सदस्य देशों में इन निर्देशों के पालन को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं।

#### उपभोक्ता की शिकायतों का समाधान

प्रायः सभी यूरोपीय देशों में उपभोक्ता की शिकायतों को निबटाने के लिये उपभोक्ता के प्रतिनिधियों, संस्थाओं तथा संगठनों को अधिकार प्राप्त हैं। अतः उन्हें राज्य द्वारा गठित औपचारिक न्यायालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होती। राज्य द्वारा संचालित न्यायालयों की कार्यविधि भारत की भांति ही औपचारिकताओं से बोझिल है तथा उपभोक्ता मामलों को भी अन्य मामलों के साथ पंक्ति में लगाना पड़ता है। उपभोक्ता संघों अथवा उपभोक्ता परिषद द्वारा निपटाए जाने वाले मुकदमों के निर्णय वादी तथा परिवादी समान रूप से स्वीकार करते हैं। वस्तुतः उद्योगपति ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के उचित निपटान में अधिक रुचि दिखाते हैं ताकि उनके उत्पादों की अधिक-से-अधिक बिक्री हो सके। स्पेन का माध्यस्थम अधिकरण उपभोक्ताओं के मामले निबटाने में सबसे अधिक

त्वरित तथा सक्षम है। स्पेन के शीर्ष उपभोक्ता संगठन थेकू (सेसू) की शाखाएं स्पेन के प्रत्येक राज्य में हैं तथा उनके पास एलएलबी डिग्री धारी सक्षम वकील सदस्य हैं जो मध्यस्थ का काम करते हैं। यदि दोनों पक्ष चाहें तो केवल एक मध्यस्थ ही दोनों के मध्य विवाद को हल कर सकता है। भारत की भांति तीन मध्यस्थों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता नहीं होती है। स्पेन में अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध माध्यस्थम के अपील का भी प्रावधान नहीं है तथा अधिकरण का निर्णय अंतिम तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है।

यूरोप के विभिन्न देशों में शिकायतों के सुनने तथा उनके समाधान का जाल बिछा हुआ है। जर्मनी में प्रत्येक नगर तथा राज्य में उपभोक्ता सलाह केंद्र हैं जहां उपभोक्ता को उसकी समस्या के लिये सलाह दी जाती है, वहीं 'उपभोक्ता आवाज' नामक संगठन में कोई भी दूरभाष या ई-मेल द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है तथा उसे दूरभाष या ई-मेल द्वारा ही समाधान प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक देश में मुफ्त दूरभाष सहायता लाइन हैं जिसके मुख्यालय पर स्थित विशेषज्ञों द्वारा शिकायतकर्ताओं या पीड़ितों का संबंधित विधि या निर्देशों के अनुसार मार्गदर्शन किया जाता है। इंग्लैंड में स्वच्छ व्यापार निदेशालय है जिसके अंतर्गत 'सीधी उपभोक्ता लाइन' दूरभाष लाइन है जिसे बीएसएस नामक संगठन ठेके पर चलाता है। 'उचित व्यापार निदेशालय' इसके कार्य का अनुश्रवण करता है। वह प्रश्नों के उत्तरों के रिकार्डों का अध्ययन करके निगरानी करता है। नागरिक ब्यूरो में भी उपभोक्ता विषयक मामलों में सलाह दी जाती है। यदि वह अधिक तकनीकी हुआ तो उसे संबंधित बीएसएस दूरभाष सहायता केंद्र के पास भेज दिया जाता है।

#### मानकीकरण तथा प्रकाशन

यूरोप में सभी स्तरों पर मानकों को स्थिर करने की जैसे प्रतियोगिता छिड़ी है ताकि वस्तु या सेवा की गुणवत्ता मानक के अनुसार हो तथा उपभोक्ता को सेवा का लाभ प्राप्त हो।

यूरोपीय परिसंघ से लेकर प्रत्येक देश के अपने मानक स्थिर करने वाले संगठन हैं। इन देशों के उत्पादक या व्यापारीगण स्वेच्छापूर्वक तथा सहृदयता से मानकों को स्वीकार करते हैं तथा उत्तम से उत्तम उत्पाद बाजार में लाने का प्रयास करते हैं। यूरोप में उद्योगपति अथवा व्यापारी या सेवा संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर की वस्तुएं या सेवा उपलब्ध कराने का पूरा प्रयत्न

करते हैं ताकि वे अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अपनी धाक जमा सकें। भारत जैसे विकासशील देशों में उत्पादक या व्यापारी अपने उत्पादों को मानकों से बचाकर निकालना चाहते हैं। जर्मनी में 'डिन' नामक संगठन है जो वर्षों से जर्मन उद्योग तथा व्यापार के लिये विभिन्न उत्पादों के मानक स्थिर कर रहा है तथा इसके शीर्ष परिषद में उपभोक्ताओं का भी प्रतिनिधित्व है। अभी तक यह संगठन वस्तुओं एवं सेवाओं को मिलाकर प्रायः 30,716 मानक स्थिर कर चुका है। इसी प्रकार यूरोपीय परिसंघ तथा उद्योग द्वारा सहायता प्राप्त एनेक, एक गैरसरकारी संगठन है जो विभिन्न क्षेत्रों में लगभग छह सौ मानक प्रकाशित कर चुका है। एनेक के ये मानक यूरोपीय परिसंघ के सभी सदस्य देशों के लिये बाध्यकारी हैं। अतः वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल स्थान से ही जब ठीक से जांच करके वस्तु या सेवा निकलती है, तो उसमें गड़बड़ी की गुंजाइश कम से कम होती है। इंग्लैंड में 'उचित व्यापार कार्यालय' (ओएफटी) है जो अपने मानकों के अनुसार विभिन्न उत्पादकों तथा सेवा प्रदायी केंद्रों को औपचारिक लाइसेंस देता है तथा उत्पाद अथवा सेवा में कमी होने पर उस लाइसेंस को वापस ले लेता है। इंग्लैंड में 'उचित व्यापार कार्यालय' द्वारा यह कार्यवाही ही विभिन्न औद्योगिक अथवा व्यापारिक संगठनों को गुणवत्ता के प्रति सचेत रखता है।

दूसरा सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण पत्रिकाएं प्रकाशित करना है। विभिन्न देशों में गैरसरकारी संस्थाओं में उपभोक्ता सदस्यों की विशाल संख्या है तथा वे इन पत्रिकाओं के सदस्य हैं। उदाहरणार्थ, जर्मनी से प्रकाशित टेस्ट पत्रिका में बाज़ार में उपलब्ध विभिन्न उत्पादों का तुलनात्मक गुणवत्ता विश्लेषण प्रकाशित होता है जो मानकों के आधार पर किया जाता है। इन विश्लेषणों तथा तुलनात्मक तालिकाओं को पढ़कर उपभोक्तागण बाज़ार में अपनी आवश्यकतानुसार, दाम के अनुसार अथवा रुचि के अनुसार वस्तु या सेवा खरीदते हैं। जर्मनी में इस पत्रिका के 15 लाख सदस्य पाठक हैं। अतः पत्रिका को किसी अन्य सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। फलतः पत्रिका का प्रकाशन उसे अधिक से अधिक वैज्ञानिक तथा निरपेक्ष बनाने की कोशिश करता है। इसी प्रकार बेल्जियम की प्रायः एक करोड़ की जनसंख्या में से 3.3 लाख उपभोक्ता संघ के सदस्य हैं तथा नियमित वार्षिक चंदा देते हैं। इस कारण इस संघ को किसी भी सरकारी या उद्योग संगठन की

व्यापारिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती। चार करोड़ की आबादी वाले स्पेन में केंद्रीय उपभोक्ता संघ के 1.10 लाख सदस्य हैं तथा यह संगठन सभी दृष्टि से स्वावलंबी है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि यूरोप में उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ताओं का, उपभोक्ताओं द्वारा तथा उपभोक्ताओं के लिये है। इसमें बाहरी हस्तक्षेप की संभावना नगण्य है।

#### उपभोक्ता के मध्य जागरूकता

यूरोप में उपभोक्ता संरक्षण तथा उपभोक्ताओं के लिये जागरूकता के कार्यक्रम साथ-साथ चल रहे हैं। वस्तुतः दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं अर्थात् दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यूरोपीय परिसंघ के नेतृत्व में यूरोपीय देशों में उपभोक्ता जागरूकता का कार्यक्रम स्कूली छात्रों तक पहुंच गया है। स्वयं यूरोपीय परिसंघ ने 15 लाख स्कूली छात्रों में 15 लाख 'दि यूरोपा' नामक डायरियां वितरित की हैं जिसमें प्रायः प्रारंभिक एक सौ पृष्ठों पर अधिकांशतः उपभोक्ता के अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन है तथा डायरी के द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं को सरल भाषा एवं सहज शैली में आवश्यक सूचना प्राप्त होती है। यूरोपीय परिसंघ की नकल करते हुए स्पेन सरकार ने भी अपने यहां बच्चों को डायरियां वितरित की हैं जिसमें प्रायः बीस पृष्ठों में स्पेनिश भाषा में उपभोक्ता से संबंधित सूचनाएं दी गई हैं। स्पेन में तो उपभोक्ता विषयों में प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विषयक राष्ट्रीय संस्थान है जो सरकार को निरंतर सलाह देती रहती है।

बड़े पैमाने पर यूरोप के देशों में उपभोक्ता आंदोलन चलाया जा रहा है तथा जो देश उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करने में ढील बरतते हैं, उनके विरुद्ध यूरोपीय आयोग कानूनी कार्रवाई कर रहा है। उपभोक्ता आंदोलन की सफलता का इससे बड़ा सूचक और कुछ हो ही नहीं सकता है। आयुक्त, उपभोक्ता यूरोपीय संघ ने चार देशों के विरुद्ध मुकदमा दायर किए हैं। भारत में तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कुछ सलाह देना ही उनकी संप्रभुता को चुनौती देना है। यूरोपीय संसद तथा यूरोपीय परिषद में उपभोक्ता संबंधी विधि पर विशद तथा विस्तार से चर्चा होती है। स्पेन के संविधान (1978) के 51वें अनुच्छेद में उपभोक्ता तथा लाभार्थियों को सरकारी अधिकारियों द्वारा रक्षा प्रदान की गई है।

यूरोप में उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, बालकों

की सुरक्षा, वृद्ध एवं विकलांगों की सहायता तथा उपभोक्ताओं के लिये ख़तरों की सूचना तक विस्तृत हो गया है। जर्मनी में उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे उपयुक्त खाद्य सामग्री ही ग्रहण करें तथा विभिन्न बीमारियों और विकृतियों से दूर रहें। इस प्रकार यूरोप में मोटापे की समस्या को दूर करना भी उपभोक्ता आंदोलन का एक अंग है। वर्ष 2002 में स्थापित बीएफआर नामक नयी संस्था जर्मनी में उपभोक्ताओं के हितों की निरंतर निगरानी करती है। जर्मनी में उपभोक्ता विषय खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं ताकि उपभोक्ता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। यूनाइटेड किंगडम में अनुचित व्यापारिक प्रथाओं पर रोक है। इसके लिये यूके की सरकार के व्यापार, उद्योग तथा नियामक सुधार विभाग ने वर्ष 2008 में अनुचित व्यापारिक नियमन, 2008 (सीपीआर) जारी किए हैं जोकि ब्रिटेन में अनुचित विपणन प्रथाओं को रोकता है। वास्तव में बिना लाइसेंस वालों से ब्रिटेन का जागरूक उपभोक्ता न तो माल खरीदता है और न ही सेवा। उस व्यापारी या सेवा-प्रदाता की रोजी-रोटी ही ख़तरे में पड़ जाती है। यह सर्वाधिक सरल उपाय है क्योंकि इसमें औपचारिक रूप से विधान मंडल द्वारा कानून नहीं बनाना पड़ता है।

यदि कोई विक्रेता अपने उत्पाद का बढ-चढ़कर विज्ञापन देता है पर वास्तव में वह वैसा नहीं है, तो संबंधित उपभोक्ता उस विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई तथा मुआवज़ा की मांग कर सकता है। उपभोक्ता पर अनावश्यक प्रभाव, उसका उत्पीड़न तथा उससे जोर-जबरदस्ती के लिये विक्रेता को प्रतिकार स्वरूप भुगतान करना पड़ेगा। इंग्लैंड में जब इस तरह के मामले वहां के नियमित न्यायालयों में जाते हैं तो उनके निपटान में भारत के उपभोक्ता अदालतों की भांति विलंब होता है। फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालयों का उत्तम ढांचा है। वहां सभी प्रकार के मुकदमों के निपटान में समय कम लगता है।

सारांश रूप में कहा जा सकता है कि उपभोक्ता आंदोलन यूरोप की आधुनिक सभ्यता का अविभाज्य अंग है। यदि यूरोप का यही एकत्रित ढांचा स्थिर रहा तो यूरोप निकट भविष्य में संसार की सर्वश्रेष्ठ बाज़ार महाशक्ति होगा। □

(लेखक पश्चिम बंगाल सरकार के उपभोक्ता विषयक विभाग में प्रधान सचिव हैं।

ई-मेल : secy\_cons\_wb@nic.in)

## आर्थिक प्रोत्साहन का एक और पैकेज

मंदी का रुख रोकने की कोशिश ● आवास, इस्पात और ऑटो क्षेत्र में होगी राहत

दुनियाभर में छाई आर्थिक मंदी का सामना करने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये सरकार ने गत दिनों एक और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज देने की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने भी कर्ज को सस्ता करने के लिये कुछ प्रयास किए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि निजी क्षेत्र के बैंक ऋण दरों में कमी करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने तो इस दिशा में पहल करते हुए अपनी ब्याज दरें कम कर भी दी हैं। रिजर्व बैंक के इस कदम का बैंकों ने स्वागत किया है।

चालू वित्त वर्ष के दूसरे और आखिरी प्रोत्साहन पैकेज में सरकार ने घरेलू उत्पादकों को करों में छूट देने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिये सार्वजनिक खर्च में बढ़ोतरी की घोषणा की है। दूसरे पैकेज में निर्यात, आवास और लघु उद्योगों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के उपाय किए गए हैं।

सरकार ने इस दूसरे आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में रीयल्टी डेवलपर्स की मदद के लिये कई उपाय किए हैं और घरेलू इस्पात कंपनियों की मदद के लिये भी कई कदम उठाए हैं। पैकेज की घोषणा करते हुए योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने कहा कि “ये उपाय मंदी के रुख को रोकने के लिये किए गए हैं। हमने सीमेंट और स्टील के कुछ उत्पादों पर प्रतिशुल्क वापस लिया है। यह शुल्क मुद्रास्फीति कम करने के लिये लगाया गया था।” वित्त सचिव अरुण रामनाथन ने कहा कि “अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये सरकार ने विभिन्न रियायतों सहित जो कदम उठाए हैं उससे सरकारी खजाने को 40 हजार करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा। मोंटेकसिंह अहलुवालिया ने कहा कि “अर्थव्यवस्था के

लिये बैंकिंग प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है।”

रिजर्व बैंक ने रेपो और रिवर्स रेपो दर में एक-एक फीसदी की कमी कर यह संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में वाणिज्यिक बैंक भी आवास, वाहन और व्यक्तिगत कर्ज पर ब्याज की दर सस्ता कर सकते हैं। बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में भी आधा फीसदी की कमी कर बैंकों के लिये 20 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध कराई। इससे अब बैंकों के पास कर्ज देने के लिये अतिरिक्त धन होगा।

सरकार और रिजर्व बैंक के इन कदमों का जहां उद्योग जगत ने स्वागत किया है वहीं निर्यात क्षेत्र ने इससे निराशा जताई है। एसबीआई सहित सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने संकेत दिया है कि वे आने वाले दिनों में अपनी ऋण और जमा दरों की समीक्षा करेंगे। रिजर्व बैंक की ओर से अल्पकालिक ऋण दरों में की गई कटौती और वित्तीय प्रणाली में 20 हजार करोड़ रुपये की नकदी का प्रवाह बढ़ाने के लिये उठाए गए मौद्रिक कदम के बाद अब आवास, उपभोक्ता और कारपोरेट ऋण की ब्याज दरों में कटौती संभव है। देश का शीर्ष बैंक आरबीआई 20 महीनों में अब तक सीआरआर में 14 बार बदलाव कर चुका है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एम.डी. माल्या ने कहा कि “रिजर्व बैंक के इन कदमों के बाद ऋण और जमा दरों में कमी आनी चाहिए। विकास की गति को बढ़ाने और बाजार में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये रिजर्व बैंक ने अपने सीआरआर में आधा फीसदी की कटौती कर इसे पांच फीसदी कर दिया। इससे बाजार में 20 हजार करोड़ रुपये की नकदी का प्रवाह होगा।”

बैंक के ताजा पहल को मिला दें तो आरबीआई ने पिछले साल अक्टूबर से अब तक उठाए गए विभिन्न कदमों के जरिये तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त नकदी वित्तीय प्रणाली में डाल चुका है।

देश में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि रिजर्व बैंक के ताजा पहल से बैंकों को अपनी जमा और ऋण दर घटाने में मदद मिलेगी। ऐक्सिस बैंक के ऋण विभाग के प्रमुख पार्थ मुखर्जी ने कहा कि “वह ब्याज दरों में कटौती की संभावना पर विचार करेंगे।”

रिजर्व बैंक के इस कदम के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक और इलाहाबाद बैंक ने अपनी दरों में कटौती कर भी दी है। यूनियन बैंक ने अपनी विभिन्न अवधि के जमा की ब्याज दर में 1.35 फीसदी की कटौती की। बैंक की नयी दरें पांच जनवरी से प्रभावी हो गई है। बैंक के मुताबिक वह बेंचमार्क प्रधान उधारी दर (बीपीएलआर) में कटौती करने पर आगे विचार करेगा। इसी तरह इलाहाबाद बैंक ने भी अपनी बीपीएलआर 0.75 फीसदी की कटौती कर 12.5 फीसदी किया है।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार की ओर से घोषित दूसरे प्रोत्साहन पैकेज से ढांचागत क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने इसके क्रियान्वयन को लेकर कुछ आशंकाएं जताई हैं। एचडीएफसी बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री अभिषेक बरुआ ने कहा कि “यह व्यापक पैकेज है, जो विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है।” उन्होंने कहा कि ढांचागत परियोजनाओं के तहत इसके क्रियान्वयन से जुड़ा मुद्दा अब भी एक समस्या है। उन्होंने पैकेज को निर्यातकों के लिये अच्छा बताया। □

# सावधानी से वाहन चल



# लाएं, सुरक्षित घर वापस आएं

- ◆ तेज गति से वाहन न चलाएं।
- ◆ शराब पीकर वाहन न चलाएं।
- ◆ दुपहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट पहनें।
- ◆ वाहन चलाते समय सेलफोन इस्तेमाल न करें।
- ◆ वाहन हमेशा पार्किंग क्षेत्र में खड़ा करें।
- ◆ वाहन लेन में चलाएं।



पोत, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय  
भारत सरकार  
द्वारा जनहित में जारी

## घाटी में कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता

● शमशेर अहमद खान

**ज**ब हम कश्मीर घाटी में कृषि के बारे में बात करते हैं तब इसका मतलब श्रीनगर सहित अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवारा और पुलवामा जिलों में कृषि के क्षेत्र में हुई प्रगति और बढ़ती क्षमता से होता है। जैसाकि सर्वविदित है कि जम्मू-कश्मीर क्षेत्र तीन प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित है - जम्मू, कश्मीर घाटी और करगिल व लेह। इन तीनों क्षेत्रों की जलवायु क्रमशः ऊष्ण, शीतोष्ण और शीतप्रद है और इसी प्रकार इन तीनों क्षेत्रों में क्रमशः सालाना बरसात का औसत 1,115.9 मिमी., 650.5 मिमी. और 650.5 मिमी. है। लद्दाख में आर्कटिक जैसी ठंड और लगभग 65 सेमी. वर्षा के कारण इसे शीत रेगिस्तान भी कहा जाता है।

जम्मू-कश्मीर की लगभग 80 प्रतिशत जनता पूर्णतः या अंशतः किसी न किसी रूप में कृषि पर निर्भर करती है। यहां तक कि राज्य का उद्योग भी कृषि के कच्चे माल पर निर्भर करता है। सन 1992 के रिकार्ड के मुताबिक इस पूरे राज्य में 24.15 लाख हेक्टेयर भूमि है। राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रफल के आधार पर इस राज्य का छठा और जनसंख्या के आधार पर 17वां स्थान है। इस पूरे राज्य में 14 जिले, 59 तहसीलें, 119 विकास खंड, 03 म्युनिसिपैलिटी, 54 कस्बे-कमेटी, 6,477 आबादी वाले ग्राम और 281 गैरआबादी वाले ग्राम हैं। राज्य के कुल 24.15 लाख हेक्टेयर भूमि में से मात्र 8.26 लाख हेक्टेयर भूमि में ही कृषि की जाती है, शेष भूमि पर वन या पर्वत हैं। पूरे राज्य में

खाद्यानों में धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, तिलहन, दालें और केसर पैदा होता है। सर्वविदित है कि खरीफ की फसल यानी धान के लिये नम और ऊष्ण जलवायु आवश्यक है। यहां कश्मीर घाटी में धान की बुआई मार्च-अप्रैल में की जाती है जिसे शरत ऋतु में काटा जाता है जबकि गंगा के मैदानी भागों में मई-जुलाई में बुआई करके अक्टूबर-नवंबर में काटते हैं। कश्मीर घाटी में इस समय मैदानी भागों की तुलना में बारिश काफी कम होती है किंतु इसकी आपूर्ति प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जलस्रोतों से हो जाती है।

राज्य का अधिकांश धान कश्मीर घाटी में ही पैदा होता है जो समुद्र से 2,100 मीटर तक की ऊंचाई पर पैदा किया जाता है। कश्मीर घाटी में इसका क्षेत्रफल 3,74,000 एकड़ है

तालिका-1

वर्ष 2006-07 और 2007-08 में घाटी में कृषि फसलों का क्षेत्र, पैदावार और उत्पादन का विवरण

\* = हजार हेक्टेयर में; \*\* = हजार मीट्रिक टन में; \*\*\* = क्विंटल/हेक्टेयर

क्र. सं.	फसल	विवरण	जिलेवार क्षेत्र/उत्पादन						कुल	
			अनंतनाग	बारामूला	बडगाम	कुपवारा	पुलवामा	श्रीनगर		
1.	धान	क्षेत्र*	41.00	34.00	28.00	16.00	28.00	13.00	160.00	
		उत्पादन**	2006-07	120.00	90.00	75.00	35.00	80.00	35.00	435.00
			2007-08	135.00	100.00	85.00	45.00	90.00	40.00	495.00
		उत्पादकता***	2006-07	29.00	26.00	26.00	21.00	28.00	26.00	26.00
			2007-08	32.00	29.00	30.00	28.00	32.00	30.00	30.17
2.	मक्का	क्षेत्र*	25.00	23.00	15.00	20.00	11.00	6.00	100.00	
		उत्पादन**	2006-07	35.00	37.00	15.00	25.00	15.00	8.00	135.00
			2007-08	38.00	40.00	18.00	20.00	16.00	8.00	140.00
		उत्पादकता***	2006-07	14.00	16.00	10.00	12.00	13.00	13.00	13.00
			2007-08							
3.	गेहूं	क्षेत्र*	0.10	1.50	0.40	0.30	0.40	0.03	7.64	
		उत्पादन**	2006-07	0.30	3.00	0.80	0.90	1.00	0.06	15.06
			2007-08	0.35	3.50	1.00	1.00	1.00	0.08	16.43
		उत्पादकता***	2006-07	30.00	20.00	20.00	30.00	25.00	20.00	22.50
			2007-08	35.00	23.00	25.00	33.00	25.00	26.00	25.50
4.	दालें	क्षेत्र*	4.00	5.00	3.00	7.00	2.50	1.70	24.00	
		उत्पादन**	2006-07	4.00	5.00	3.00	7.00	2.50	1.70	24.00
			2007-08	4.00	5.00	3.00	7.00	2.50	1.70	24.00
		उत्पादकता***	2006-07	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
			2007-08	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
5.	साग-सब्जी	क्षेत्र*	4.00	3.50	7.00	2.50	5.00	3.50	25.50	
		उत्पादन**	2006-07	80.00	75.00	170.00	42.00	100.00	80.00	547.00
			2007-08	100.00	90.00	200.00	60.00	130.00	100.00	680.00
		उत्पादकता***	2006-07	200.00	214.00	242.00	168.00	200.00	228.00	208.00
			2007-08	250.00	257.00	285.00	240.00	260.00	285.00	265.33
6.	तिलहन	क्षेत्र*	25.00	12.00	10.00	7.00	21.00	5.00	80.00	
		उत्पादन**	2006-07	25.00	12.00	10.00	7.00	21.00	5.00	80.00
			2007-08	26.00	12.70	11.00	7.50	22.00	5.80	85.00
		उत्पादकता***	2006-07	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
			2007-08	10.40	10.58	11.00	10.71	10.47	11.60	10.79
7.	घास-पतवार (पशुचारा)	क्षेत्र*	5.40	4.50	5.00	2.50	7.60	5.00	30.00	
		उत्पादन**	2006-07	125.00	127.00	167.00	80.00	390.00	185.00	1054.00
			2007-08	130.00	150.00	170.00	95.00	400.00	165.00	1120.00
		उत्पादकता***	2006-07	231.00	282.00	334.00	320.00	573.00	330.00	335.00
			2007-08	240.00	333.00	340.00	380.00	526.00	330.00	358.16

तालिका-2

कश्मीर घाटी का वर्ष 2007-08 में उत्पादन/मांग का विवरण

लाख टनों में

जिंस	जनसंख्या (लाखों में)	वास्तविक मांग	वर्ष के लिये निर्धारित उत्पादन	वास्तविक उत्पादन खरीफ 2007 और रबी 2007-08	प्रतिशत कमी (क) अत्यधिक (अ)
खाद्यान्न	60.00	10.40	6.68	6.90	34 (क)
सब्जी		6.25	6.60	7.00	12 (अ)
तिलहन		2.55	0.85	0.80	68 (क)

जिसकी औसत पैदावार प्रति एकड़ 25.5 क्विंटल है। गेहूँ रबी की फ़सल का खाद्यान्न है, जिसे नम और शीत जलवायु की आवश्यकता होती है। घाटी में यह अगस्त में बोया जाता है जिसे मार्च-अप्रैल में काटते हैं। कश्मीर घाटी में 78,000 एकड़ क्षेत्र में गेहूँ, 3,03,000 एकड़ क्षेत्र में मक्का और 6,700 एकड़ क्षेत्र में तिलहन बोया जाता है। घाटी की सबसे महत्वपूर्ण फसल केसर है जो लगभग (तीन हज़ार) 3,000 एकड़ क्षेत्र में पम्पोर में पैदा की जाती है। इसे जुलाई-अगस्त में बोया जाता है।

कृषि उद्योग में सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चूँकि घाटी में वर्षा कम होती है, विशेषकर घाटी में मानसून शरद ऋतु में तब सक्रिय होता है जब पौधों की बढ़त सबसे कम होती है और गर्मियों यानी मई में जब घाटी का तापमान बढ़ना शुरू होता है तब बारिश कम होती है। केवल जुलाई-अगस्त में मानसून का थोड़ा प्रभाव रहता है लेकिन शेष सूखा ही रहता है, लिहाज़ा सदियों से घाटी के किसान अतिरिक्त जोखिम न उठाते हुए केवल एक ही फ़सल लेते आए हैं। चूँकि फ़सल के लिये पर्याप्त पानी की ज़रूरत पड़ती है इसलिये यहां के किसान अपनी फ़सलों के लिये नहर की सिंचाई व्यवस्था पर आश्रित रहते हैं। नहर सिंचाई व्यवस्था घाटी का प्राकृतिक उपहार है, क्योंकि ग्लेशियर से पिघलते बर्फ़ का पानी ऊपर से नीचे आता रहता है जिन्हें नहरों के आकार में ढालकर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जल को खेतों की सिंचाई के काम में लाते हैं। इस विधि से घाटी की 60 प्रतिशत कृषि भूमि की सिंचाई होती है। घाटी में कृषि पैदावार का विवरण तालिका-1 में दिया है।

जम्मू-कश्मीर का जब हम एक नज़र में आकलन करते हैं तो पाते हैं कि सतहत्तर लाख अट्टारह हज़ार सात सौ जनसंख्या वाले इस

जैसाकि तालिका-2 से स्पष्ट हो जाता है।

इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि घाटी में सब्जियों का उत्पादन सदैव मांग से अधिक होता रहा है इसलिये इससे करोड़ों रुपयों की आय भी होती है (देखें तालिका-3)।

उत्तम फ़सल की पैदावार में अच्छे बीज की अहम भूमिका होती है। कुशल प्रशासन वह होता है जो किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराकर असली फ़सल का नियामक होता है। घाटी के किसानों को प्रशासन ने जो सहयोग

तालिका-3

गैरमौसमी सब्जियों का निर्यात

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	लक्ष्य 2008-09
निर्यात (000 मी.टन)	41.00	75.00	100.00	125.00	140.00
राजस्व की प्राप्ति (करोड़ रुपयों में)	41.00	75.00	125.00	150.00	160.00

राज्य की जनसंख्या घनत्व 34 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. है। वर्ष 1987-88 में राज्य की 13.9 प्रतिशत जनता गुरीबी रेखा के नीचे थी और आज 49 प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी 24.94 प्रतिशत है। राज्य के कुल 24.94 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में से 30 प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है और प्रतिव्यक्ति कृषि भूमि का औसत क्षेत्र 0.83 हेक्टेयर है। राज्य में सिंचित कृषि भूमि 42 प्रतिशत है जिसकी सिंचाई क्षमता 144 प्रतिशत है। इसमें 10.73 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सकल पैदावार क्षमता 146 प्रतिशत है जिसमें 9.19 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी उपजाऊ भूमि है जिसकी खाद्यान्न उत्पादकता क्षमता 14.55 मीट्रिक टन है।

जब हम घाटी की बात करते हैं तब हम पाते हैं कि घाटी में कुल 4.90 लाख हेक्टेयर कृषि वाले क्षेत्र में से विशुद्ध रूप से 3.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है। इसमें 2.11 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित और 1.39 लाख हेक्टेयर भूमि असिंचित है। इसमें से 7.47 लाख किसानों को मालिकाना हक़ हासिल है जिसमें प्रत्येक किसान को औसत 0.53 हेक्टेयर कृषि भूमि मिली है।

2007-08 की रिपोर्ट के मुताबिक जब हम कश्मीर घाटी की मांग और उत्पादन पर नज़र डालते हैं तब पता चलता है कि यदि कुछ खाद्यान्नों में कमी है तो कुछ में सरप्लस भी होता है।

तालिका-4

बीज वितरण (खरीफ 2008)

क्र. सं.	फ़सल/बीज	वितरित मात्रा/ आवंटित (क्विंटल)
1.	धान	5,000 क्विं.
2.	मक्का	711 क्विं.
3.	टमाटर	1,866 क्विं.
4.	फली	10.92 क्विं.
5.	मूंग	200 क्विं.
6.	खरपतवार (पशु चारा)	90 क्विं.

दिया, वह तालिका-4 से स्पष्ट हो जाता है।

इस तरह हम देखते हैं कि घाटी का कृषि क्षेत्र विषम परिस्थितियों में न सिर्फ़ आधुनिक तकनीक और विज्ञान पर निर्भरता की ओर बढ़ रहा है बल्कि अपनी घरेलू मांग और खपत से अधिक सब्जियों और फलों का उत्पादन करके विदेशी मुद्रा का अर्जन कर राष्ट्रीय कोष में अभिवृद्धि भी कर रहा है। यदि सच पूछा जाए तो अन्य राज्यों को भी कश्मीर की कृषि प्रविधि अपनाने से गुरेज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि कश्मीरी किसान विपरीत परिस्थितियों में भी एक से अधिक फ़सल लेने का हुनर जानते हैं। □

(लेखक पत्रकार हैं)

## चुनौतियों से निबटने को तैयार

**उ**मर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने तो मीडिया ने इसे जिस तरह से बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया उसके विपरीत उमर ने 5 जनवरी को जम्मू में अपेक्षाकृत एक साधारण समारोह में शपथ ली। उन्होंने अपने भाषण में संकेत दिए कि उनके कार्यकाल में सुशासन का एजेंडा सर्वोपरि होगा। शपथ ग्रहण समारोह में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्तों में बढ़ती प्रगाढ़ता का संकेत था। कांग्रेस ने खुद को

एक बेहद उदार सहयोगी के रूप में प्रस्तुत किया और मुख्यमंत्री पद पर क्रमिक फेरबदल न करने का फैसला किया। बारी-बारी से मुख्यमंत्री बनाने की व्यवस्था ने दरअसल पिछली गठबंधन सरकार के दौरान कांग्रेस और पीडीपी के रिश्तों में खटास पैदा कर दी थी।

10 सदस्यीय मंत्रिमंडल में कांग्रेस के पांच मंत्री हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर घाटी में संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। □

## कश्मीरी भाषा में बना वृत्तचित्र तेहरान में सराहा गया

**क**श्मीर घाटी के बाल श्रमिकों को लेकर पहली बार कश्मीरी भाषा में बने वृत्तचित्र को हाल में संपन्न तेहरान अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह में काफी सराहना मिली। इरानियन यंग सिनेमा सोसायटी की ओर से 12 से 17 नवंबर तक आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में *द लॉस्ट चाइल्डहुड* नामक कश्मीरी वृत्तचित्र को काफी सराहना मिली।

वृत्तचित्र के निदेशक बिलाल ए जॉन के मुताबिक इस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कुल 82 फिल्में दिखाई गईं जिनमें दो भारतीय फिल्में भी शामिल थीं। उन्होंने कहा कि “घाटी में बनी कई अन्य फिल्मों को भी श्रेय मिल सकता था लेकिन वे अन्य भाषाओं में बनी फिल्में थीं।” जॉन ने कहा कि “यह हमारी मातृभाषा के लिये गौरव की बात है।” *द लॉस्ट चाइल्डहुड* को दसवें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म

महोत्सव में भारतीय राष्ट्रीय वर्ग में विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। जॉन ने कहा कि घाटी में बाल श्रमिकों की समस्या सामाजिक से अधिक आर्थिक समस्या बन गई है। उन्होंने कहा कि “जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता प्रदान कर इस समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है।”

वर्ष 2001 में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर घाटी में 75,000 बाल श्रमिक थे जिसकी संख्या बढ़कर इस समय दो लाख के करीब हो गई है।

घाटी में सबसे अधिक बाल श्रमिक शाल और कालीन बनाने के उद्योग और मरम्मत करने वाले दुकानों में हैं। बिलाल ए जॉन ने कहा कि निर्माता एम. मकबूल लोन की इस फिल्म में कोई संवाद नहीं है। सारे दृश्य जीवंत हैं। □

## जम्मू-कश्मीर में रिकार्ड मतदान

### 11 लाख अधिक वोट पड़े

**ज**म्मू-कश्मीर में अलगाववादियों के चुनाव बहिष्कार को राज्य के लोगों ने धता बताते हुए मतदान के प्रति ऐतिहासिक उत्साह का प्रदर्शन किया है। राज्य में संपन्न हुए मतदान के छह चरणों में 2002 के चुनावों की तुलना में 30 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 2002 के विधानसभा चुनावों में पिछली बार 19 लाख से अधिक मत पड़े थे।

चुनाव आयोग ने बताया कि सातवें चरण के मतदान के पहले 19 जिलों की 66 सीटों पर संपन्न हुए चुनाव में 48 लाख 13 हजार 414 मतदाताओं में से 30 लाख 55 हजार 732 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे। चुनाव आयोग ने बताया कि 2002 के चुनावों में 44 लाख से अधिक मतदाताओं में से 19 लाख से अधिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। □

## सोनापुर मशरूम की खेती की कहानी

● करुणा शर्मा

**अ**सम की राजधानी गुवाहाटी से 25 किलोमीटर पूर्व में एक रोचक आर्थिक आंदोलन जोर पकड़ रहा है। दो सौ से ज्यादा सीमांत किसान मशरूम की खेती करके अपनी आमदनी करीब दुगुनी करने लगे हैं। इस महानगर से लगे देहाती इलाके के अनेक परिवारों को अवैध शराब के धंधे छोड़कर इस खेती से जुड़ने में उसने मदद की है। इसकी पहल गुवाहाटी स्थित गैरसरकारी संगठन 'मशरूम डेवलपमेंट फाउंडेशन' (एमडीएफ) ने की है। इस संगठन

के प्रधान अशोक के अनुयायी प्रांजल बरुआ हैं, जो करीब दो साल पहले इस खेती के विचार के साथ सोनापुर पहुंचे थे। बरुआ ने बताया, "शुरू में लोगों के मन में हिचक एवं संदेह था। परंतु समझाने-बुझाने और प्रेरक व्याख्यानों के बाद उन्होंने इसमें रुचि लेनी शुरू कर दी। एमडीएफ के प्रभावकारी अभियान के फलस्वरूप सोनापुर के आसपास के करीब 50 गांवों के लगभग 1,000 परिवार मशरूम की इस नयी आस्था में ढल गए। वहां ऐसे 200 परिवारों ने

इसके माध्यम से अधिक धन अर्जित करना शुरू कर दिया है, बाकी परिवारों ने भी कमोबेश इस नये विचार को स्वीकार कर लिया है। बरुआ तथा उनकी स्वयंसेवी संस्था को इस बात की खुशी है कि इस अभियान में 200 परिवार शामिल हुए हैं जो काफी संतोषजनक है।

झालुका बाड़ी गांव की रीतामणि देवड़ी ने दावा किया कि उसके परिवार की आमदनी में करीब 2,000 रुपये मासिक की बढ़ोतरी हो गई



है। जबकि मोरोंगबाड़ी गांव की गोजीन, उरल गांव की अनामिका बोरो तथा मोरोकडोला गांव की प्रतिभा काथर के अनुभव भी ऐसे ही हैं।

सोनापुर गुवाहाटी से मात्र 20 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह वास्तव में असम की राजधानी का हिस्सा है, क्योंकि यह कामरूप (मेट्रो) जिले तथा गुवाहाटी पुलिस जिले में पड़ता है। सोनापुर क्षेत्र के गांवों के अधिसंख्यक लोग रोज़ जीविकोपार्जन के लिये गुवाहाटी आते-जाते रहते हैं जबकि गुवाहाटी से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी एवं शिक्षक सोनापुर काम करने के लिये आते-जाते रहते हैं।

सोनापुर कॉलेज में भूगोल के प्राध्यापक बिमान पटवारी ने कहा कि “सोनापुर गांवों का एक समूह है जिस पर गुवाहाटी का भारी दारोमदार है। यदि सही ढंग से विकास किया जाए तो निश्चित तौर पर सोनापुर राज्य की राजधानी गुवाहाटी को विविध प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध करा सकता है, जिनमें मशरूम से लेकर कुशल श्रमशक्ति शामिल हैं। सोनापुर कॉलेज के 80 प्रतिशत से ज्यादा छात्र-छात्राएं गरीब और सीमांत आदिवासी परिवारों से तालुक रखने वाले हैं।

रीमामणि जैसी महिलाओं के परिवार वासगीत भूमि के छोटे से बागानों में जो कुछ पैदावार होता था, अभी तक उसी पर निर्भर थे, जबकि सुपारी की खेती सुरक्षित तथा स्थायी पौधारोपण का व्यवसाय था जो संकट के समय धन उपलब्ध कराता था। महिलाएं और लड़कियां बुनाई का काम भी करती हैं, परंतु नवीनता की कमी के कारण उनके उत्पादन का मुश्किल से अच्छा मूल्य मिल पाता है।

इस बीच एमडीएफ ने सोनापुर के उत्पादकों को अपना माल बेचने के लिये महत्वपूर्ण विपणन संपर्क उपलब्ध कराने हेतु अपना तंत्र निर्मित कर लिया है। मशरूम डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रांजल बरुआ ने बताया, “चूंकि गुवाहाटी एक बड़ा बाजार है, हमलोग सोनापुर में पैदा हुए अधिकतर मशरूम इकट्ठा कर उसे उस शहर में बेच देते हैं।

श्री बरुआ ने आगे बताया, “हमने हर परिवार के लिये पांच किलो मशरूम के उत्पादन का एक मामूली लक्ष्य तय कर रखा है। यदि 200 परिवारों में, जिन्होंने मशरूम की व्यावसायिक खेती शुरू कर दी है, से हरेक की आमदनी में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है तो यह

एक बड़ा योगदान होगा। एमडीएफ ने उन लोगों के बीच मशरूम की खेती को लोकप्रिय बनाने की एक नवीन अवधारणा अपनाई है। हमलोगों ने अपने निजी संपर्कों का इस्तेमाल कर शादी-ब्याह तथा अन्य ऐसे अवसरों पर होने वाले प्रीतिभोजों के मेन्यू में मशरूम की सब्जियों तथा अन्य खाद्य पदार्थों में मशरूम का इस्तेमाल शुरू कराया है। धीरे-धीरे लोगों ने ऐसे कार्यक्रमों में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एमडीएफ ने सोनापुर की सीमा के भीतर ही अधिक से अधिक ग्रामीणों को मशरूम की खेती की ओर आकर्षित करने का अभियान छेड़ दिया है। सोनापुर आंचलिक कठपुला कृषि समिति ने सोनापुर में शनिवार को लगने वाले साप्ताहिक हाट के मुख्य स्थान पर एक बोर्ड लगा रखा है जिस पर कॉमिक्स तथा कार्टून के माध्यम से अपना संदेश प्रचारित करने की कोशिश की गई है। समिति के निदेशक प्रसन्न देभारी ने बताया, “हमारे तीन स्थानीय लड़कों को गुवाहाटी में स्थित डॉन वास्को इंस्टीट्यूट में भेजा गया, जिन्हें कॉमिक्स तथा कार्टून के बारे में चार दिवसीय कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया। अब वे हमारी ओर से यह अभियान चला रहे हैं। लोगों को इसकी अधिक जानकारी देने के लिये समिति ने उस स्टॉल पर मुफ्त आधा किलो मशरूम उपलब्ध कराने की योजना बनाई है जहां ग्रामीण साप्ताहिक हाट में सामान खरीदने तथा बेचने के लिये आने पर लोग खाना खाते हैं।

सोनापुर ऐसे सीमांत क्षेत्रों में से एक है जिस पर गुवाहाटी काफी हद तक निर्भर रहता है।

मशरूम डेवलपमेंट फाउंडेशन स्थानीय लोगों में कुशलता बढ़ाने के लिये कुछ और योजना शुरू करने पर विचार कर रहा है। प्रांजल बरुआ ने बताया, “सोनापुर बड़ी संख्या में पलंबर, मेकैनिक, राजमिस्त्री, बढई तथा इलेक्ट्रिशियन भी गुवाहाटी को उपलब्ध करा सकता है। हमलोग ऐसे साझेदारों की तलाश में हैं जो ग्रामीण युवकों में ऐसी कुशलता का विकास कर सकें।”

सोनापुर कॉलेज भी इसी पक्ष पर विचार कर रहा है। कॉलेज के प्राचार्य बिपुल बोरा ने कहा, “हमलोग एक संसाधन केंद्र स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं जो गुवाहाटी के सीमांत क्षेत्रों में बसे ग्रामीण इलाकों की परस्पर निर्भरता के विभिन्न पक्षों पर गौर करेगा।” □

# अरुणाचल प्रदेश के सोलह जिलों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा

बारह राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेंगे

**अं** तरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े इलाकों के विकास और सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से सरकार ने चीन की सीमा से सटे सामरिक महत्व वाले अरुणाचल प्रदेश के सभी 16 जिलों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिये 1,412 किलोमीटर लंबी और महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना को हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट ने इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं उनमें तीन राज्यस्तरीय विश्वविद्यालयों को केंद्रीय दर्जा देने और 12 राज्यों में नये केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिये अध्यादेश लाने का फैसला भी शामिल है।

बैठक के बाद गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने इस निर्णय की जानकारी संवाददाताओं को देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश के जिलों को सड़क मार्ग से जोड़ने का फैसला बहुत ही सामरिक महत्व और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत तवांग को दो लेन के मार्ग से महादेवपुर से जोड़ा जाएगा। लोहित नदी पर ढोला और सादिया के बीच पुल भी बनाया जाएगा। परियोजना की लागत 12,513 करोड़ रुपये आंकी गई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से अरुणाचल प्रदेश के सभी 16 जिलों और असम के शिवसागर व तिनसुकिया जिलों का संपर्क मजबूत होगा। तवांग सहित प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर चीन के दावे को देखते हुए कैबिनेट के इस फैसले को

महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक में सरकार ने तीन राज्यस्तरीय विश्वविद्यालयों को केंद्रीय दर्जा देने और 12 राज्यों में नये केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिये अध्यादेश लाने का फैसला किया है। श्री चिदंबरम ने संवाददाताओं को बताया कि मध्य प्रदेश के हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय और उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा देने के लिये अध्यादेश लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नये विश्वविद्यालय बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में खुलेंगे। □

## म्यामां से होगी पूर्वोत्तर को सस्ती खाद्य आपूर्ति

**दे** श के पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र की ओर से खाद्य आपूर्ति के दौरान हर महीने परिवहन मद्द में करोड़ों रुपये के नुकसान से बचने के लिये पड़ोसी देश म्यामां के साथ औपचारिक करार की कोशिश की जा रही है। इस करार के बाद पूर्वोत्तर में जनवितरण प्रणाली के जरिये बाटे जाने वाले राशन की परिवहन मद्द में तो भारी बचत होगी ही, साथ में स्थानीय दुकानों पर भी माल जल्द पहुंच सकेगा। केंद्र सरकार के पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय और खाद्य

आपूर्ति मंत्रालय इसके लिये संयुक्त प्रयास कर रहे हैं।

मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इस करार से पूर्वोत्तर के लोगों को खाद्यान्न के लिये लंबे इंतजार से निजात मिल सकेगी। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।

मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में दिल्ली और देश के अन्य उत्तरी राज्यों से राशन भेजा जाता है। यहां रेल

से राशन पहुंचाने के लिये परिवहन मद्द में खासा खर्चा हो जाता है। इसके चलते यह सरकार को कई गुना महंगा पड़ता है। अधिकारियों के अनुसार राशन के लिये भेजा जाने वाला अनाज रियायती दर पर जारी होने से सरकार को पहले ही नुकसान सहना पड़ता है, इसमें यात्रा खर्च का नुकसान अलग जुड़ता है। इसे ध्यान में रखकर म्यामां से अनाज आपूर्ति के लिये करार के प्रयास किए जा रहे हैं। □

# निर्धन द्वारा लोक समृद्धि का उद्यम

## पौधे की एचएमटी प्रजाति का अध्ययन

यह देखते हुए कि एक विशेष प्रजाति देश के आधे दर्जन राज्यों में बेची जा रही है और दस लाख से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र (अधिक भी हो सकता है) में यह प्रजाति फैल चुकी है, यह सोचना स्वाभाविक है कि इसका प्रजनन संपन्न होगा। परंतु महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में नागमिड़ के नांदेड़ के 68 वर्षीय किसान दादा जी रामाजी खोबरागड़े, जिन्होंने एचएमटी के नाम से लोकप्रिय धान की इस प्रजाति का प्रजनन और चयन किया, अपने 6 सदस्यों वाले परिवार का पेट पालने के लिये अभी भी अपने

3.5 एकड़ खेत में पसीना बहा रहे हैं।

दादाजी रामाजी खोबरागड़े ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के डॉ. जे.पी. पटेल द्वारा विकसित लोकप्रिय प्रजाति पटेल-3 को चुनकर उसके प्रजनन से धान की एचएमटी प्रजाति का विकास किया। अपने छोटे से खेत में लगातार अध्ययन और अनुसंधान के बाद उन्हें सफलता प्राप्त हुई। उनके इस शोध कार्य में वैज्ञानिक समुदाय से कोई सहायता नहीं मिली। इस विकसित प्रजाति की उपज प्रति हेक्टेयर 40-45 क्विंटल है। इसका दाना अपने

मूल धान की तुलना में छोटा, अधिक चावल की प्राप्ति कराने वाला (80 प्रतिशत), बेहतर सुगंधयुक्त और पकाने में बढ़िया होता है। इस प्रजाति की सबसे खास विशेषता इसके दाने की बारीकी है। पौध प्रजाति और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए) ने इसे पतलेपन (बारीकी) के मानक संदर्भ के लिये शामिल कर लिया है।

राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (एनआईएफ) की 2005 में हुई तीसरी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उन्हें इस प्रजाति के विकास के लिये राष्ट्रीय



इन बीजों को संभाल कर रख लिया। अगले वर्ष भी उन्होंने अलग से ही इन बीजों को बोया और करीब 10 किलो चावल की उपज प्राप्त की। इस चावल को पकाने पर उन्होंने उसे पटेल प्रजाति के चावल से ज्यादा स्वादिष्ट पाया।

बाद में, 1988

में उन्होंने 10×10 फिट के क्षेत्र में 41 किलोग्राम बीज बोया और 400-450 किलो चावल पैदा किया। उसके अगले वर्ष 100-150 किलो बीज बोए गए जिनसे 50 बोरे धान की पैदावार हुई। उन्होंने 40 बोरे बीज अपने गांव के कुछ किसानों सहित अन्य किसानों को बेच दिया। नांदेड़ के एक बड़े किसान भीमराव शिंदे ने 150 किलो बीज खरीदा और 4 एकड़ भूमि में बोया। उन्हें 90 बोरे की उपज मिली और उसे दादा खोबरागड़े की पैदावार सहित, तलोड़ी के एक व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी ने धान की प्रजाति का नाम पूछा, उन्हें कुछ नहीं सूझा कि क्या कहा जाए। उस दिन वे एचएमटी घड़ी पहने हुए थे, बस उसी के नाम पर उन्होंने उसका नाम एचएमटी के नाम पर रखने का सुझाव दिया। तब से यही एचएमटी नाम चला आ रहा है।

दादाजी ने अपनी इस प्रजाति के बारे में धान अनुसंधान केंद्र से संपर्क किया, परंतु उन्होंने उनके कृषि अनुसंधान को मान्यता देने से मना कर दिया क्योंकि वह वैज्ञानिक अनुसंधान तकनीक पर आधारित नहीं थी। परंतु 1993 में, नांदेड़ की ग्राम पंचायत ने अपनी बैठक में किसान के कार्य को मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया और उसे धान प्रजाति प्रजनक के रूप में स्वीकार किया। उन्हें पहली बार सार्वजनिक मान्यता मिली। चिमरा क्षेत्र के तत्कालीन सांसद विलासराव मुत्यान (1993) ने 1994 में नांदेड़ में इंदिरा गांधी की प्रतिमा के उद्घाटन के अवसर पर उनको सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। नागमिड़ के बीडीओ ने भी 1994 में कृषि मेलावा (कृषि मेला) के अवसर पर उनका सम्मान किया। अखबारों में उनके

कार्य के बारे में ख़बर प्रकाशित होने के बाद चंद्रपुर के कलेक्टर ने पंजाबराव कृषि विद्यापीठ (कृषि विश्वविद्यालय, अकोला) को पत्र लिखा, जिसके कारण उन्हें पीकेबी अकोला के तत्कालीन अनुसंधान निदेशक डा. मोघे से मान्यता मिली।

#### कटु अनुभव

खोबरागड़े से 1994 में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ की शाखा शिंदेवाड़ी चावल केंद्र ने संपर्क किया। प्रयोग के नाम पर यह संस्थान खोबरागड़े से नयी प्रजाति के 5 किलो बीज ले गया। परंतु उन्होंने 1998 में नयी प्रजाति पीकेपी एचएमटी नाम से जारी कर दिया। उनका दावा था कि खोबरागड़े की प्रजाति अशुद्ध थी और उन्होंने स्थानीय किस्म के एचएमटी को शुद्ध (परिपक्व) कर पीकेपी एचएमटी के नये अवतार के रूप में जारी किया है। खोबरागड़े के लिये उसमें और उनकी प्रजातियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं था (और अभी भी नहीं है)। हैदराबाद के सीसीएमबी में सुश्री रिया सिन्हा (2008) ने डॉ. अग्रवाल की सहायता से हाल में जो शोध किया है, उससे यह साफ-साफ़ स्थापित हो गया है कि पीकेवी एचएमटी और एचएमटी एक ही हैं और एक ही प्रजाति के हैं।

औपचारिक विज्ञान द्वारा अनौपचारिक विज्ञान की उपलब्धियों को नकारने का यह आदर्श उदाहरण अंग्रेजी के द हिंदू अखबार में प्रकाशित हुआ। खबर के अनुसार, नागपुर के पंजाबराव देशमुख कृषि महाविद्यालय के वनस्पति विभाग के सहायक प्रोफेसर ए.डी. भोबे, जो पहले शिंदेवाही चावल केंद्र में वरिष्ठ चावल प्रजनक थे, ने स्पष्ट किया है कि एचएमटी का चयन मूल रूप से किसान ने ही किया था। परंतु उन्होंने आगे कहा कि “हमने अनुभव किया कि



पुरस्कार प्रदान किया गया। एनआईएफ ने पीपीवीएफआरए 2001 के तहत इस प्रजाति के पंजीकरण के लिये आवेदन भी किया है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की संयुक्त कार्यान्वयन समिति (जेआईसी) और एनआईएफ के तहत कृषि संबंधी प्रयोगों को जारी रखने के लिये उन्हें दस हजार रुपये प्रतिमाह की नवाचारी फेलोशिप भी प्रदान की गई है।

वे महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के नागमिड़ ताल्लुक के छोटे से वन ग्राम नांदेड़ में बड़े हुए। प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण तीसरी कक्षा के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और खेत में अपने पिता की मदद करने लगे। वर्तमान में, अपने परिवार में वे अकेले कमाऊ सदस्य हैं। उनके परिवार में पुत्र (जो बीमारी के कारण कोई काम करने में असमर्थ है), पुत्रवधू और तीन पौत्र-पौत्रियां हैं। उनके पास तीन एकड़ ज़मीन थी, जिसे अपने बेटे के इलाज के लिये उन्हें बेचने को मजबूर होना पड़ा। बाद में उन्होंने दो एकड़ ज़मीन खरीदी और 1.5 एकड़ उनके समधी (बेटे के श्वसुर) ने उन्हें दी।

#### नयी प्रजाति का विकास

दादाजी खोबरागड़े ने 1983 में अपने 1.5 एकड़ के खेत में लगे पटेल-3 प्रजाति के धान के खेत में धान के पौधों में तीन पीले बीज वाली बालियां उगी हुई देखीं, जिन्हें ‘लोम्ब’ कहा जाता है। वे उन तीनों बालियों को घर ले आए और प्लास्टिक के एक बैग में रख दिया। अगले वर्ष उन्होंने इस पीली प्रजाति के बीजों को अपने खेत के बीच में अलग से बोया। इस प्रजाति की अधिक उपज को देखते हुए उन्होंने

यह एचएमटी एक प्रकार का मिश्रण था और इसको शुद्ध करने की आवश्यकता थी। किसान से बीज लेकर हमने उसे शुद्ध किया। पिछले कुछ वर्षों से किसानों को व्यक्तिगत रूप से पौध चयन का अधिकार नहीं रह गया है। किसानों की पद्धति में प्राकृतिक संकरण की कुछ संभावना रहती है।”

एनआईएफ से 2005 में मान्यता मिलने के बाद, *इंडियन एक्सप्रेस* समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार में पीकेवी के उप कुलपति शरद निंबालकर को यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया कि “हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि हमने (उस) प्रजाति का लक्षण स्पष्ट करने, शुद्धीकरण और संशोधन का कार्य किया है ताकि यह स्वाभाविक क्रम में किसी अशुद्धि का शिकार न हो जाए। हमें यह स्वीकार करना होगा कि वैज्ञानिक तौर पर ऐसा करना आवश्यक भी है।” उन्होंने आगे कहा कि “पीकेवी दादा जी का सम्मान करेगी। इसे कोई भी दादाजी से छीन नहीं सकता..... मैं तुरंत ही उन्हें पुरस्कार के लिये प्रमाणीकरण के कागजात भेजूंगा।” (*इंडियन एक्सप्रेस* 24/1/2005)। तीन साल हो गए हैं, परंतु इन कागजात का कोई अता-पता नहीं है।

अनेक पत्रकारों ने उनके कठिन परिश्रम के बारे में लिखा और उनके कार्यों की बेहतर स्वीकार्यता की पैरवी की। मुंबई की पत्रकार मीना मेनन ने एनआईएफ को लिखकर दादाजी रामाजी के उस संघर्ष की गाथा पर प्रकाश डाला जो इतने उपयोगी शोध को औपचारिक मान्यता दिलाने के लिये उन्हें करना पड़ा था। नागपुर के एक गैरसरकारी संगठन ‘विकल्प’ ने दिसंबर 2002 में एनआईएफ को पत्र लिखा और साथ में दादाजी रामाजी के शोध के बारे में विस्तृत जानकारी भी भेजी। इसमें दादाजी द्वारा 1983 से 2001 तक किए गए सारे कार्यों का क्रमवार ब्यौरा दिया गया था।

कृषि विश्वविद्यालय में काम करने वाले कृषि वैज्ञानिकों की कथित मदद से उनके शोध का लाभ निजी क्षेत्र की कंपनियों ने हड़प लिया। उन्हें इस बात का खेद है कि स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय ने केवल बीज का शुद्धीकरण कर उसका समूचा श्रेय ले लिया और उन्हें अपना उचित श्रेय नहीं मिला। यहां तक कि नागपुर और चंद्रपुर की अनेक कंपनियों ने उनके बीजों से लाखों कमाए, परंतु अपने

मुनाफे का जरा भी अंश दादाजी रामाजी को देने के बारे में नहीं सोचा।

### अदम्य आत्मा

सरकारी प्रतिष्ठानों, शोध संस्थाओं और निजी कंपनियों के साथ अपने अनुभवों से विचलित हुए बिना दादाजी रामाजी उसी काम में मस्त हैं, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, अर्थात् अपने पिता के पदचिह्नों पर चलना। उनके पिताजी का शौक था फसलों को चुनना और उनका प्रजनन, जिसे दादाजी बचपन से ही देखा करते थे और बाद में उन्होंने भी वही शौक अपना लिया। उनके पिता अनाज को अपने हाथों में लेकर एक विशेषज्ञ की तरह अपनी हथेलियों के बीच रखकर रगड़ते थे और अनाज के टूटे टुकड़ों को देखा करते थे ताकि अनाज की गुणवत्ता का पता लग सके। युवा दादाजी नयी प्रजाति के बीजों की खेती को लेकर इतने आकर्षित थे कि वे तो उसी के दीवाने हो गए। वे नयी प्रजाति को पॉलीथीन की थैलियों में भरकर अपने मित्रों को दिखाया करते।

अपनी इस लगन के कारण खोबरागढ़ ने पिछले 20 वर्षों में धान की 7 और प्रजातियों का चयन और प्रजनन किया है। इनके नाम हैं – चनौर, नादेड़ 92, नादेड़ हीरा, डीआरके, विजय नादेड़, दीपक रत्न और डीआरके2। ये सब एचएमटी को छोड़कर हैं। सभी प्रजातियों की औसत पैदावार 15-16 क्विंटल प्रति एकड़ है। इन आठ प्रजातियों में से 25 बोरे प्रति एकड़ की उपज वाला विजय नादेड़ और 20 बोरे प्रति एकड़ वाला एचएमटी, व्यावसायिक रूप से सफल रहे हैं। जैसा वे बचपन में किया करते थे, अभी भी वे प्रत्येक प्रजाति को बड़ी सावधानी पूर्वक फ्रेम कराकर और उस पर नाम आदि लिखकर बड़े गर्व से प्रदर्शित करते हैं। जब उनसे उनकी महत्वाकांक्षा के बारे में पूछा जाता है तो बताते हैं कि वे अपने विचारों का आदान-प्रदान अन्य किसानों के साथ करना चाहते हैं। वे महसूस करते हैं कि “यदि अन्य किसान वैज्ञानिक भी मेरे खेतों में काम करने के तरीके का अनुसरण करें, तो पैदावार बेहतर हो सकती है और फसल की अच्छी कीमत भी मिल सकती है।” उन्हें इसी बात से संतोष है कि उनसे प्रेरित होकर कई किसानों ने उनकी प्रजातियों में से चुनकर अपनी ही प्रजाति विकसित की है। इसमें प्रमुख है ‘जय श्री राम’ और ‘अलिफ लैला’।

विदर्भ क्षेत्र के अधिकतर किसान आजकल एचएमटी प्रजाति की ही उपज ले रहे हैं क्योंकि इसकी बेहतर कीमत मिलती है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। उनकी प्रजाति अब आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिकती है। परंतु उनके चेहरे पर दुख की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। अपनी स्थिति पर हैरानी जताते हुए वे कहते हैं, “उनकी छप्पर की छतें अब कबेलू (खपरैल) की छतों में बदल गई हैं....” और फिर रुक जाते हैं – हमें यह सोचने के लिये विवश करने के लिये कि यदि बाजार का व्यवहार और सरकार की उदासीनता ऐसी ही बनी रहती है तो इस देश में नवप्रवर्तन की संस्कृति को बढ़ावा कैसे मिलेगा?

अपनी तथा समाज की समस्याओं को हल करने की लोगों के प्रयासों की इस जैसी अनेक कहानियां राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (एनआईएफ) ने ‘हनी बी’ नेटवर्क के सहभागियों की स्वैच्छिक सहायता से संकलित कर एक दस्तावेज़ तैयार किया है। एनआईएफ इस तरह के प्रेरक प्रौद्योगिकीय प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें पुरस्कृत करता है। एनआईएफ गैरसहायता प्राप्त ज़मीनी प्रौद्योगिकी, नवीन प्रयासों और असाधारण पारंपरिक ज्ञान के उदाहरणों के लिये उत्पाद विकास, पेटेंट के लिये आवेदन करने और व्यापार के विकास हेतु समर्थन आदि के लिये सहायता प्रदान करता है। अपने छोटे द्विवार्षिक राष्ट्रीय स्पर्धा के लिये एनआईएफ ज़मीनी स्तर पर नवाचारी (नया प्रयोग करने वालों) किसानों, छात्रों, कलाकारों, मिस्त्रियों, मछुआरों, जड़ी-बूटी विशेषज्ञों और पारंपरिक इलाज करने वालों से प्रविष्टियां आमंत्रित करता है। प्रविष्टियां भेजने के लिये पता है – पो.बॉ. नं. 15051, अंबावाड़ी, अहमदाबाद-380015 और ई-मेल का पता है – [campaign@nifindia.org](mailto:campaign@nifindia.org)। पुरस्कृत नव प्रयोगों के बारे में वेबसाइट [www.nifindia.org](http://www.nifindia.org) से पता किया जा सकता है।

जो लोग दीर्घकालीन और कम खर्चीली प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेता बनाने के लिये इस ज़मीनी नवाचारी आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे एनआईएफ से संपर्क कर सकते हैं और अपनी सोच के बारे में विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। □

# खाबरों में

## ● राधा विनोद राजू बने एनआईए प्रमुख

मुंबई आतंकी हमलों जैसी घटनाओं से निपटने के लिये संसद की ओर से हाल ही में मंजूर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के पहले मुखिया के रूप में जम्मू-कश्मीर पुलिस में विशेष महानिदेशक राधा विनोद राजू को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने उनकी नियुक्ति की घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें तुरंत कार्यभार संभालने के लिये कहा गया है ताकि वह एनआईए में भर्तियों का काम तेज़ी से शुरू कर सकें।

श्री चिदंबरम ने कहा कि मुंबई आतंकी हमले की जांच सही ढंग से चल रही है। उसे एनआईए को सौंपने की कोई जरूरत नहीं है। उनसठ साल के राजू 1975 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह जम्मू-कश्मीर में सतर्कता विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। वह 31 जनवरी, 2010 तक एनआईए के महानिदेशक पद पर रहेंगे।

संगीन मामलों की जांच में विशेषज्ञता रखने वाले राजू इससे पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले की जांच में भी शामिल थे। गृह मंत्रालय ने श्री राजू के नाम की सिफारिश की थी जिसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूर कर लिया। एनआईए प्रमुख का पहला काम एजेंसी के लिये योग्य अधिकारियों की शिनाख्त कर उन्हें भर्ती करना, उसका बुनियादी ढांचा तैयार करना, नियम-कायदे बनाना और लॉजिस्टिक तैयार करना है।

एनआईए के पहले प्रमुख के तौर पर वह देश भर से उम्दा अधिकारियों की शिनाख्त करके प्रतिबद्ध अधिकारियों का कोर समूह बनाएंगे।

संसद ने पिछले साल दिसंबर में एनआईए का गठन करने के बारे में विधेयक पारित किया

था। जम्मू-कश्मीर में सतर्कता ब्यूरो के प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए राजू ने उग्रवाद के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे इस विभाग को मजबूत किया।

प्रस्ताव के मुताबिक एनआईए का समवर्ती अधिकार क्षेत्र होगा। कानूनी प्रावधान उसे देश के किसी भी राज्य में आतंकवादी हमलों की जांच का अधिकार देते हैं। इनमें देश की एकता और संप्रभुता से जुड़ी चुनौतियां, बम विस्फोट, विमान अपहरण, जलपोत अपहरण और परमाणु प्रतिष्ठानों पर होने वाले हमले शामिल होंगे। राजू की नियुक्ति के लिये विभिन्न जांच एवं खुफिया एजेंसियों से सलाह-मशविरा किया गया था। इनमें सीबीआई, खुफिया ब्यूरो और नवगठित राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन शामिल हैं। सभी ने एनआईए के मुखिया पद के लिये राजू के नाम का समर्थन किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के तहत राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय कर्मियों के अलावा सुरक्षा संगठनों के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा जबकि राज्यों में राज्य पुलिस के अधिकारियों को स्थायी प्रतिनियुक्ति आधार पर लिया जा सकता है।

## ● 21 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने विज्ञान की विभिन्न विधाओं में उल्लेखनीय शोधकार्य के लिये 21 वैज्ञानिकों को वर्ष 2007 एवं 08 के लिये प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए। वैज्ञानिकों को पुरस्कार स्वरूप पांच लाख की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र दिए गए।

वर्ष 2008 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीव विज्ञान के लिये इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ के डॉ. गजेंद्रपाल सिंह और सेंटर फॉर सेल्युलर तथा मॉलीक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के एल.एस.

शशिधर को प्रदान किया गया। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में आईआईटी मद्रास के डॉ. प्रदीप तलाप्पिल, आईआईटी कानपुर के डॉ. जे.एन. मूर्ति को दिया गया।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु के डॉ. पी.एन. विनयचंद्रन को अर्थ, एटमॉस्फेयर ओशन एंड प्लेनेटरी साइंस के क्षेत्र में शोध के लिये यह पुरस्कार दिया। इंजीनियरिंग का पुरस्कार आईआईटी दिल्ली के डॉ. राजन कुमार मलिक, मैथमैटिकल साइंस के लिये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के जयकुमार राधाकृष्णन, मेडिकल साइंस के लिये एम्स के डॉ. रवीन्द्र गोस्वामी तथा भौतिक विज्ञान के शोध के लिये पुणे विश्वविद्यालय के आस्ट्रोनॉमी वैज्ञानिक रघुनाथन श्रीनानंद तथा जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च बंगलुरु के डॉ. श्रीकंठ शास्त्री को दिया गया।

वर्ष 2007 के लिये 11 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिए गए। इनमें जीव विज्ञान के लिये डॉ. नारायणस्वामी श्रीनिवासन तथा डॉ. उपेन्द्र सिंह भल्ला, रसायन विज्ञान के लिये डॉ. अमलेन्दु चंद्रा तथा ए. अजय घोष, इंजीनियरिंग के लिये डॉ. राम गोविन्दराजन तथा डॉ. बी. श्रीनिवासन मूर्ति, भौतिक विज्ञान के लिये डॉ. यशवंत गुप्ता तथा डॉ. पिंकी मजमूदार शामिल हैं। जबकि चिकित्सा विज्ञान के लिये डॉ. पी. नरसिम्हन रंगराजन, गणित विज्ञान के लिये बी.बी. राजाराम भाट तथा प्लेनेटरी साइंस के लिये डॉ. अनिल भारद्वाज को पुरस्कार प्रदान किया गया।

## ● भारत निर्मित डब्ल्यू 2 का सफल प्रक्षेपण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा अपने बंगलुरु स्थित उपग्रह केंद्र में तैयार किए गए यूरोप के एरियन-5 रॉकेट दो यूरोपीय संचार उपग्रहों के साथ प्रक्षेपित किया गया। दक्षिण अमरीका में स्थित फ्रेंच गुयाना के कुरु

अंतरिक्ष केंद्र से यह रॉकेट भारतीय समयानुसार सुबह चार बजकर पांच मिनट पर और स्थानीय समयानुसार शाम सात बजकर पैंतीस मिनट पर छोड़ा गया। रॉकेट यूरोप के टेलीकॉम ऑपरैटर यूटेलसेट के उपग्रह लेकर रवाना हुआ।

प्रक्षेपण के 27 मिनट बाद रॉकेट ने 'हॉट बर्ड 9' उपग्रह अंतरिक्षीय कक्षा में छोड़ दिया। यह उपग्रह समूचे यूरोप, उत्तर अफ्रीका एवं पश्चिम एशिया में डिजिटल एवं उच्च कोटि के टेलीविजन प्रसारण के लिये उपयोग में आएगा। रॉकेट ने इसके पांच मिनट बाद ही डब्ल्यू 2 एम उपग्रह छोड़ा। यह उपग्रह टेलीविजन डाटा ट्रांसफर और इंटरनेट की ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिये तैयार किया गया है। इसका निर्माण भारत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और ईएडीएस ऐस्ट्रियम ने संयुक्त रूप से किया है।

3,462 किलोग्राम वजन वाले इस उपग्रह को इसरो के बंगलुरु स्थित उपग्रह केंद्र में चार अरब रुपये में बनाया गया। इसका निर्माण यूरोपीय सेटेलाइट ऑपरैटर के लिये किया गया। इसरो के अध्यक्ष जी. माधवन नायर ने कहा कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त उपक्रम के तहत काम करने का यह पहला अनुभव था जो बहुत लाभप्रद रहा।

इसके साथ ही अंतरिक्ष प्रणालियों के कारोबार में भारत ने एक बड़ी कामयाबी दर्ज की है। विदेशी ग्राहक के लिये बनाए गए इसरो के पहले उपग्रह को सफलतापूर्वक तय कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इस सौदे से इसरो को करीब 200 करोड़ रुपये का मुनाफा होगा।

आधुनिक डब्ल्यू 2 एम उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और यूरोपीय एयरोस्पेस कंपनी ईएडीएस-ऐस्ट्रियम की वाणिज्यिक साझेदारी के तहत बनाया गया। इसरो के मुताबिक, भारतीय समयानुसार तड़के 4.05 बजे फ्रेंच गुयाना के कुरु स्थित गुयाना स्पेस सेंटर से इसे एरियन-5 वाइकल से लांच किया गया। लॉन्च के 32 मिनट बाद एरियन-5 से अलग होकर सेटेलाइट तयशुदा जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीओटी) में पहुंच गया। इसके साथ ही सेटेलाइट मैयुफैक्वरिंग मार्केट में इसरो ने शानदार उपस्थिति दर्ज करा दी।

यह सेटेलाइट पेरिस स्थित ग्लोबल सेटेलाइट कम्यूनिकेशन प्रोवाइडर यूटेलसेट के लिये बनाया गया। 3,463 किलो का डब्ल्यू 2 एम इसरो द्वारा बनाया गया सबसे भारी सेटेलाइट है। यह 15

साल तक काम कर सकता है। डब्ल्यू 2 एम में 32 ट्रांसपॉंडर्स लगे हैं। ये युटेलसेट के लिये टेलिविजन और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस उपलब्ध कराएंगे।

### ● मुद्रास्फीति में आशातीत कमी

थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति में अपेक्षा से ज्यादा आई है। गिरावट से न सिर्फ नीति-निर्माताओं को, बल्कि लोगों को भी राहत पहुंचाई है। 3 जनवरी को समाप्त सप्ताह में मुद्रास्फीति पिछले नौ महीनों के अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच कर 5.24 फीसदी पर आ टिकी है। ताज़ा जारी आंकड़ों के मुताबिक महंगाई की दर में यह गिरावट मुख्य तौर पर खाद्य पदार्थों के सस्ता होने से हुई। इसी बीच सरकार ने कहा है कि लगातार कम होती महंगाई की दर से देश में अपस्फीति का अंदेशा नहीं है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर इससे पिछले हफ्ते 5.91 फीसदी और पिछले साल इसी दौरान 4.26 फीसदी थी।

इस खबर का शेरार बाज़ार ने भी स्वागत किया। माना जा रहा है कि आने वाले समय में महंगाई में और राहत देखने को मिलेगी। इस दौरान तेल की वैश्विक कीमतें गिर रही हैं और अब यह 40 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे पहुंच चुका है। इसलिये माना जा सकता है कि बाज़ार द्वारा नियंत्रित ईंधन, ऊर्जा, बिजली और ल्यूब्रिकेंट की श्रेणी का सूचकांक और गिर सकता है क्योंकि नैफ्था, फर्नेस ऑयल और बिटुमेन आदि की कीमतें और ज्यादा नीचे आने की उम्मीद है।

प्राथमिक सामग्रियों के सूचकांक में 0.4 फीसदी और खाद्य पदार्थ श्रेणी के सूचकांक में 0.6 फीसदी की गिरावट का भी स्वागत किया जाना चाहिए, जो दालों, सब्जियों, फलों, चाय, मसाले आदि की कीमतों में कमी का नतीजा है।

विनिर्मित उत्पादों का सूचकांक भी एक फीसदी गिरा। विनिर्मित उत्पादों में कागज और कागज से बनने वाले उत्पाद 0.4 फीसदी सस्ते हुए और रसायन व रासायनिक उत्पाद 1.2 फीसदी सस्ते हुए। अगस्त में 12.91 फीसदी का स्तर छूने के बाद मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आ रही है। मुद्रास्फीति के लगातार 10वें हफ्ते गिरावट के बीच सरकार ने कहा कि यह मार्च के अंत तक लगातार कम हो सकती है पर उसने देश में अपस्फीति की आशांका से इंकार किया है।

आबादी के बड़े हिस्से के लिये खपत में अहम हिस्सा रखने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई गिरावट वास्तव में खुशी और संतोष की लहर पैदा करने वाली है।

वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अशोक चावला ने यहां पेट्रोटेक 2009 के सम्मेलन में कहा - "हम मार्च के अंत तक मुद्रास्फीति के तीन से चार फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। पर मुझे अपस्फीति की कोई आशांका नहीं दिखती। अपस्फीति के दौर में कीमतों में सामान्य गिरावट के साथ-साथ मुद्रा संकुचन और उत्पादन में कमी का घातक सिलसिला शुरू हो जाता है।" श्री चावला ने जारी मुद्रास्फीति के आंकड़े के बारे में कहा - "हम पिछले कई हफ्ते से मुद्रास्फीति के आंकड़ों में तेजी से गिरावट देख रहे हैं। यह रुख बहुत साफ़ है। अब स्थिति और सुविधाजनक हो गई है।"

आरबीआई द्वारा दरों में और कटौती की किसी भी संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा- मुद्रास्फीति के आंकड़े उन पैमानों में से एक है जो ब्याज दरें तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन संकेत बहुत साफ़ है और मुझे लगता है कि बैंक इन संकेतों को देख रहे होंगे और उसके मुताबिक चलते भी दिख रहे हैं।

### ● ग्राम न्यायालय बिल पर संसद की मुहर

संसद ने 'ग्राम न्यायालय बिल 2008' को पारित कर दिया है। इस बिल के कानून बनने के बाद ग्रामीणों को कम खर्च में उनके दरवाजे पर न्याय देने के लिये ग्रामीण कोर्ट की सुविधा मिल सकेगी। विधि मंत्री हंसराज भारद्वाज द्वारा पेश यह बिल लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ। इस बिल को राज्यसभा ने 17 दिसंबर को पारित किया था। इसके तहत 5,067 ब्लॉकों में स्थापित होने वाली कोर्टों के लिये केंद्र 320 करोड़ रुपये की मदद राज्यों को देगा।

### ● कपिल, बेदी और गावसकर आईसीसी के पहले क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में

भारत के तीन महान क्रिकेटर्स कपिल देव, सुनील गावसकर और बिशन सिंह बेदी को आईसीसी के सहस्राब्दि समारोह के तहत पहले हॉल ऑफ फेम में 55 पूर्व खिलाड़ियों के साथ शामिल किया गया है।

मुख्य कार्यकारी हारून लोर्गट ने आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम लांच करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर संघों के महासंघ

(फिका) के साथ शुरू की गई इस पहल से खेल को अपने महान खिलाड़ियों को सम्मानित करने का मौका मिलेगा।

गावस्कर ने सर डॉन ब्रेडमैन और सर गैरी सोबर्स के साथ अपना नाम इसमें शामिल किए जाने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “आईसीसी द्वारा सम्मानित किया जाना और वह भी उसके सहस्राब्दि वर्ष में गौरव की बात है। यह बड़ी उपलब्धि है और मैं आभारी हूँ कि सर डॉन ब्रेडमैन और सर गैरी सोबर्स जैसे खिलाड़ियों के साथ मेरा नाम शामिल किया गया।”

● **प्राची सेन को गीता चोपड़ा वीरता पुरस्कार**  
अपनी जान जोखिम में डालकर चार बच्चों की जान बचाने वाली खरगोन जिले के सनावद की वीर बाला प्राची सेन को वर्ष 2008 का गीता चोपड़ा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। भारतीय बाल कल्याण परिषद, नयी दिल्ली की अध्यक्ष गीता सिद्धार्थ ने प्राची को इस पुरस्कार के लिये चयन होने की जानकारी देते हुए उसे आमंत्रित किया। 26 जनवरी को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में आयोजित परेड में प्राची ने भाग लिया और उसी समय उसे पुरस्कृत किया गया।

2 जुलाई, 2007 को प्राची के पड़ोस में रहने वाले बच्चे रिचा, अनय, शेफाली और मानस अपने घर की छत पर खेल रहे थे। मानस के हाथ की लोहे की छड़ ऊपर से गुजर रही हाईटेशन विद्युत लाइन के संपर्क में आ गई और वह करंट की चपेट में आ गया था। इसके बाद तीनों अन्य बच्चे भी उसमें चिपक गए। इसे देखकर प्राची ने तुरंत बिजली लाइन से चिपकी लोहे की छड़ को अपने हाथ से झटक दिया था जिससे उसका बायां हाथ बुरी तरह झुलस गया।

● **सितारों की दुनिया में चमका नंदिनी का नाम**  
असमिया मूल की नंदिनी इंटरनेशनल द्वारा आयोजित विज्ञान व इंजीनियरिंग मेले-2007 की विजेता बनी है। उनके सम्मान में एक क्षुद्रग्रह (स्टेरॉयड) का नाम ‘23228 नंदिनी शर्मा’ रखा गया है। इस ग्रह को अमरीका के सोकोरो स्थित लिंकन लैब नियर अर्थ एस्टेरॉइड रिसर्च की टीम ने 21 नवंबर, 2000 को खोजा था।

नंदिनी के पिता गिरीश अमरीका की एक कंपनी में मुख्य वैज्ञानिक हैं। असम मूल की

नंदिनी माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में शोध जारी रखते हुए अपना नाम और आगे बढ़ाने की इच्छुक है। वह सामान्य स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का हल निकालने के लिये शोध कर रही है। उनका शोध कुदरती फूड प्रिजरवेटिक्स पर केंद्रित है। इसमें उन्होंने साबित किया है कि अदरक प्रभावी तौर पर कृत्रिम फूड प्रिजरवेटिक्स का स्थान ले सकता है।

● **हरियाणा में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू**

हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि कर्मचारियों को जनवरी 2009 से संशोधित वेतनमान दिए जाएंगे। संशोधित भत्ते भी जनवरी से प्रभावी होंगे।

● **साहित्य अकादेमी पुरस्कार घोषित**

साहित्य अकादेमी ने भारतीय भाषाओं के सात उपन्यासकारों, छह कवियों, छह कथाकारों, दो आलोचकों और एक निबंध लेखक को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। कुल बाइस लेखकों को अकादेमी पुरस्कार देने की अनुशांसा को साहित्य अकादेमी कार्यकारी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।

पुरस्कृत किए जाने वाले उपन्यासकारों में रीता चौधरी (असमिया), विद्यासागर नरजारी (बोडो), गोविंद मिश्र (हिंदी), श्रीनिवास वैद्य (कन्नड़), अशोक कामत (कोंकणी), श्याम मनोहर (मराठी) और मित्तर सैन मीत (पंजाबी) शामिल हैं।

इसके अलावा कवियों में शरत कुमार मुखोपाध्याय (बंगाली), चंपा शर्मा (डोगरी), एओ मेमचौबी (मणिपुरी), प्रमोद कुमार मोहंती (उड़िया), ओमप्रकाश पांडे (संस्कृत) और जयंत परमार (उर्दू) को भी साहित्य अकादेमी पुरस्कार दिया जाएगा।

कथाकारों में मंत्रेश्वर झा (मैथिली), सुमन शाह (गुजराती), श्री कीरत (नेपाली), दिनेश पांचाल (राजस्थानी), बादल हेमबाम (संथाली) और मेलामई पुन्स्वामी (तमिल) को साहित्य अकादेमी पुरस्कार दिया जाएगा।

आलोचना के लिये गुलाम नबी आतिश (कश्मीरी) और हिरो शेवकानी (सिंधी) की किताबों को साहित्य अकादेमी पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही मलयालम के लेखक दिवंगत के.पी. अप्पन की कृति को सम्मानित

किया जाएगा। अप्पन का निधन गत महीने ही हुआ। इस साल अंग्रेजी के लिये किसी लेखक को साहित्य अकादेमी पुरस्कार घोषित नहीं हुआ है।

● **केदारनाथ सिंह को भारत भारती पुरस्कार**

उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का वर्ष 2007 का सर्वोच्च सम्मान ‘भारत भारती’ पुरस्कार वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह को दिया जाएगा। संस्थान ने भारत भारती सहित दूसरे कई सम्मानों को घोषणा की है। भारत भारती पुरस्कार के रूप में श्री सिंह को दो लाख 51 हजार रुपये की राशि, स्मृति चिह्न और सम्मानपत्र दिया जाएगा। 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में जन्मे केदारनाथ सिंह ने प्रदेश के बनारस, गोरखपुर और पडरौना सहित कई कॉलेजों में पढ़ाया और बाद में 1976 में वे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आ गए। समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर केदारनाथ सिंह के प्रमुख काव्य-संकलनों में ‘अभी बिल्कुल अभी’, ‘जमीन पक रही है’, ‘यहां से देखो’, ‘अकाल में सारस’, ‘प्रतिनिधि कविताएं’, ‘उत्तर कबीर और अन्य कविताएं’, ‘टालस्टाय और उनकी साइकिल’ और ‘बाघ’ शामिल हैं। बाघ उनकी चर्चित लंबी कविता है। उनकी कविताओं का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।

संस्थान की ओर से दिया जाने वाला लोहिया साहित्य सम्मान रवींद्र कालिया को, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान बालशौरि रेड्डी को, हिंदी गौरव सम्मान विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को, दीनदयाल उपाध्याय सम्मान जितेंद्रनाथ पाठक को और अवंती बाई सम्मान शांति सहाय ‘नलिनी’ को दिया जाएगा। इन पुरस्कारों के रूप में दो लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

इसी तरह मालती शर्मा को लोकभूषण, हरिपाल त्यागी को कलाभूषण, अंगने लाल को विद्याभूषण, लक्ष्मीकांत शंखधर को विज्ञानभूषण, रमाकांत श्रीवास्तव को पत्रकारिता भूषण, विनोद बाला अरुण को प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान दिया जाएगा। इस सम्मान के रूप में एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी। मधु लिमये पुरस्कार आचार्य बाबूलाल गर्ग को और रामप्रवेश शास्त्री, श्योराज सिंह बेचैन, प्रताप नारायण टंडन, नरेश सक्सेना, रामशिरोमणि होरिल, नित्यानंद तिवारी, परमानंद जड़िया, एन.ई. विश्वनाथ अय्यर, कैलाश चंद्र पंत और रामाश्रय सविता को साहित्य भूषण सम्मान प्रदान किया जाएगा।

● **राघवन वरदराजन को जीडी बिड़ला पुरस्कार** भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएस) के वैज्ञानिक प्रोफेसर राघवन वरदराजन को इस वर्ष के जी.डी. बिड़ला पुरस्कार के लिये चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार आणविक जैव भौतिकी (कॉलीक्युलर बायोजिफिजिक्स) के क्षेत्र में शोध के लिये दिया जाएगा।

अवार्ड के तहत डेढ़ लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। वरदराजन ने प्रोटीन अनुक्रम, प्रोटीन आकार और प्रोटीन स्थिरता को समझने के लिये शोध किया था।

#### ● **लोकसभा की हिंदी वेबसाइट**

अब संसदीय कार्यों से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो गई हैं। इसके लिये [loksabha.nic.in](http://loksabha.nic.in) खोल कर हिंदी साइट क्लिक करना होगा। संसद परिसर स्थित संसदीय ज्ञान पीठ में लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने इस वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि “यह सूचना प्रबंधन के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे अब आम जनता लोकसभा के बारे में हिंदी में सूचनाएं जान सकेंगी।”

#### ● **ए.आर. रहमान को मिला गोल्डन ग्लोब**

मुंबई की झुग्गी बस्ती के एक लड़के की कहानी पर आधारित फिल्म *स्लमडॉग मिलिनेयर* के लिये सर्वश्रेष्ठ मौलिक संगीत की रचना के लिये संगीतकार ए.आर. रहमान ने गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन कर इतिहास रच दिया। इस फिल्म ने चार श्रेणियों में पुरस्कार जीत कर धूम मचा दी। झुग्गी निवासी एक युवक के करोड़पति बनने की इस कहानी का निर्देशन ब्रिटिश निर्माता डैनी बोयले ने किया है। यह फिल्म चार श्रेणियों में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिये नामित हुई थी और इसने उन सभी में बाजी मार ली। उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म ऑस्कर समारोह में भी करिश्मा दिखाएगी। फिल्म के लिये ए.आर. रहमान को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और सिमान ब्यूफोय को सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक चुना गया। इसके अलावा फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिये भी पुरस्कार हासिल किया है।

गुलजार के लिखे गीत ‘जय हो’ का संगीत देने वाले 43 साल के रहमान ने सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत रचना के लिये गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार जीता। उन्होंने इस उपलब्धि के लिये फिल्म के

निर्देशक, अपने साथी संगीतकारों के अलावा भारत के करोड़ों लोगों को धन्यवाद दिया। निर्देशक डैनी बोयले की इस फिल्म में अनिल कपूर, इरफान खान और ब्रिटिश भारतीय देव पटेल प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

52 साल के बोयले के लिये भी रहमान की तरह ही यह पहला गोल्डन ग्लोब था। इस अवार्ड के बाद अगले महीने होने जा रहे ऑस्कर अवार्ड समारोह में भी उनकी संभावना बलवली हुई है। बोयले की फिल्म में एक अनाथ युवक जमाल की मर्मस्पर्शी कहानी है। जमाल अपने प्यार को वापस हासिल करने के लिये लोकप्रिय खेल *हूँ वांट्स टू बी ए मिलिनेयर* के हिंदी संस्करण *कौन बनेगा करोड़पति* में हिस्सा लेता है और जीत भी जाता है। सिमोन ब्यूफोन ने *स्लमडॉग मिलिनेयर* की पटकथा भारतीय कूटनीतिज्ञ विकास स्वरूप के उपन्यास *क्यू एंड ए* को आधार बना कर लिखी। सिमोन को 1997 की हिट फिल्म *द फुल मॉटी* के लिये जाना जाता है।

रहमान को मिले पुरस्कार से उत्साहित भारत के संगीत जगत ने कहा कि संगीतकार ए.आर. रहमान का अगला मुकाम ऑस्कर होना चाहिए। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने के बाद अब उन्हें ऑस्कर मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले सभी संगीतकारों को ऑस्कर नहीं मिल पाया है पर संगीत जगत ‘मद्रास के मोजार्ट’ की जीत को लेकर आशान्वित हैं। शंकर-एहसान-लाय की संगीतकारों की तिकड़ी के शंकर महादेवन ने कहा कि “रहमान संगीत जगत के लिये क्रांति हैं और वे गानों को संगीतबद्ध करने की शैली में बदलाव लेकर आए हैं।” शंकर महादेवन ने कहा, “वे यहीं नहीं रुकेंगे। मुझे यकीन है कि वे ऑस्कर भी जीतेंगे। मैं हमेशा जानता था कि सिर्फ रहमान ही ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है और वे दुनिया में भारतीय संगीत को शीर्ष पर ले गए हैं। वहां से भविष्य अच्छा दिखाई देता है और अकेले रहमान पर इसका जिम्मा है। वे श्रेष्ठ हैं।” जानी-मानी गायिका आशा भोंसले ने कहा – “इस अच्छी खबर को सुनने के बाद मैंने तुरंत उनके सहायक के जरिये उन्हें बधाई दी। यह गर्व का विषय है कि एक भारतीय ने ऐसा कर दिखाया है। लेकिन इससे निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। संगीत की उनकी शैली काफी अनूठी और दूसरों

से अलग है। वे शास्त्रीय संगीत काफी अच्छी तरह समझते हैं।”

ए.आर. रहमान के साथ काम कर चुकी गायिका वसुंधरा दास भी उनके ऑस्कर जीतने को लेकर आशान्वित हैं। वसुंधरा कहती हैं – “उनकी स्वर रचनाओं को देखिए। क्षेत्रीय से लेकर ठेठ बॉलीवुड या पश्चिमी संगीत तक उन्होंने सभी में काम किया है। वे सभी तरह के संगीत के उस्ताद हैं। ऑस्कर के लिये मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।”

चार बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके रहमान पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। वरिष्ठ गायिका शुभा मुद्गल ने कहा कि मैं बेहद खुश हूँ कि ए.आर. रहमान को पुरस्कार मिला। मेरे विचार से वे इसके हकदार हैं।

ए.आर. रहमान ने रामगोपाल वर्मा की *रंगीला* से हिंदी फिल्म जगत में कदम रखा। इस फिल्म के संगीत ने भी लोकप्रियता के नये आयाम स्थापित किए और रहमान का हिंदी फिल्मों का सफर *बांबे, दिल से, ताल, लगान* और *रंग दे बसंती* तक जा पहुंचा। संगीतकार रहमान के संगीत में साज, स्वर और सुर का अद्भुत मेल संगीत प्रेमियों को भाता है और उनका अधिकतर संगीत लोकसंगीत से प्रेरित नजर आता है। 1998 में संगीतबद्ध किया गया लोकप्रिय गीत ‘छैय्या-छैय्या’ सूफी रहस्यवाद से गहरे तक जुड़ा था। ए.आर. रहमान की लोकप्रियता धीरे-धीरे सात समंदर पार तक पहुंची और 1999 में उन्होंने जर्मनी के म्यूनिख में पाँप सम्राट माइकल जैक्सन के साथ कार्यक्रम पेश किया।

इसके बाद 2002 में रहमान ने पहली बार अपने संगीत कार्यक्रम बांबे ड्रीम्स के लिये संगीत तैयार किया जिसका निर्देशन महान संगीतकार एंड्रयू लायड वैबर ने किया। इसके बाद रहमान का संगीत लंदन के वेस्ट एंड से लेकर न्यूयार्क के ब्रॉडवे तक छा गया। वर्ष 2004 में रहमान ने फिनलैंड के लोकसंगीत बैंड वर्तिना के साथ मिलकर *लॉर्ड आफ द रिंग्स* की मंचीय प्रस्तुति के लिये संगीत तैयार किया। ब्रिटिश निर्देशक डैनी बोयले की *स्लमडॉग मिलिनेयर* के लिये उनकी ‘जय हो’ संगीत रचना ने उन्हें 2008 में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड दिलाया और अब सर्वश्रेष्ठ मौलिक संगीत के लिये उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया जो किसी भारतीय को मिला पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है। □


## नहीं रहे चित्रकार मंजीत बावा

अपनी अनूठी शैली में प्रकृति, सूफी आध्यात्मिकता और पौराणिकता के अक्स उकेरने वाले प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा का गत महीने नयी दिल्ली स्थित उनके निवास पर निधन हो गया। 67 साल के बावा पिछले तीन साल से अचेतावस्था में थे। प्रधानमंत्री, कला समीक्षकों, कलाकारों और अन्य बुद्धिजीवियों ने उनके निधन को न केवल कला जगत की बल्कि पूरे भारतीय संस्कृति की गहरी क्षति बताई है।

उनके परिवार में एक पुत्री, एक पुत्र और भाई हैं। बावा को करीब तीन साल पहले मस्तिष्क आघात हुआ था। वे मूलतः पंजाब के धुरी इलाके के थे। लंदन में सिल्क स्क्रीन पेंटर के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले बावा ने अपनी नयी भारतीय शैली विकसित की। दिल्ली के कॉलेज ऑफ आर्ट्स और लंदन स्कूल ऑफ प्रिंटिंग से पढ़ाई करने वाले बावा ने रेखाचित्र पेंटर के रूप में काम शुरू किया और इस क्षेत्र में उन्होंने नयी ऊंचाई को छुआ। वह पहले चित्रकार थे जिन्होंने पाश्चात्य कला में बहुलता रखने वाले भूरे और धूसर रंगों का वर्चस्व खत्म करने व उसकी जगह लाल और बैंगनी सरीखे भारतीय रंगों को जगह दी।

मंजीत बावा के निधन पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दुख जताते हुए कहा कि “बावा ने सूफी संवेदनाओं का समकालीन भारतीय कला में समावेश किया।” प्रेम के बेहद सुहाने और शांत दृश्यों के बावा के चित्रण को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि “चटकीले रंगों के प्रयोग ने कला जगत में उन्हें एक खास मुकाम प्रदान किया।” अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि “भारतीय कला जगत में बावा के योगदान को लंबे समय तक याद रखा जाएगा।”

ललित कला अकादमी के अध्यक्ष अशोक वाजपेयी ने कहा कि “मंजीत बावा भारत के शीर्ष चित्रकारों में से एक थे। उन्होंने अपनी अद्वितीय शैली विकसित की जिसमें परंपरा के कई तत्वों का पुनराविष्कार शामिल था।”



उन्होंने बताया कि बावा से उनका करीब 30 बरस का साथ था। उनके साथ बीते पलों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि “उनके जैसा जोखिम उठाने वाला और उदार कलाकार कम है। उन्होंने चाक्षुष कला पैदा की जो अद्वितीय थी। उनमें अलग सौंदर्यबोध पैदा करने की अद्भुत क्षमता थी। वह न केवल उत्कृष्ट कलाकार थे बल्कि सजग नागरिक भी थे। वह सामाजिक मसलों पर सक्रिय रहते थे। चाहे सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठानी हो या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मसला, वे सभी में बढ़-चढ़ कर शामिल होते व आवाज उठाते थे। वे भारत भवन से करीब 15 बरसों से जुड़े हुए थे। जीवन में कई ऐसे मौके आए जब वे लीक से हट कर लोगों की मदद के लिये आगे बढ़ जाते थे।”

उन्होंने बावा को अथक यायावर बताते हुए कहा कि “उनका जाना न केवल कला जगत की क्षति है बल्कि भारतीय संस्कृति जगत को इससे गहरा धक्का लगा है।” कला समीक्षक प्रयाग शुक्ल ने बावा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा “उन्होंने अपनी एक चित्र भाषा गढ़ी जो समकालीन भारतीय कला के लिये अहम है। पहाड़ी ‘मिनएचर’ चित्रशैलियों से अपनी अंकन क्षमता को जोड़ कर उन्होंने अनोखा काम किया।”

उनके चित्रों की खासियत का बखान करते हुए उन्होंने बताया कि “चित्रभूमि को समतल बनाकर और उसमें विभिन्न मानव, दैवीय व पशु-पक्षी आकृतियों को भारहीन ढंग से रख कर जो मिथकीय कलाकृतियां उन्होंने बनाई उनसे भारतीय कला जगत अच्छी तरह परिचित है।

पश्चिमी कला के बरबस हम अपनी आधुनिकता अपने ढंग से रच सकते हैं।

कलाकार परमजीत सिंह ने बावा के साथ पर्वतारोहण के दिनों की याद करते हुए बताया कि “चित्रकला के साथ बावा को रोमांचक पर्वतारोहण का बड़ा शौक और जुनून था। इसके लिये वे ही हमेशा पहल करते थे और उस दौरान वे एक-एक पल को पूरी जीवंतता से जीते थे। उनका ‘सेंस ऑफ ह्यूमर’ बहुत तेज था। अपनी विनोदप्रियता से वे सभी का मन मोह लेते थे।” उन्होंने बताया कि – बावा उनसे जूनियर थे जब वे कश्मीरी गेट स्थित पॉलिटैक्निक में अंतिम साल की पढ़ाई कर रहे थे बावा पहले साल में थे। वे सिंह सहित अपने सभी सीनियर की बड़ी इज्जत करते थे। लंदन में पढ़ाई खत्म कर यहां लौटने के बाद उन्होंने गढ़ी में स्टूडियो बनाया और स्वामीनाथन के लिये काफी काम किया। सिंह भी उनके साथ गढ़ी में तो काम करते ही थे पहाड़ों में भी साथ जाकर खूब काम किया।”

ललित कला अकादेमी से जारी बयान में बावा के निधन पर गहरा शोक जताया गया है। अकादेमी ने बावा जैसे बड़े कलाकार, सहृदयी और मददगार दोस्त के जाने को अपूरणीय क्षति बताया है। बयान में कहा गया है कि उनकी अनूठी कलाकृति गहरे ज़मीन से जुड़ी हुई थी। जिसकी आधुनिक व्याख्या की जा सकती है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा के निदेशक राजीव लोचन ने बताया कि बावा अपने पीछे एक विरासत छोड़ गए जो समकालीनता की भावना के साथ पौराणिकता को संबोधित करती है और इसे समकालिक लोकाचार के हमारे मौजूदा संदर्भों तक बुलंद कर देती है। लोचन ने कहा कि यह बदकिस्मत है कि इस कद का एक चित्रकार कुछ सालों से चुप रहने के लिये बाध्य रहा। बीमारी ने उन्हें जिंदा तो रखा पर मौन। दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट्स में उन्होंने ललित कला की पढ़ाई की। जहां उन्हें सोमनाथ होरे, राकेश मेहरा, धनराज भगत और बी.सी. सान्याल जैसे शिक्षकों ने प्रशिक्षण दिया। □

## फिल्मकार तपन सिन्हा नहीं रहे

**आ**म आदमी के संघर्षों पर फिल्म बनाने वाले मशहूर फिल्म निर्माता तपन सिन्हा का 15 जनवरी को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता 84 साल के स्व. सिन्हा निमोनिया और सेप्टीसेमिया से पीड़ित थे। उनके परिवार में एक पुत्र है। उनकी अभिनेत्री पत्नी अरुंधति देवी का 1990 में निधन हो गया था। स्व. सिन्हा पिछले कई साल से बीमार चल रहे थे और पिछले साल दिसंबर से एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।



चार्ल्स डिकेंस के अपन्यास *ए टेल ऑफ टू सिटीज* और इस पर बनी फिल्म ने स्व. सिन्हा को फिल्मों से जुड़ने के लिये प्रेरित किया और वे ऐसे निर्माता बन गए जिन्होंने अपने काम से कभी समझौता नहीं किया। अमरीकी निर्देशकों विलियम बाइलेर और जॉन फोर्ड के दीवाने तपन स्व. सिन्हा ने फिल्मी दुनिया में एक तकनीशियन के तौर पर प्रवेश किया। उनके फिल्मी सफ़र में कुल 41 फिल्में दर्ज हैं। इनमें से 19 ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और लंदन, वेनिस, मास्को और बर्लिन में हुए अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में खूब सराहना बटोरी। तपन सिन्हा की फिल्मों में कल्पना और फंतासी के बजाय आम आदमी का संघर्ष दिखाई देता है।

उनकी पहली फिल्म *अंकुश* 1954 में रिलीज हुई थी। इससे एक साल पहले ही सत्यजीत राय की *पांथेर पांचाली* रिलीज हुई थी। तपन सिन्हा ने *काबुली वाला*, *एक डॉक्टर की मौत*, *निर्जन साइकाते*, *हाटे बाजार* और *आदमी और औरत* जैसी कला फिल्में बनाईं। लेकिन समकालीन निर्माताओं के मुकाबले उनकी चर्चा कम ही हुई। कलकता विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के बाद स्व. सिन्हा 1946 में न्यू थिएटर्स स्टूडियो से सहायक साउंड रिकॉर्डिस्ट के तौर पर जुड़े थे। स्व. सिन्हा दो साल बाद

कलकता मूवीटोन स्टूडियो आए और 1950 में उन्हें लंदन के पाइनवुड स्टूडियो में काम करने का मौका मिला। यहां उन्होंने फेडेरिको फेलिनी, वित्तोरियो दे साइका और हर्लेस क्राइटन जैसे निर्देशकों का काम करीब से देखा। भारत लौट कर उन्होंने 1954 में *अंकुश* बनाई। इस फिल्म में एक जर्मीदार का हाथी मुख्य पात्र था। यह उस दौर का बिल्कुल नया आइडिया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिखाया। उनकी अगली दो फिल्में 1955 में बनी *उपहार* और 1956 में बनी *टांसिल* ज्यादा कामयाब नहीं रहीं लेकिन 1957 में बनी *काबुली वाला* ने उन्हें यह पहचान दे दी जिसके वे हकदार थे। इसके बाद स्व. सिन्हा ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा।

*काबुली वाला* रवींद्र नाथ टैगोर की एक लघुकथा पर आधारित थी जिसने देश में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिये राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक जीता। यह फिल्म तकनीकी तौर पर कमजोर थी। बाद में खुद स्व. सिन्हा ने लिखा कि सत्यजीत राय और राजकपूर ने उन्हें फिल्म के कमजोर तकनीकी पक्ष के बारे में बताया। वाइलेर और फोर्ड की तरह ही स्व. सिन्हा ने भी कभी एक ही विषय पर दो फिल्में नहीं बनाईं। *काबुली वाला* के बाद 1958 में *लहुआ कपार्ट*, 1960 में *खुदितो पासन*, 1961 में *झिंदेर बंदी* से लेकर 2002 में उनकी आखिरी फिल्म *डार्ट्स ऑफ द सेंचुरी* तक जारी रहा। सूची लंबी है लेकिन कहीं कोई

दोहराव नहीं है। स्व. सिन्हा के काम की खासियत कहानी कहने की महारत थी। वे दर्शकों के सामने अपने विचार को जटिलता से पेश करना नहीं चाहते थे। उनकी फिल्मों में बंगाल के मध्यवर्गीय परिवारों पर केंद्रित होती थीं। उनकी ज्यादातर फिल्मों की कहानी गहन साहित्यिक आधार लिये होती थी। वे अकसर रवींद्रनाथ टैगोर, ताराशंकर बंदोपाध्याय, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, शरदेंदु बंदोपाध्याय, सुबोध घोष और रामपाड़ा चौधरी की लघु कहानियां और उपन्यास चुनते थे। कुछ फिल्मों की कहानियां खुद स्व. सिन्हा ने भी लिखी थीं।

कभी-कभी स्व. सिन्हा ने संदेश देने के लिये फंतासी को भी चुना। इनमें 1977 में बनी *गाल्यो होलेओ शती*, 1997 में ही *एक जे चाइलो देश*, 1980 में बनी *बांछारामेर बागान* और 1998 में *अजब गन्येर अजब कथा* प्रमुख हैं। स्व. सिन्हा ने *अदालत ओ एकटी में* और *अंतरध्यान* जैसी फिल्मों के जरिये सामाजिक समस्याएं भी उठाईं लेकिन उनकी फिल्मों *अपांजन* (1968), *सगीना महतो* (1970) और *राजा* (1975) में राजनीति कभी प्रमुख विषय के तौर पर नज़र नहीं आई। 1986 में बनी *आतंक* को अपवाद कहा जा सकता है। स्व. सिन्हा मानते थे कि राजनीतिक मुद्दे अल्पकालिक होते हैं।

स्व. सिन्हा ने बच्चों के लिये 1977 में *सफेद हाथी*, 1979 में *सबुज द्वीपरे राजा*, 1987 में *आज का राबिनहुड* और 1999 में *अनोखा मोती* जैसी फिल्में बनाईं। उनकी उल्लेखनीय हिंदी फिल्मों 1972 में *जिंदगी-जिंदगी*, 1974 में *सगीना*, 1990 में *एक डॉक्टर की मौत* और 2002 में *डॉर्ट्स ऑफ द सेंचुरी* है। उन्होंने 1984 में दूरदर्शन के लिये हिंदी में एक मशहूर लघु फिल्म *आदमी और औरत* भी बनाई। उन्होंने *हारमोनियम*, *एक जे चाइलो देश* और *आंधर पेराई* जैसी फिल्मों के गीत लिखे और कुछ के लिये संगीत भी दिया। □

## पत्रकारिता पर मौलिक लेखन के लिये भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार अर्पित

सूचना और प्रसारण तथा विदेश राज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कहा है कि “हिंदी पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है और अपनी भाषा का महत्व सिर्फ विकास के लिये नहीं है बल्कि यह देश के आत्मसम्मान के लिये ज़रूरी है।” वर्ष 2006 के लिये भारत सरकार के भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार अर्पण और वार्षिक संदर्भ ग्रंथ *भारत 2009* तथा *इंडिया 2009* राष्ट्र को समर्पित करने के बाद अपने भाषण में श्री शर्मा ने कहा कि विश्व की भारत में और भारतीय भाषा-साहित्य में रुचि बढ़ रही है। ऐसे में हिंदी का महत्व बढ़ जाता है। इसके गौरव को बढ़ाने के लिये हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

पुरस्कार की राशि कम होने की वजह से पुरस्कार के राष्ट्रीय एकता वर्ग में उपयुक्त प्रविष्टियां न मिलने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि “हालांकि कई पुरस्कार हैं जिनमें विजेताओं को बड़ी धनराशि मिलती है। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कारों के साथ बड़ा नाम जुड़ा है, जो अपने आप में इन्हें विशिष्ट बना देता है।” आग उन्होंने कहा कि “हिंदी को बढ़ावा देने के लिये इन पुरस्कारों की राशि बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।”

हिंदी में पत्रकारिता और जनसंचार विषयों पर मौलिक लेखन के लिये दिए जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार में इस बार पहला पुरस्कार पत्रकार श्याम माथुर को उनकी पांडुलिपि *फिल्म पत्रकारिता के विविध आयाम* के लिये दिया गया। इसी वर्ग में दूसरा पुरस्कार

लेखक और पत्रकार हर्षदेव की पुस्तक *सामयिक मीडिया शब्दकोश* को और तीसरा पुरस्कार सीताराम खोड़ावाल की पांडुलिपि *हिंदी जनसंचार और प्रेमचंद का जागरण मंच* को दिया गया।

मूलतः हिंदी में पत्रकारिता और जनसंचार विषयों में मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के लिये 25 वर्ष पहले शुरू किए गए इन पुरस्कारों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों के लिये क्रमशः 35,000 रुपये, 25,000 रुपये और 20,000



रुपये दिये जाते हैं। 1992 से इन पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता, महिला समस्या और बाल साहित्य के विषय भी शामिल कर लिये गए हैं।

महिला समस्या वर्ग में इस बार पहला पुरस्कार जानी-मानी कवयित्री और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक सुश्री अनामिका को उनकी पुस्तक *मन मांझने की ज़रूरत* को दिया गया। इस वर्ग का दूसरा पुरस्कार सुश्री लता शर्मा को उनकी पुस्तक *औरत अपने लिये* को दिया गया।

बाल साहित्य वर्ग का पहला पुरस्कार राम शंकर की पुस्तक *अंतरिक्ष का स्वप्निल लोक* को और दूसरा पुरस्कार हरीश कुमार ‘अमित’ की

पांडुलिपि *ईमानदारी का स्वाद* को दिया गया। इस बार राष्ट्रीय एकता वर्ग में किसी प्रविष्टि को पुरस्कार के योग्य नहीं पाया गया। महिला समस्या, राष्ट्रीय एकता और बाल साहित्य वर्गों में प्रथम पुरस्कार में 15,000 रुपये तथा द्वितीय पुरस्कार में 10,000 रुपये की राशि दी जाती है।

पत्रकारिता और जनसंचार वर्ग में मुरली मनोहर मंजुल को उनकी पुस्तक *आकाशवाणी की अंतर्कथा*, नरेंद्र सिंह यादव को उनकी पुस्तक *ग्राफिक डिजाइन*, डॉ. स्मिता मिश्रा और डॉ. अमरनाथ ‘अमर’ को संयुक्त रूप से लिखी पुस्तक *इलेक्ट्रॉनिक मीडिया - बदलते आयाम*, प्रभु झिंगरन को उनकी पुस्तक *सिर्फ समाचार* के लिये पांच-पांच हजार रुपये के सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हर साल दिए जाने वाले इन पुरस्कारों का कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाला प्रकाशन विभाग करता है।

समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री शर्मा ने प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक संदर्भ ग्रंथ के 53वें संस्करण *इंडिया 2009* का भी लोकार्पण किया। जबकि *भारत 2009* का लोकार्पण सूचना और प्रसारण सचिव श्रीमती सुषमा सिंह ने किया। हिंदी और अंग्रेज़ी, दो भाषाओं में प्रकाशित यह पुस्तक देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण व शहरी विकास, उद्योग, कला, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक, शिक्षा, संचार, खेल आदि सभी पहलुओं पर अद्यतन और विश्वसनीय जानकारी देती है। छात्रों के साथ-साथ शोधार्थियों और शिक्षण से जुड़े लोगों के लिये यह एक उपयोगी ग्रंथ है। □

# साक्षरता, शिक्षा और ज्ञान

● विनोद कुमार सिन्हा

सरसरी निगाह से देखने में लगता है कि साक्षरता, शिक्षा और ज्ञान एक ही वर्ग के शब्द हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से यह कथन सत्य नहीं प्रतीत होता। वस्तुतः साक्षर उसे कहेंगे जिसे पढ़ना-लिखना आता हो अर्थात् जिसे अक्षर ज्ञान हो। हमारे देश में साक्षरता के लिये बहुत से विकास कार्य हो रहे हैं। साक्षरता दर जो 1991 में 52.21 प्रतिशत था, इस वर्ष 2008 में लगभग 70 प्रतिशत पर आ गया है। इस संबंध में स्व. राजीव गांधी ने बड़ी गंभीर बातें कही थी। 15 मई, 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नयी दिल्ली के उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा था, “मैं यहां इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि यदि हम अपने आपको केवल साक्षरता तक सीमित रखते हैं, तो यह खतरनाक बात होगी। हमें देखना होगा कि यह कार्यक्रम साक्षरता को हमारी विरासत, हमारी प्राचीन परंपरा और हमारी संस्कृति से जोड़े।”

दुर्भाग्यवश उनका सपना पूरा न हो सका। वर्तमान विद्यालय एवं विश्वविद्यालय साक्षरों की फौज तैयार करने में लग गए। इस प्रकार साक्षरता शिक्षा का न प्रारंभिक उद्देश्य बन सका और न अंतिम।

विद्या उपाजर्जन की क्रिया को शिक्षा कहते हैं। 24 जनवरी, 1948 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में स्व. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि “शिक्षा का अर्थ मनुष्य की आत्मा को स्वतंत्र करना है न कि उसे निश्चित ढांचे में कैद करना।”

शिक्षा के संबंध में शास्त्रों में लिखा गया है- सा विद्या या विमुक्तये। सच्ची शिक्षा अर्थात् विद्या मनुष्य की आत्मा को मुक्त करती है,

अर्थात् स्वतंत्र करती है। शिक्षा मनुष्य के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क के चहुंमुखी विकास को कहते हैं। शिक्षा से मनुष्य ईमानदार, सत्यनिष्ठ, सबके प्रति सहिष्णु, दयालु तथा निःस्वार्थी बनता है। शिक्षार्थियों में ज्ञान की पिपासा होनी चाहिए, लगन बराबर बनी रहनी चाहिए।

तमिल महाकवि तिरुवल्लुवर ने अपने ग्रंथ तिरुक्कुरल में मनुष्य के लिये शिक्षा का महत्व बताते हुए लिखा था कि “जिसे अक्षर कहते हैं वह ज्योति का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है और यह अक्षर तथा ज्ञान जीवित मनुष्य की आंखें हैं।”

एण्णेन्व एनै एवुततेन्व इवविरण्डुम कण्णेन्व पावुम उयिकर्कु  
तैतिरोयोपनिषद में एक स्थान पर एक दीक्षांत समारोह में आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं:

सत्यं वद्। धर्मं चर स्वाध्यायानमा प्रमदः  
सत्यान्न प्रमदितव्यम्।  
धर्मन्न प्रमदितव्यम्। कुशलान्न प्रमदितव्यम्।  
अर्थात्, सत्य बोलो। धर्म का आचरण करो। स्वाध्याय में आलस्य मत करो। सत्य से नहीं चूको। धर्म से आलस मत करो। उन्नति की साधना से मत चूको।

एक बार स्व. महादेवी वर्मा ने विक्रम विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में कहा था कि “दीक्षांत समारोह वह संधि बेला है जहां शिष्य की परीक्षा समाप्त होती है और गुरु की परीक्षा प्रारंभ होती है। चरित्र निर्माण ही शिक्षा की नींव होनी चाहिए।”

ईशोपनिषद में कहा गया है:  
अंधन्तम प्रविशन्ति ये अविधामुवासते।

ततो भूय इव ते तमो या उ विधायां रतः॥

जो अविद्या की उपासना करता है, अर्थात् जो निरक्षर है- वह तो अंधकार में भटकता ही रहता है। परंतु जो उसकी उपासना नहीं करता, अपने ज्ञान के मिथ्याभिमान में रत है, जो ज्ञान का पहला पाठ - विद्या ददाति विनयम भी नहीं जानता वह तो निरक्षर से भी बड़ा मूर्ख है।

गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है:

विद्या बिनु विवेक उपजाये।

श्रम कल पढ़े किये अरुपाये।।

जो विद्या विवेक नहीं उपजाती उसे पढ़ने-लिखने का श्रम भी बेकार है। ज्ञान एक दुर्लभ गुण है। साधारण अर्थ में ज्ञान आत्म परिचय है, परंतु विशिष्ट अर्थ में आत्म क्षुद्रता को भूलकर आत्मोद्धार, समाजोद्धार और विश्वोद्धार करना ही ज्ञान है। ज्ञान एक अलग चीज है, उसका साक्षरता से कोई लेना-देना नहीं है।

संत कबीर निरक्षर थे। उन्होंने खुद कहा था- मसि कागद ह्युओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। निरक्षर रहते हुए भी उनकी रचनात्मक श्रुति ग्रंथ है जिसे पढ़कर सैकड़ों-हज़ारों लोगों ने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। संत रविदास भी पढ़े-लिखे नहीं थे। एक बार काशी नरेश वीर सिंह देव बघेला ने बड़े-बड़े पंडितों तथा विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ हेतु संत रविदास को बुलाया। संत रविदास ने सब को पराजित कर दिया।

सूरदास तो जन्मांध थे अतः उनके पढ़ने-लिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब व्यक्ति में आध्यात्मिक ज्ञान आता है, तभी वह

(शेषांश पृष्ठ 56 पर)

## वायु विकार का उपचार

● शुभंकर बनर्जी

वर्तमान में मानव की प्राकृतिक जीवनशैली अस्त-व्यस्त हो गई है जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक संतुलन भी स्वाभाविक रूप से बिगड़ गया है। पेट की स्वाभाविक व्यवस्था बाधित होने से बदहजमी, वायु विकार, कब्ज आदि जैसी कई समस्याएं सामने आती हैं। परंतु इनमें से प्रमुख समस्या गैस की है। दोषपूर्ण खान-पान तथा असंतुलित जीवनशैली के कारण पेट से संबंधित रोगों में व्यापक वृद्धि हुई है।

इस तरह से वायु विकार की परेशानी वर्तमान युग की देन है और अधिकांश लोग इस तरह की परेशानी से ग्रस्त हैं।

जब तक किसी तरह पेट से गैस न निकल जाए, इससे पीड़ित व्यक्ति को राहत नहीं मिलती। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार गैस बनने का कारण क्या है और उसका निदान या स्थायी उपचार कैसे संभव है?

पेट में होने वाले वायु विकार पर स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने कई चिकित्सा अनुसंधान किए और यह निष्कर्ष निकाला कि पेट की वायु की जांच करके भी पाचनतंत्र की अंदरूनी अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है और यह पता लगाया जा सकता है कि वायु विकार का मूल कारण और उपचार क्या है?

दरअसल, जिस तरह से मल, मूत्र, रक्त, थूक आदि की जांच करके अन्य रोगों का निदान किया जाता है उसी तरह से वायु विकार की भी जांच की जा सकती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को समझने के लिये शरीर के पाचनतंत्र को भी समझना अत्यावश्यक है।

दिनभर हम जो भी भोजन करते हैं उसका

संपूर्ण उपयोग हमारा शरीर नहीं कर पाता है। दैनिक आहार में कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनकी सहायता से इन खाद्य सामग्रियों को रक्त में परिवर्तित करने योग्य बनाने में सहायता मिलती है। मुख्यतः भोजन में तीन घटक होते हैं— कार्बोहाइड्रेट (पानी, शर्करा, मंड आदि), 2. प्रोटीन और 3. वसा (चर्बी)।

जब खाद्य सामग्री हमारे शरीर में पहुंचती है तब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदला जाता है। यह प्रक्रिया तो मुंह के अंदर चबाने के दौरान ही प्रारंभ हो जाती है। इसका छोटा-सा उदाहरण यह है कि जब हम रोटी जैसी खाद्य सामग्री को मुंह में रखकर चबाते हैं तब थोड़ी देर चबाने के बाद ही मुंह का स्वाद मीठा हो जाता है।

दरअसल, कार्बोहाइड्रेट की अधिकांश मात्रा आंत के प्रारंभिक मार्ग यानी छोटी आंत में ही पच जाती है। जबकि प्रोटीन युक्त खाद्य सामग्री का पाचन आमाशय में होता है जिसके अंतर्गत शरीर में विद्यमान एंजाइम्स सबसे पहले प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देते हैं और अंत में एमीनो अम्ल में बदल जाता है। इस तरह से वसा को भी वसा अम्ल में ही परिवर्तित होना पड़ता है।

कुल मिलाकर इसी तरह की प्रक्रिया के अंतर्गत जब परिवर्तन की जैव-रासायनिक क्रियाएं पूरी हो जाती हैं तभी इन सभी आहार पदार्थों को अंततः हमारा शरीर अपने रक्त में सोख लेता है या सम्मिलित कर लेता है और फिर शरीर के विभिन्न अंगों तक यह रक्त पहुंच जाता है।

वास्तव में प्रोटीन की पाचन क्रिया के दौरान प्रमुख भूमिका निभाने वाले एंजाइम आमाशय

में ही रहते हैं। इसके अलावा आमाशय में एक अम्ल और भी होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की संज्ञा दी गई है। परंतु इसी अम्लीय वातावरण में ही ये एंजाइम्स अपनी भूमिका पूरी करते हैं।

दूसरी ओर लार में भी कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम्स विद्यमान होते हैं। परंतु ज्यों ही लार मिला भोजन शरीर के आमाशय में पहुंचता है, ऐसे एंजाइम्स अम्लीय वातावरण के कारण नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। साथ ही पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में हो जाता है।

यह भी सच है कि भोजन करते समय खाद्य पदार्थों के साथ काफी मात्रा में हवा भी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। विशेषतौर पर बच्चों के लिये यह काफी समस्यापूर्ण तथ्य है। इसी वजह से बच्चों को दूध पिलाने के बाद उन्हें डकार दिलाना अत्यंत आवश्यक समझा जाता है वरना थोड़ी देर बाद ही बच्चे के पेट में दर्द होने लगता है।

वास्तव में बच्चों को पेट दर्द दूध के साथ निगली हुई हवा के कारण ही होता है। बच्चों की ही तरह बड़ों को भी इसी कारण से पेट में वायु विकार का संकट झेलना पड़ता है। वयस्कों में भी उनके खाने के साथ हवा पेट में चली जाती है। परंतु यह हवा प्रायः आमाशय में ही रहती है। दूसरी ओर मुंह से निकली हवा आंत तक बहुत कम ही पहुंच पाती है और अगर हवा चली भी गई तो आमतौर पर आमाशय की हवा डकार के रूप में निकल जाती है।

भोजन के पचने की क्रिया की विशेषता यह

है कि जब एंजाइम्स खाद्य सामग्रियों को पचाते हैं तब थोड़ी मात्रा में वायु भी उत्पन्न होती है। वैसे यह पाचन क्रिया की सामान्य बात है। इसी तरह से पैंक्रियाज़ नामक ग्रंथि के स्राव में बाईकार्बोनेट लवण की भी थोड़ी मात्रा पाई जाती है। जब यह लवण पेट के अम्लीय वातावरण से क्रिया करते हैं तो कार्बन डाईऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। परंतु साधारण तौर पर यह गैस आंतों में ही सोख ली जाती है।

दूसरी ओर हमारे दैनिक आहार के विभिन्न घटक भी आपस में क्रिया करके कुछ गैस बनाते हैं। स्पष्टतः ये सब पाचन क्रिया के आवश्यक परिणाम हैं। अर्थात् इनसे पूरी तरह से बचना संभव भी नहीं है। साधारणतः नियमित उत्सर्जन क्रिया के अंतर्गत (यानी मल त्याग के समय) ऐसी संभावित गैसों का स्वाभाविक रूप से निकल जाती हैं।

परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि छोटी आंत में ही भोजन का पाचन पूरी तरह से नहीं हो पाता। विशेषतौर पर कार्बोहाइड्रेट के साथ ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है जिसके कई कारण हो सकते हैं। ऐसे कई तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता है। सामान्य तौर पर पाचन क्रिया की यह मामूली बात है।

जब छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरी तरह से नहीं होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन न होने से शरीर में विकार उत्पन्न होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ भाग पूरी तरह से पच नहीं पाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि शरीर में लैक्टोज नामक एंजाइम्स पर्याप्त मात्रा में न हों तो भोजन का पचना कठिन होता है। दूध में पाई जाने वाली शक्कर को ही लैक्टोज का नाम दिया गया है।

पाचन क्रिया एक प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैसे छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स की पाचन क्रिया होती है। यदि खाद्य पदार्थों के क्रियाकारी कण बारीक हों तो पाचन की यह क्रिया काफी तेज़ होती है। यदि खाद्य सामग्रियों को आप सही ढंग से न चबाएं और भोजन के दौरान खाद्य पदार्थों के बड़े-बड़े टुकड़े आंत में पहुंच गए तो पाचन क्रिया की गति स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाती है।

जो खाद्य कण छोटी आंत में पच नहीं पाते हैं वे भी आंतों में लगातार आगे जाने की

प्रक्रिया जारी रखते हैं और बड़ी आंत तक पहुंच जाते हैं। इन अपच पदार्थों के साथ ऐसे पदार्थ भी आ जाते हैं जो छोटी आंत में ही पच सकते थे।

बड़ी आंत मानो बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों का आश्रय स्थल ही है। इस तरह के सूक्ष्मजीव तो ऐसे अपचनीय या अधपचे खाद्य कणों के लिये सदैव लालायित रहते हैं और इन पदार्थों को चाव से पचाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों द्वारा इन पचे, न पचे खाद्य कणों को पचाने की क्रिया लाभकारी होने के साथ-साथ हानिकारक भी है। बड़ी आंत में इन सूक्ष्मजीवों का पाचन में सहायक होना मोटे तौर पर लाभप्रद तो सिद्ध होता है परंतु वास्तव में शरीर को इसकी भारी लागत चुकानी पड़ती है।

इस तरह के सूक्ष्मजीवों द्वारा इन अधपचे खाद्य कणों को दो तरीके से आत्मसात किया जाता है- किण्वन और सड़ाना। दोनों ही जैव रासायनिक क्रियाओं में भारी मात्रा में गैसें उत्पन्न होती हैं। जब ये गैसों कार्बोहाइड्रेट के किण्वन या सड़ने से बनती हैं तो इनमें मुख्यतः कार्बन डाईऑक्साइड, मीथेन, अल्कोहल की भाप, हाइड्रोजन आदि गैसों होती हैं।

परंतु यदि सूक्ष्मजीवों को प्रोटीन की दावत मिल जाए तो कम मात्रा में ही सही, तेज दुर्गंध वाली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी बनती है। इसके अलावा फूल गोभी और प्याज जैसे सब्जियों में भी सल्फर की मात्रा पाई जाती है जिसके परिणामस्वरूप इन सब्जियों के सेवन से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न करने वाले पदार्थ की आपूर्ति शरीर में होती रहती है।

स्पष्ट है कि जब शरीर कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्वयं करता है तो कम मात्रा में गैस बनती है परंतु यदि यही काम शरीर के सूक्ष्मजीव करें तो काफी अधिक मात्रा में गैस बनती है। शरीर की आंतों में प्रतिदिन लगभग 7 से 10 लीटर गैस बनती है जिसमें से ज्यादातर गैसों को तो हमारी आंतें ही पुनः सोख लेती हैं। आधे से एक लीटर गैस मल त्याग करते समय या मलद्वार से वायु उत्सर्जन के रूप में बाहर निकल जाती हैं।

यदि फिर भी किसी वजह से कुछ गैस बाहर निकल नहीं पाती है तो हमारी आंतों की मांसपेशियां संकुचित होती रहती हैं और उस शोष गैस को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। इस तरह की शारीरिक प्रक्रिया में ही पेट में मरोड़ें उठती हैं और दर्द भी होता है। विशेष

तौर पर कब्ज होने पर ऐसी समस्या का सामना भयंकर रूप से करना पड़ता है।

इस तरह की अतिरिक्त गैस को बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती है लेकिन आजकल इससे निजात पाने का भरोसा दिलाने वाले ऐसे व्यावसायिक विज्ञापनों की भरमार है। उदाहरण स्वरूप ऐसी तकनीकी चमत्कार का सहारा लिया जाए जिसके अंतर्गत कुर्सियों के लिये एक ऐसी गद्दी बनाई गई है जो सारी गैस को सोख लेती है आदि। परंतु ऐसे भ्रामक विज्ञापनों का सहारा लेना उचित नहीं। क्योंकि इनकी वैज्ञानिक सत्यता पर संदेह होना स्वाभाविक है। अतः बेहतर है कि प्रकृति सम्मत तथ्यों को आधार बनाकर ही इस तरह की प्राकृतिक समस्या से निपटा जाए।

सर्वप्रथम तथ्य तो यह है कि पेट में गैस बनना हमारे जैव-अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे पूरी तरह से समाप्त करना तो संभव नहीं है परंतु कम करने का प्रयास तो अवश्य किया जा सकता है। इस तरह के प्रयास के अंतर्गत पहला काम तो यह है कि उन वस्तुओं की पहचान की जाए जिनकी वजह से हमें विशेषतौर पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर सेम, पत्ता गोभी, मूली, दूध, फूल गोभी आदि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके सेवन से प्रायः वायु विकार की समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही कुछेक विशेष वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के लिये वायु उत्पन्न कारक की भूमिका निभाती हैं। दोनों ही दशाओं में सही ढंग से उन वस्तुओं की पहचान की जानी चाहिए।

अब दूसरा काम यह है कि जो भी आहार खाएं उसे अच्छी तरह से चबाकर खाएं। यदि भोज्य पदार्थों के बड़े-बड़े टुकड़ों को निगल लिया जाता है तो बाद में उसकी पाचन क्रिया धीरे-धीरे होती है और पाचन प्रक्रिया से पहले ही ये पदार्थ शरीर के सूक्ष्मजीवों के हवाले हो जाते हैं। इसके अलावा सही ढंग से चबाकर खाने का लाभ यह भी होता है कि इसकी वजह से आमाशय में अम्ल भी पर्याप्त मात्रा में बनता है और साथ ही पाचन एंजाइम्स भी यथेष्ट मात्रा में बनता है।

तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है - कभी भी भागम-भाग में, जल्दी-जल्दी किसी तरह से भोजन से निपटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कामचलाऊ ढंग से खाने के काम को निपटाने के चक्कर में जब हम खाद्य सामग्रियों को किसी

## स्वर्णिम चतुर्भुज संपर्क मार्गों के लिये 25,000 करोड़ रुपये

देश में 38,500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पूरी होने के करीब है और सरकार ने इससे जुड़ने वाले संपर्क मार्गों के निर्माण के लिये 20,000 किलोमीटर की फीडर रोड परियोजना की शुरुआत कर दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 25,000 करोड़ रुपये होगी। परियोजना के तहत शहरों और गांवों को स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ने वाली दो लेन की सड़कों के नेटवर्क को दुरुस्त किया जाएगा। गौरतलब है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में 5,900 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के चौथे चरण के तहत आने वाली फीडर रोड परियोजना के लिये जल्द ही बोली मंगाई जाएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रालय फिलहाल इस परियोजना की संभाव्यता

का अध्ययन कर रहा है।

फीडर रोड परियोजना को चार चरणों में लागू किया जाएगा और हरेक चरण में 5,000 किलोमीटर लंबी सड़क पर काम होगा। माना जा रहा है कि यह परियोजना 2013 तक पूरी हो जाएगी। सरकार ने कार्यक्रम के पहले चरण के लिये 12 राज्यों में 5,000 किलोमीटर लंबी सड़कों की पहचान की है। इस परियोजना में 5,000 किलोमीटर लंबी सड़क को बिल्ड-ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल पर बनाया जाएगा जिसके तहत डेवलपर टोल शुल्क इकट्ठा कर के अपनी लागत निकालते हैं। बाकी 15,000 किलोमीटर सड़क को एन्युटी मॉडल पर निर्मित किया जाएगा जिसमें डेवलपर को सरकार की ओर से भुगतान की गारंटी दी जाती है। इस परियोजना की कीमत की गणना 2005-06 की कीमतों के आधार पर की गई है। उद्योग के विश्लेषकों का मानना है कि परियोजना को 25,000 करोड़ रुपये के बजट में पूरा किया जाना संभव नहीं

होगा क्योंकि इसके मुताबिक प्रति किलोमीटर सड़क पर 1.25 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान है।

इस परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि राजमार्गों के निर्माण के लिये जिम्मेदार केंद्रीय एजेंसी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस परियोजना के निर्माण में पहले ही काफी देरी कर दी है। इस वित्त वर्ष में एनएचएआई ने परियोजना के लिये अपने लक्ष्य का महज 56 फीसदी काम पूरा किया है जिसकी प्रमुख वजहें ज़मीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय मसलों और याचिका में होने वाली देरी तथा ठेकेदारों का ख़राब प्रदर्शन और कई परियोजनाओं में बोली लगाने वालों द्वारा दिखाई गई कम दिलचस्पी है। केंद्र सरकार ने इससे पहले ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के लिये भी अनुदान को बढ़ाया था। □

तरह निगलकर पूरा करने की चेष्टा करते हैं तो ढेर सारी अतिरिक्त हवा भी निगल लेते हैं।

पेट में वायु विकार का होना एक स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है उसे पूर्णतः समाप्त करना निस्संदेह संभव नहीं है परंतु उस पर कुछ सीमा तक नियंत्रण करना भी असंभव नहीं है। इस परेशानी का यही बेहतर निदान है और इसी

नीति को सही ढंग से अपनाकर हम वायु विकार की अवश्यंभावी समस्या को नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं।

इसके अलावा वर्तमान तनावपूर्ण भागमभाग वाले अत्याधुनिक जीवनशैली से परहेज करते हुए, यथासंभव आदर्श जीवनशैली अपनाने की चेष्टा की जानी चाहिए। समय पर उठना, समय

पर खाना, समय पर सोना, पूरी नींद, हल्का व्यायाम, शारीरिक श्रम, पौष्टिक आहार आदि करने पर ध्यान देना तो आवश्यक है ही इसके अलावा वायु विकार से संबंधित यथेष्ट जानकारी रखते हुए यथायोग्य सावधानी भी अवश्य अपनानी चाहिए। □

(लेखक दिल्ली स्थित चिकित्सक हैं)

(पृष्ठ 53 का शेषांश)

ज्ञानी कहलाता है।

एक साक्षर व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, अधर्म कर सकता है। अगर वह भ्रष्ट है तो कदापि शिक्षित या ज्ञानी नहीं है।

यह आवश्यक नहीं कि साक्षर व्यक्ति ज्ञानी बन जाए। अगर ऐसा होता तो केरल में जहां संपूर्ण साक्षरता का दावा किया जाता है— शत-प्रतिशत लोग ज्ञानी बन जाते। हां, दैनिक जीवन के लिये साक्षरता आवश्यक है, परंतु ज्ञानी बनने के लिये सामाजिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास अत्यावश्यक है।

ज्ञान ही मानवता को ऊपर उठाता है। महर्षि

अरविंद ने भी कहा था कि “ज्ञान का मूल उद्देश्य मनुष्य की सुप्त शक्तियों का अनावरण एवं विकास है।”

*तमसो मा ज्योतिर्गमय*

*असतो मा सद्गमय*

*मृत्योर्मा अमृतगमय*

यही वास्तव में ज्ञान का उद्देश्य है। अधूरा ज्ञान अज्ञान से बुरा है।

संस्कृत में एक श्लोक है:

*साध्यम अज्ञः सुखतरं साध्यम विशेषज्ञः।*

*यम ज्ञानलव दुर्विदग्धं तमनरं न रंजयति।।*


जो अज्ञानी है वह साधना करने पर ज्ञानी

बन सकता है। जो अल्प ज्ञानी है, वह साधना करने पर विशेषज्ञ बन सकता है। परंतु जिसने थोड़े ज्ञान से अपने को दग्ध कर लिया है उसे ब्रह्मा भी ज्ञानी नहीं बना सकते। *गीता* में श्री कृष्ण ने कहा है कि “आत्मानुभव में स्थित ज्ञानी पुरुष का संपूर्ण जीवन मनुष्यों का आत्म अज्ञान दूर करने और आत्मवैभव को प्रकट करने में समर्पित होता है। अर्थात् ज्ञान द्वारा संशय निवृत्त करने वाला व्यक्ति परमात्मा में स्थित ब्रह्मवेत्ता होता है :


*लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीण कल्मषाः।*

*छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः।। □*


# प्रकाशन विभाग की नवीनतम पुस्तकें




**पुस्तक :** बहादुरशाह ज़फ़र  
**लेखक :** महेश दर्पण; **मूल्य :** 50 रुपये  
**आईएसबीएन :** 978-81-230-1472-2



**पुस्तक :** बेगम हज़रत महल  
**लेखक :** के.सी. यादव; **मूल्य :** 90 रुपये  
**आईएसबीएन :** 978-81-230-1538-5



**पुस्तक :** विज्ञान बारहमासा  
**लेखक :** देवेन्द्र मेवाड़ी; **मूल्य :** 100 रुपये  
**आईएसबीएन :** 978-81-230-1514-9



**पुस्तक :** अष्टछाप के कवि कुंभनदास  
**लेखक :** डॉ. हरगुलाल; **मूल्य :** 90 रुपये  
**आईएसबीएन :** 978-81-230-1439-5

पुस्तक के लिये कृपया हमारे निम्नलिखित विक्री केंद्रों पर संपर्क करें :- सूचना भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष : 24367260, 5610), हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष : 23890205) \* 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलपुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष : 27570686) \* 8, एसप्लानेट ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष : 22488030) \* 'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष : 24917673) \* प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष : 2330650) \* ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष : 24605383) \* फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष : 25537244) \* बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष : 2683407) \* हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-II, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष : 2225455) \* ओबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्ती, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष : 26588669) \* के.के.बी. रोड, नयी कॉलोनी, मकान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष : 2665090)

प्रकाशक व मुद्रक वीना जैन, अपर महानिदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिये ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, ई-46/11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, नयी दिल्ली-110 020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003 से प्रकाशित। संपादक : राकेशरेणु

# Just Released

## केन्द्रीय विद्यालय संगठन

# शिक्षक भर्ती परीक्षा

**PGT****TGT****PRT**

• प्रथम प्रश्न-पत्र (प्रथम भाग)

ENGLISH EDITIONS ARE ALSO AVAILABLE



कोड 607

मूल्य : 255/-



कोड 210


मूल्य : 235/-



कोड 1108

मूल्य : 145/-


• द्वितीय प्रश्न-पत्र



कोड 886

मूल्य : 150/-

• तृतीय प्रश्न-पत्र



कोड 1338

मूल्य : 70/-

योग्य एवं अनुभवी लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकें जो आपको महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी विषय-वस्तु उपलब्ध कराने के साथ-साथ परीक्षा में आपका उचित मार्गदर्शन भी करेंगी.



उपकार प्रकाशन 2/11 ए. स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : 2531101, 2530966, 3208693; फैक्स : (0562) 4031570

Website : www.upkar.in

E-mail : publisher@upkar.in

ब्रांच ऑफिस : 4840/24, गोविन्द लेन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110 002, फोन : 23251844/66